लोक-सभा
वाद-विवाद

द्वितीय माला

खण्ड २०, १९६३/१८८५ (शक)

[२७ अगस्त से ६ सितम्बर १९६३/६ श्रावण से १८ भाद्र, १८८५ (शक)]

3rd Lok Sabha

Chamber Fumigated 15/10/13

Preservation Unit
21-1-91
Fumigated On 8.12.83
Parliament Library

पांचवां सत्र, १९६३/१८८५ (शक)

(खण्ड २० में अंक ११ से २० तक हैं)

Gazettes & Debates Unit
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

लोक-सभा

बुधवार, ५ सितम्बर, १९६३

१४ भाद्र, १८८५ (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

चेचक

+

†*५०६. श्री यशपाल सिंह :
श्री वारियर :
श्री म० ना० स्वामी :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री सरजू पाण्डेय :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री दे० द० पुरी :
डा० महादेव प्रसाद :
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्रीमती शशांक मंजरी :
श्री प० कुन्हन :

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या पिछले कुछ समय से सारे देश में चेचक से होने वाली मृत्युओं की संख्या बढ़ गई है ;

†मूल अंग्रेजी में

1215(i)LSD—1

(ख) यदि हां, तो संख्या बढ़ने के क्या कारण हैं ;

(ग) इस रोग को फैलने से रोकने के लिए क्या निरोधक उपाय किये जा रहे हैं ; और

(घ) चेचक उन्मूलन कार्यक्रम को क्रियान्वित करने में क्या प्रगति हुई है ?

†**स्वास्थ्य मंत्रालय में उप मंत्री (डा० द० स० राजू)** : (क) और (ख). गुजरात, मैसूर और पंजाब जैसे कुछ राज्यों और कुछ संघ राज्य-क्षेत्रों को छोड़ कर, यह बात सच है कि पिछले वर्ष के समवर्ती महीनों की तुलना में १९६३ में चेचक के रोगियों और चेचक से होने वाली मृत्युओं की संख्या अधिक रही है । यह देखा गया है कि ५–६ वर्ष के एक काल-चक्र में चेचक के रोग में वद्धि होती है और १९६२–६३ में जो वृद्धि हुई है वह इस कालचक्र के कारण ही हो सकती है ।

(ग) राष्ट्रीय चेचक उन्मूलन कायक्रम सभी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में चला दिया गया है । समस्त जन समुदाय को चेचक के टीके लगाने (अथवा पुनः टीके लगाने) के लिये कार्यवाही की जा रही है ।

(घ) अब तक लगभग १२ करोड़ लोग संरक्षित कर दिये गये हैं । चालू वर्ष में आन्दोलन को तीव्र करने के लिये भी कदम उठाये जा रहे हैं ।

श्री यशपाल सिंह : सदर्न स्टेट्स में तो यह बिल्कुल नहीं फैल सकी और इधर फैलती रही । क्या मैं जान सकता हूं कि इसके लिए क्या प्रिवेंटिव स्टेप लिए गए ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : ऐसा तो नहीं है कि सदर्न और नारदर्न स्टेट्स में कोई फर्क है । जिन स्टेट्स में वैक्सीनेशन का अच्छा काम हुआ है, वहां पर बीमारी नहीं बढ़ी है, जहां पर ज्यादा अच्छा और सिस्टैमेटिक काम नहीं हुआ, वहां पर बढ़ी है । इस कमी को पूरा करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट्स को भी कहा जा रहा है, और २५ सितम्बर से एक सप्ताह भी मनाया जा रहा है जिसमें कि सभी वालेंटरी आरगेनाइजेशनस, मेम्बर्स ऑफ लेजिस्लेचर्स, मेम्बर्स ऑफ पार्लियामेंट और दूसरे लोग और गवर्नमेंट एजेंसी मिल कर इस काम को इंटेंसीफाई करेंगे यह प्रोपोजल है ।

श्री यशपाल सिंह : इनाकुलेशन सिस्टम के खिलाफ गांधी जी ने भी २० साल प्रचार किया, और आज कई स्कालर भी कर रहे हैं । मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इसको किसी और स्टेप से रिप्लेस करना चाहती है और इनाकुलेशन सिस्टम की जगह कौनसा सिस्टम जारी करना चाहती है ?

डा० सुशीला नायर : दुनिया में अभी तक और कोई दूसरा तरीका मालूम नहीं है जिससे कि वैक्सीनेशन के बिना स्मालपाक्स को रोका जा सके । एक वैक्सीनेशन ही तरीका है जिससे दुनिया में बहुत से मुल्कों ने अपने यहां से स्मालपाक्स को निकाल दिया है, और उसी तरीके से हिन्दुस्तान भी निकालने की कोशिश कर रहा है ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या यह एक ऐसी घटना है जोकि निश्चित अवधि के पश्चात् बार बार होती है, इस काल-चाक्रिक घटना के पुनः होने का पूर्वानुमान क्यों नहीं लगाया गया था और कुछ क्षेत्रों में चेचक के भारी रूप से फिर से फैलने को रोकने के लिये अतिरिक्त कदम क्यों नहीं उठाये गये थे ?

†**डा० सुशीला नायर** : मुझे इसके लिये खेद है कि मुझे माननीय सदस्य की बात के विरोध में बात कहनी पड़ेगी । इसका पूर्वानुमान लगा लिया गया था, और इसी सदन में मैंने बताया था

---

†मूल अंग्रेजी में

कि हमें इस संक्रामक रोग के फैलने की आशा है और टीके लगाने के कार्यक्रम को तीव्र करने के लिये हमें सभी प्रयत्न करने चाहियें। आने वाले खतरे को ध्यान में रखते हुए ही राष्ट्रीय चेचक उन्मूलन कार्यक्रम आरम्भ किया गया था।

श्री रघुनाथ सिंह : मैं यह जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में कितने आदमियों की मृत्यु स्मालपाक्स के कारण हुई और वहां पर क्या प्रिवेंटिव एक्शन लिया गया था ?

अध्यक्ष महोदय : अब अगर एक एक स्टेट की तफसील पूछी जायेगी तो .....

श्री रघुनाथ सिंह : यू० पी० में सब से ज्यादा हुई।

अध्यक्ष महोदय : तो यह पूछ लीजिये कि क्या यू० पी० में सब से ज्यादा हुई। क्या यू० पी० में सब से ज्यादा हुई ?

†**डा० द० स० राजू** : उत्तर प्रदेश में, राष्ट्रीय चेचक उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत १७ जिलों में एक बहुत बड़ा टीका आन्दोलन चल रहा था। राज्य के अन्य जिलों में भी टीके लगाने के कार्य को तीव्र कर दिया गया है। सभी प्रभावग्रस्त क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर टीके लगाने के कार्यक्रम चलाये गये थे। जिलों के लोक स्वास्थ्य विभाग के सभी कर्मचारियों से इस प्रयोज्य के लिये कार्य लिया गया था, और सरकार द्वारा अतिरिक्त टीके केन्द्रों की मंजूरी दे दी गई है .....

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न केवल यह था कि क्या उत्तर प्रदेश में सब से अधिक मृत्य हुई है।

†**डा० द० स० राजू** : जो कदम हमने उत्तर प्रदेश में उठाये हैं मैं उन्हें बता रहा हूं।

†**डा० सुशीला नायर** : उत्तर प्रदेश में चेचक भारी रूप से फैली थी और कुछ जिलों में इसके कारण हुई मृत्युओं की संख्या भी अधिक थी। मेरी माननीय मित्र श्रीमती सावित्री निगम का निर्वाचन क्षेत्र बुरी तरह से प्रभावग्रस्त क्षेत्रों में से एक था।

†**एक माननीय सदस्य** : और माननीय मंत्री का निर्वाचन क्षेत्र बच गया।

†**डा० सुशीला नायर** : जहां तक मेरे निर्वाचन क्षेत्र का सम्बन्ध है, मैं स्वीकार करती हूं कि वहां इसकी अधिक घटनायें नहीं हुई थीं क्योंकि मैं वहां पर गई थी और उन लोगों के साथ बैठी थी और टीके लगाने का कार्य उनसे तीव्रतापूर्वक करवाया था, यद्यपि राज्य सरकार ने उसे उन १७ जिलों में सम्मिलित नहीं किया था जहां चेचक उन्मूलन कार्यक्रम लागू किया गया।

श्री सरजू पाण्डेय : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार के नोटिस में यह बात आयी है कि टीका लगाने के लिये जो दवा इस्तेमाल की जाती है वह प्रभावशाली नहीं है और टीका लगाने के बाद भी लोगों को स्मालपाक्स होता है ?

†**डा० सुशीला नायर** : जो टीका लगाने की दवा फ्रीज़ ड्राई वैक्सीन हमने बाहर से मंगायी है वह बहुत प्रभावशाली है। श्रीमन्, किसी किसी केस में लोग टीका लगवाने के बाद तुरन्त दवा को पोंछ डालते हैं, जिससे उसका असर नहीं होता।

†**श्री दे० द० पुरी**: किस समय तक इस उन्मूलन का कार्यक्रम के सम्पूर्ण देश में पूरा हो जाने की आशा है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†डा० द० स० राज् : हमें आशा है कि उन्मूलन कार्यक्रम तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक पूरा हो जायेगा ।

श्री ओंकार लाल बेरवा : अभी मंत्राणी जी ने कहा कि सिस्टमेटिक काम नहीं हुआ । मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस काम को सिस्टेमेटिकली चलाने के लिए कोई दूसरा उपाय सोचा जा रहा है ?

डा० सुशीला नायर : जी हां, मैंने पिछले साल पार्लियामेंट के मेम्बरों को पत्र लिखे थे कि अलग अलग अपनी कांस्टीट्यूएंसीज़ में सिस्टेमेटिक केमपेन चलवाने की कृपा करें।

श्री त्यागी : क्या मैं यह समझ लूं कि सरकार अभी तक प्रत्येक नवजात शिशु के लिये टीका लगवाने को अनिवार्य करने में सफल नहीं हुई है ?

डा० सुशीला नायर : श्रीमन्, प्राइमरी वैक्सीनेशन तो करीब करीब सब जगह कानूनन कम्पलसरी है, लेकिन माननीय सदस्य जानते हैं कि अभी देश में पूरे बर्थस् रजिस्टर भी नहीं होते । इस वजह से कुछ बच जाते हैं जिनको टीका नहीं लगता । इसी लिए सिस्टेमेटिक केमपेन चलाया जा रहा है । आशा है कि इससे काफी फायदा होगा ।

†**डा० गायतोंडे :** क्या यह सच है कि भारत में चेचक का उन्मूलन करने के मार्गोपायों को खोजने के लिये हाल ही में एक समिति नियुक्त की गई थी, और क्या उस समिति की सिफारिशों पर अमल किया गया था और यदि वे क्रियान्वित नहीं की गई थी तो उसके क्या कारण हैं ?

†**डा० सुशीला नायर :** १९५८ में एक समिति नियुक्त की गई थी और उस समिति की सिफारिशों के परिणामस्वरूप ही विभिन्न राज्यों में अग्रिम परियोजनायें प्रारम्भ की गई थी । अग्रिम परियोजनाओं के परिणामों के आधार पर राष्ट्रीय चेचक उन्मूलन कार्यक्रम गत वर्ष चलाया गया था ।

†**श्री हेम बरुआ :** इस बात को ध्यान में रखते हुए कि गांधी जी, जार्ज बर्नार्ड शा और डा० अइन्सटाइन जैसे महान व्यक्ति इस टीके के विरुद्ध थे और यह भी कि टीका इस रोग से मुक्ति पाने के लिये कोई गारण्टी नहीं है , क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार ने यह देखने के लिये कि चेचक का उन्मूलन हो जाये अन्य क्या कदम उठाये है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** यह प्रश्न श्री यशपाल सिंह द्वारा पहले ही पूछ लिया गया है ।

†**श्रीमती सावित्री निगम :** अभी जो एक विशेष आन्दोलन चलाया जाने वाला है क्या वह केवल देहली तक ही अथवा कुछ विशेष राज्यों तक ही सीमित होगा अथवा यह समस्त देश में चलाया जायेगा ; और यदि इसका उत्तर यह हो कि यह राज्यों में भी चलाया जायेगा तो क्या मैं जान सकती हूं कि इस प्रयोजन के लिये केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों को क्या अनुदान दे रही है ?

†**डा० सुशीला नायर :** कोई विशेष आन्दोलन नहीं चलाया जाना है । आन्दोलन पहले ही से चल रहा है । इसे तीव्र बनाने के लिये २५ सितम्बर से एक विशेष सप्ताह मनाया जा रहा है । जहां तक व्यय का सम्बन्ध है, आन्दोलन का शत प्रति शत अनावर्ती व्यय और ७५ प्रतिशत आवर्ती व्यय भारत रकार दे रही है और उसके लिये ७ करोड़ रुपये का उपबन्ध किया गया है ।

---

†मल अंग्रेजी में

त्रिशूली जल विद्युत परियोजना

+

†*५०७. श्री भागवत झा आंजाद :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्रीमती ज्योत्सना चन्दा :

क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेपाल की त्रिशूली जल-विद्युत परियोजना का काम कार्यक्रम के अनुसार चल रहा है ;

(ख) इसके कार्य संचालन में जो कठिनाइयां उत्पन्न हो गई हैं उन्हें दूर करने के लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं ; और

(ग) इसके कब तक पूरा हो जाने की संभावना है ?

†सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जी हां, वर्तमान कार्यक्रम के अनुसार ।

(ख) परियोजना के कार्य संचालन में समय समय पर जो कठिनाइयां सामने आई थी उन्हें दूर करने के लिये भारत सहायता मिशन और नेपाल के महाराजाधिराज की सरकार की सहायता ली गई थी ।

(ग) जून, १९६५ तक ।

†श्री भागवत झा आजाद : मूल कार्यक्रम के अनुसार इस कार्य में कितना विलम्ब हुआ है और क्या कम से कम वर्तमान कार्यक्रम पर चलना सम्भव होगा ?

†डा० कु० ल० राव :परियोजना पहले पूरी हो जानी थी । परन्तु कुछ कठिनाइयों के कारण कार्यक्रम बदल दिया गया है और अब इसके जून, १९६५ में पूरा हो जाने की आशा है । आशा करते हैं कि उस समय तक यह हो जायेगा ।

†श्री भगवत झा आजाद : यह बात कहां तक ठीक है कि प्रारम्भिक अनुमान की तुलना में इस परियोजना की लागत में बढ़ोत्तरी हुई है ?

†डा० कु० ल० राव : यह सच है कि लागत ३.३७ करोड़ से बढ़कर ८.९ करोड़ हो गई है । इसके मुख्य कारण यह थे ; (१) बाड़ को बांध में बदल दिया गया है, (२) सुरंग बदली गई थी ; प्रारम्भ में एक सुरंग थी, अब इसे बदल कर एक खुली नहर बना दिया गया है जिसके साथ एक जलमार्ग है, और (३) मूल्यों में वृद्धि हुई है ।

†श्री विश्रामप्रसाद : इस परियोजना से कितने क्षेत्र में सिंचाई होगी और कितने क्षेत्र को विद्युत प्राप्त हो सकेगी ?

†डा० कु० ल० राव : यह केवल एक जल विद्युत परियोजना है । आशा है कि अन्त में १८ मैगावट विद्युत प्राप्त होगी और इसका लोड फैक्टर ६० % होगा ।

†श्री भक्त दर्शन : इस परियोजना को क्रियान्वित करने में क्या क्या मुख्य कठिनाइयां सामने आई थीं और उन्हें किस प्रकार जीता गया था ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**डा० कु० ल० राव :** तीन कठिनाइयां थी। पहली कठिनाई तो यह थी कि काठमांडू से त्रिशूली तक, ४५ मील की दूरी में, दुर्गम भूखण्डों के कारण कोई सड़क नहीं थी। यह सड़क जो कि १९५८ तक पूरी हो जानी थी इसके बनाने में लगभग ५ वर्ष लगे हैं और अभीअभी यह हालत में हुई है कि इस पर ट्रकों का यातायात किया जा सके। दूसरी कठिनाई, बांध, परियोजना क्षेत्र और बस्तियों इत्यादि के लिये भूमि के अर्जन में थी। नेपाल के महाराजाधिराज की सरकार की सहायता से यह कठिनाई दूर हो गई है और अपेक्षित भूमि अर्जित कर ली गई है। तीसरी कठिनाई श्रमिकों की थी, आवश्यकता हमें ७,००० श्रमिकों की भी और हमें केवल ३,००० श्रमिक ही मिल सके थे। नेपाल सरकार की सहायता से इस कठिनाई को धी दूर करने का प्रयत्न किया जा रहा है और यह आशा है कि परियोजना को निर्धारित समय पर पूरा करने के लिये हमें पर्याप्त श्रमिक मिल जायेंगे।

ग्रामीण जल संभरण कार्यक्रम

\+

†*५०८. **श्री सुरेन्द्र पाल सिंह :**
श्री वारियर :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री म० ना० स्वामी :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री प्र० कु० घोष :
श्री कपूर सिंह :
श्री केसर लाल :
श्री यशपाल सिंह :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ग्रामीण जल संभरण कार्यक्रमों में आज तक हुई प्रगति को निर्धारित करने की दृष्टि से केन्द्रोय सरकार ने हाल ही में सारे देश में एक व्यापक सर्वेक्षण किया था ; और

(ख) यदि हां, तो इस सर्वेक्षण का क्या परिणाम निकला है ?

†**स्वास्थ्य मंत्रालय में उप मंत्री (डा० द० स० राज)**: (क) और (ख) : जी, नहीं। दुर्गम क्षेत्रों में ग्रामीण जल सम्भरण योजनाओं के अनुमान तैयार करके विस्तृत सर्वेक्षण करने और योजनायें तैयार करने के ध्येय से भारत सरकार ने राज्यों में विशेष अनुस्थान विभागों को स्थायपित करने की एक योजना मंजूर की है। यह विभाग ग्यारह राज्यों में स्थापित कर दिये गये हैं, अर्थात् आंध्र प्रदेश, आसाम, गुजरात, केरल, उड़ीसा, पंजाब, मैसूर, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल में, और सर्वेक्षणों के पूरा हो जाने के पश्चात ही परिणामों का पता लगेकगा।

†**श्री सुरेन्द्र पाल सिंह** : वर्तमान योजना के प्रथम दो वर्षों में ग्रामीण जल सम्भरण योजनाओं के ऊपर व्यय किये जाने के लिये कितनी धनराशि निर्धारित की गयी थी, और इस अवधि में वास्तविक व्यय कितना हुआ है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** : ग्रामीण जल सम्भरण योजनाओं के लिये पंचवर्षीय योजना में वार्षिक आवंटन नहीं किया गया ह, परन्तु मैं यह बता दूं कि योजना में विभिन्न मंत्रालयों

---

†मूल अंग्रेजी में

के अन्तर्गत ग्रामीण जल सम्भरण के लिये कुल ६७ करोड़ रुपये का उपबन्ध किया गया है । उसमें से, प्रथम दो वर्षों में ९.६४ करोड़ रुपया व्यय हुआ है ।

†**श्री सुरेन्द्र पाल सिंह** : क्या यह सच है कि इन योजनाओं के सफलता पूर्वक क्रियान्वित किये जाने में मुख्य कठिनाई विभिन्न उन संस्थाओं के बीच प्रभावपूर्ण समन्वय का न होना है जो कि अपने भिन्न भिन्न और विशेष ढंगों से कार्य करती हैं, और यदि हां, तो क्या सरकार इस कठिनाई को दूर करने के लिये कोई कदम उठा रही है ?

†**डा० द० स० राजू** : जो कठिनाइयां सामने आई हैं उनके कारणों में से यह एक है और एक समन्वय समिति बना दी गई है ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : ग्रामीण जल सम्भरण का प्रश्न हमारे सामने इन सब वर्षों से रहा है, कम से कम गत बारह वर्ष तो रहा ही है । क्या मैं जान सकता हूं कि अब ग्यारह राज्यों के लिये इस प्रकार की जो संस्था बनाई है ऐसी संस्था को पहले बनाने से किसने स्वास्थ्य मंत्रालय को रोका था, जिससे कि यह भारत के सभी राज्यों के लिये होती ? मैं यह नहीं जानता कि अब तक इसमें इतना विलम्ब क्यों हुआ है और इतनी देर से अब हम सर्वेक्षण प्रारम्भ कर रहे हैं ।

†**डा० सुशीला नायर** : यह अनुसंधान विभाग सभी राज्यों के लिये मंजूर किया गया है ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : आपकी अनुमति से मैं यह जानना चाहता हूं कि इस सब वर्षों में सर्वेक्षण क्यों नहीं हुआ और इस कार्य को करने के लिये स्वास्थ्य मंत्रालय केवल अब ही क्यों जागा है ?

†**डा० सुशीला नायर** : पहले मैं यह बता दूं कि ग्रामीण जल सम्भरण के लिये स्वास्थ्य मंत्रालय का उत्तरदायित्व जल सम्भरण पाइप योजनाओं तक ही सीमित है जिसके लिये, ६७ करोड़ रूपये में से, १६ करोड़ रुपये स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकार में हैं । शेष धन में से, ३५ करोड़ रुपये स्थानीय निर्माण योजनाओं के अधीन योजना आयोग के अधिकार में हैं, ३ करोड़ से ४ करोड़ तक रुपये पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों की योजनाओं के अधीन गृहकार्य मंत्रालय के अधिकार में है, और १३ अथवा १४ करोड़ रुपये ग्रामीण जल सम्भरण योजनाओं के लिये सामुदायिक विकास मंत्रालय के अधिकार में हैं । स्वास्थ्य मंत्रालय ने पूरा अनुमान लगाने का और यह पता लगाने का प्रयत्न किया था कि कितने गांवों में योजनायें पूरी हो गई हैं और कितने गांवों में समस्या अभी तक कायम है । राज्य सरकारों और भारत सरकार के विभिन्न सम्बन्धित मंत्रालयों से जो कुछ जानकारी हम प्राप्त कर सके थे वह यह थी कि इतने लाख गांवों में न तो कुंए बनाये गये हैं और न कुंओं की मरम्मत ही हुई है, परन्तु इस सम्बन्ध में कोई निश्चित जानकारी भी नहीं थी कि कितने कुंएं नये खोदे गये हैं और कितनों की मरम्मत की गई है । और यह जानकारी कि कितने गांवों में काम को हाथ भी नहीं लगाया गया उपलब्ध ही नहीं थी । इसलिये, हमने यह सोचा कि कम से कम पानी की कठिनाई और कमी वाले क्षेत्रों के लिए इस जानकारी का प्राप्त करना आवश्यक है और गत वर्ष हमने योजना मंजूर कर दी है ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : यह कोई बहुत संतोषजनक बात नहीं है ।

†**श्री कपूर सिंह** : यदि मैं जान सकता हूं, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने भारत के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में जल के निरन्तर और पर्याप्त मात्रा में सम्भरण के लिये कोई निर्धारित लक्ष्य वाला कार्यक्रम बनाया है, और यदि हां, तो निर्धारित तिथि क्या है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**डा० सुशीला नायर** : हम इसे यथासम्भव शीघ्र करने का प्रयत्न करेंगे । व्यक्तिगत रूप से, मैं यह देखना पसंद करूंगी कि तृतीय योजना काल के अन्त से पूर्व प्रत्येक गांव में जल का सम्भरण हो, परन्तु मुझे बड़ा भारी सन्देह है कि वह लक्ष्य प्राप्त किया जायेगा अथवा नहीं ।

†**श्री कपूर सिंह** : मैं इनकी पसन्द अथवा नापसन्द को नहीं जानना चाहता परन्तु यह जानना चाहता हूं कि क्या कोई निर्धारित लक्ष्य वाला कार्यक्रम है । यह मेरा प्रश्न था ।

श्री यशपाल सिंह : जिन ग्रामों में आज से २२ महीने पहले टंकियां फिट हुई थीं उन में आज तक पानी का इंतजाम नहीं हुआ है, क्या मैं जान सकता हूं कि कब तक यह पानी का इंतजाम हो जायेगा ?

डा० सुशीला नायर : दो महीने पहले क्या हुआ था, मेरी कुछ समझ में नहीं आया ?

अध्यक्ष महोदय : जिन ग्रामों में आज से २२ महीने पहले यह टंकियां फिट हुई थीं उन में भी पानी का इंतजाम नहीं हुआ है और कब तक उसका इंतजाम हो जायगा ?

डा० सुशीला नायर : श्रीमन्, मेरे पास ऐसी कोई इत्तिला नहीं आई है कि २२ महीने पहले कुछ होना शुरू हुआ था ।

†**श्री त्यागी** : क्या सरकार उस सहायता के प्रतिरूप के सम्बन्ध में किसी निष्कर्ष पर पहुंची है जो कि किसी गांव को तब दी जा सकती है जब कि वह अपना एक कुआं बनाना चाहता हो अथवा जल सम्भरण की अपनी अलग व्यवस्था करना चाहता हो ? क्या वह प्रतिशत आधारपर दी जाती है अथवा एक बराबर के अनुदान के रूप में ? किसी प्रतिरूप का प्रस्ताव किया गया है अथवा भारत सरकार द्वारा अनुसरण किया जा रहा है ?

†**डा० सुशीला नायर** : कुओं के खोदने के लिये सहायता के प्रतिरूप का बताना मेरे लिये सम्भव नहीं है क्योंकि इस से सम्बन्धित कार्य स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा नहीं किया जाता । जहां तक पाइप द्वारा जल सम्भरण का सम्बन्ध है, हम ५० प्रतिशत अनुदान देते हैं ।

श्री शिवनारायण : श्रीमन्, क्या मैं जान सकता हूं कि सैंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से उत्तर प्रदेश सरकार को इस प्राबलम को हल करने के लिए कितने रुपये की मदद दी गई है ?

डा० सुशीला नायर : श्रीमन्, हर एक स्टेट को अलग अलग स्कीम के लिए जुदा पैसा नहीं दिया जाता है । सारी हैल्थ स्कीम के लिए एक मुट्ठी रकम दी जाती है ।

†**श्री श० ना० चतुर्वेदी** : ग्रामीण क्षेत्रों के लिये साफ-सुथरा पानी देने की व्यापक मांग है । क्या यह सच है कि इस प्रयोजन के लिये राज्यों को दिये गये अनुदानों के पूरे आवंटन का उपयोग नहीं किया गया है ?

†**डा० सुशीला नायर** : देरी हुई है उस कारण के अतिरिक्त जो कि एक माननीय सदस्य ने बताया था, अर्थात् यह कि पर्याप्त समन्वय नहीं है, ३—६" इंच व्यास के पाइपों की भी भारी कमी है । पम्पों, फिल्टरों और पानी के मीटरों की भी कमी है । हम अब इन आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ाने के लिये वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय से बातचीत कर रहे हैं ।

श्री रामसेवक यादव : क्या यह सही है कि सारे देश को साफ सुथरा पानी देने के लिए पच्चीस, तीस अरब रुपये की जरूरत होगी ? यदि हां, तो क्या इस प्रकार की कोई योजना मंत्रालय के सामने है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

डा० सुशीला नायर: ऐसा कुछ अन्दाज लगाया गया है कि पूरा सवाल हल करने के लिये अरबन एरियाज़ के लिये ६०० करोड़ रुपये और रूरल एरियाज़ के लिये ३०० करोड़ रुपये की जरूरत है । इतने रुपये की इस वक्त तो कुछ संभावना नज़र नहीं आ रही है, लेकिन जैसे जैसे स्कीम्ज बन रही हैं, हम उन सब को हल करने के लिए देश के अन्दर से और कुछ विदेशों से भी मदद हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं ।

श्री कछवाय : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या कई क्षेत्रों में नदियों, तालाबों और कुओं से पानी लेकर सीधा पब्लिक को पीने के लिये दे दिया जाता है, जिसके कारण नाडू और बाले की बीमारी होती है, जिससे लोग छः छः महीने बिस्तर पर पड़े रहते हैं ? क्या सरकार ने इस समस्या को हल करने के लिए कोई कदम उठाया है ।

डा० सुशीला नायर : यह बात सही है कि हिन्दुस्तान में बहुत सी जगहों में लोग अनप्रोटेक्टिड पानी पी रहे हैं । नाडू की बीमारी एक दुखद बीमारी है, जो कई जगहों पर है । वह उदयपुर में सब से अधिक पाई जाती है । उदयपुर के १४० गांवों में प्रोटेक्टिड वाटर-सप्लाई देने की एक योजना हमने इसी वक्त शुरू की है ।

†**श्री पें० वेंकटासुब्बया :** क्या यह बात सरकार के ध्यान में लाई गई है कि राष्ट्रीय ग्रामीण जल सम्भरण योजना के अधीन बहुत सी योजनाओं की क्रियान्विति का कार्य पंचायतों के ऊपर छोड़ दिया गया था और यह कि उनकी ठीक प्रकार से व्यवस्था नहीं की जा रही थी ?

†**डा० सुशीला नायर :** इस सम्बन्ध में हमारे पास कोई जानकारी नहीं है । यदि माननीय सदस्य के पास कोई ऐसी जानकारी है, तो वह कृपया उसे हमें दे दें ।

श्री प्रिय गुप्त : क्या मंत्राणी महोदया के ध्यान में यह बात आई कि राजस्थान में चुरू ज़िले के करीब हर एक गांव में दो तीन कुओं को छोड़ कर और कुएं नहीं हैं और वे भी गर्मियों में सूख जाते हैं और जो भी पानी पीने के लिये रह जाता है, वह बिल्कुल ख़ारा और ज़हरीला है, जिसको पीने से मवेशी वगैरह भी मर जाते हैं ; यदि हां, तो वहां के लिये पीने के पानी का क्या प्रबन्ध किया गया है ?

अध्यक्ष महोदय : एक एक गांव के लिये मिनिस्टर आफ हैल्थ कैसे जवाब दे सकती हैं ?

†**श्री प्रिय गुप्त :** पूरे ज़िले में । मैंने अभी हाल ही में उस स्थान का दौरा किया है । चुरु ज़िले में कहीं भी, किसी गांव में भी, पानी नहीं है ।

डा० सुशीला नायर : श्रीमन्, जैसा कि आपने फरमाया है, एक एक ज़िले की समस्या के बारे में बताना मेरे लिये कठिन है । राजस्थान की पानी की समस्या विशेष तौर पर विकट है, यह हम जानते हैं और उसकी तरफ तवज्जह दे रहे हैं ।

श्री प्रिय गुप्त : वहां पर ज़हरीला पानी है ।

श्री राम सहाय पाण्डेय : क्या स्टेट्स गवर्नमेंट्स की तरफ से माननीय मंत्राणी जी का ध्यान इस ओर भी दिलाया गया है कि जिन छोटे छोटे टाउन्ज़ में वाटर-वर्क्स तैयार हो गए हैं, वहां पर पाइप-लाइन्ज़ न होने की वजह से पानी की सप्लाई की तकलीफ हो रही है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

डा० सुशीला नायर : मैंने पहले ही अर्ज़ किया है कि पाइप्स की कमी है और उसे हल करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं ।

†**डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी :** श्रीमन्, व्यवस्था के एक प्रश्न पर । मैं बहुत गम्भीरता पूर्वक इसे उठाना चाहता हूं । मेरा निवेदन है कि इन बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर में हमें केवल टरकाऊ आश्वासन ही मिले हैं । जब हम यह पूछते हैं कि किसी विशेष मामले में क्या कार्यक्रम है, तो हमें यह बताया जाना चाहिये कि कार्यक्रम क्या है और आवंटन क्या है और यह कि इस महत्व पूर्ण समस्या के सम्बन्ध में कुछ करने का विचार है अथवा नहीं। क्या इस सदन में इस आश्वासन से अधिक कुछ आशा न की जाये कि सरकार यह अनुभव करती है कि समस्या बहुत गम्भीर और कठिन है ?

†**श्रीमती सावित्री निगम :** मैं यह सुझाव देती हूं कि इस प्रश्न पर कुछ और अनुपूरक प्रश्नों की अनुमति दी जाये ।

†**अध्यक्ष महोदय :** यही तो कठिनाई है । यह कदाचित संदेहपूर्ण है कि मुझे इस सम्बन्ध में डा० सिंघवी को क्या उत्तर देना चाहिये । पहली कठिनाई जो मैं अनुभव करता हूं वह यह है कि एक मूल प्रश्न को साथ साथ उठाने वाले लगभग १०, १२, १५, २० और कभी कभी ४० सदस्य होते हैं । यदि उन्हें कोई अवसर नहीं दिया जाता हैं तो उन्हें यह शिकायत रहती है कि यद्यपि वह प्रश्न के हस्ताक्षरकर्ता थे परन्तु उन्हें कोई प्रश्न पूछने का अवसर नहीं दिया गया ।

†**डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी :** मैं शिकायत नहीं कर रहा हूं ।

†**अध्यक्ष महोदय :** वह खड़े होते रहे हैं और अन्य माननीय सदस्य भी खड़े होते रहे हैं । बात यह है कि मैंने इस प्रश्न पर ७ अथवा ८ मिनट व्यय की हैं और यदि इन ७ अथवा ८ मिनट में भी माननीय सदस्य वह उत्तर नहीं पा सके हैं जो कि वे चाहते हैं तो वे अन्य अवसरों पर, इस प्रश्न को सदन के सम्मुख भी रख सकते हैं, ऐसी बात तो नहीं है कि मैं एक ही प्रश्न पर अनुपूरक प्रश्नों के पूछने की अनुमति देता रहूं ।

†**डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी :** मैं अनुपूरक प्रश्नों की अनुमति के लिये निवेदन नहीं कर रहा हूं , मैं उस बारे में शिकायत नहीं कर रहा हूं । **(अन्तर्बाधायें)**

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति ।

†**डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी :** अनुपूरक प्रश्नों को पूछने के लिये हमें अवसर दिया गया है । परन्तु उत्तर टालने वाले हैं । उनसे कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता । मंत्रियों को उचित व पर्याप्त उत्तरों के देने के लिये निर्देश देना आपके अधिकार में है, जिससे अग्रतर प्रश्नों की आवश्यकता ही न हो । उसे एक आंख मिचौली का खेल न होने दिया जाय ।

†**अध्यक्ष महोदय :** जब कभी उत्तर सन्तोषजनक नहीं होता तो तुरन्त ही सम्बन्धित माननीय सदस्य उठते हैं और कहते हैं कि उनके प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है ; तुरन्त ही वह इस बात को मेरे ध्यान में लाते हैं ; और जब कभी भी एक टालने वाला उत्तर होगा तो मैं सहायता करूंगा और मंत्री महोदय से कहूंगा कि जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनका वे सीधा, संक्षिप्त और जानकारी देने वाला उत्तर दें । वे उत्तर संक्षिप्त अवश्य ही होंगे। परन्तु अब, जब कि उस सब बात पर चर्चा हो गई है, सात अथवा आठ मिनिट बाद, उसे फिर से उठाने का कोई लाभ नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : श्रीमन्, आप अनुभव करेंगे कि मंत्री ने बिल्कुल भी कोई बात नहीं बताई है। मंत्री ने सरकार के कार्यक्रम के सम्बन्ध में कुछ भी नहीं कहा है। **(अन्तर्बाधा)**

†श्री प्रिय गुप्त : एक जानकारी के प्रश्न पर।

†अध्यक्ष महोदय : सभा की कार्यवाही में बाधा डालने के लिये जानकारी के प्रश्नों को उठाने का कोई उपबन्ध नहीं है।

कुछ माननीय सदस्य उठे—

†श्री विश्वनाथ राय : यह प्रश्न काल है परन्तु वे ऐसी बातें उठा रहे हैं जो कि चर्चा के मामले हैं, प्रश्न काल में इन मामलों पर चर्चा नहीं की जाती है।

†श्री हेम बरुआ : वह अन्तर्बाधा डाल रहे हैं।

†अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति। अगला प्रश्न।

ग्रामीण क्षेत्रों के लिये डाक्टर

†*५०९. { **श्री दीनेन भट्टाचार्य** :
श्रीमती विमला देवी :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री ३० मई, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या ११८६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों में डाक्टरों की कमी को पूरा करने के लिये सरकार द्वारा और क्या कदम उठाये गये हैं ?

†स्वास्थ्य मंत्रालय में उपमंत्री (डा० द० स० राजू): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० १६५२/६३।]**

†श्री दीनेन भट्टाचार्य : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या डाक्टरों की कमी को दूर करने के लिये राज्य सरकारों को आर्थिक राजसहायता देने की सरकार की कोई योजना है ?

†डा० द० स० राजू : विभिन्न सरकारों ने विभिन्न कदम उठाये हैं और राजसहायता की भी व्यवस्था है।

†श्री दीनेन भट्टाचार्य: विवरण से मुझे पता लगा है कि पश्चिम बंगाल में आगे और कोई कदम नहीं उठाये गये हैं क्योंकि वहां स्थिति सन्तोषजनक है। क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि पश्चिम बंगाल के बहुत से ग्रामीण औषधालयों में एक लम्बे अरसे से बिना डाक्टरों के ही कार्य हो रहा है ?

†स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : हमारी जानकारी के अनुसार पश्चिम बंगाल में ऐसी कोई समस्या नहीं है।

†श्री स० मो० बनर्जी: विवरण से ऐसा मालूम होता है कि जिन डाक्टरों को ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करना है उनके वेतनक्रम पुनरीक्षित कर दिये गये हैं। क्या यह सच है कि महिला डाक्टरों की विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करने के लिये भारी कमी है; और यदि हां, तो उन्हें ग्रामीण क्षेत्रों के लिये अधिक आकर्षित करने के हेतु क्या ठोस कदम उठाये जा रहे हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**डा० सुशीला नायर** : यह सच है कि महिला डाक्टरों की कमी है, परन्तु समस्या यह है कि जब कभी उन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में भेजा जाता है, कई राज्यों में , उनके जो प्रभावशाली मित्र हैं वे जाते हैं और दबाव डालते हैं और स्थानान्तरण के आदेशों को रद्द करा लेते हैं । (**अन्तर्बाधा**)

†**एक माननीय सदस्य** : यह एक आक्षेप है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : कोई आक्षेप नहीं है । आप प्रतिदिन ऐसा करते हैं । हमें भी यह स्वीकार करना चाहिये कि हम प्रतिदिन ऐसा करते हैं । माननीय स्वास्थ्य मंत्री को भी इस प्रकार के दबाव का प्रतिरोध करने के लिये सुदृढ़ होना चाहिये ।

†**डा० सरोजिनी महिषी** : क्या यह सच है कि कुछ मेडीकल कालेजों के डिग्री पाठ्यक्रमों को भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा मान्यता प्रदान नहीं की गई है और इसके परिणामस्वरूप प्रशिक्षित विद्यार्थियों को रोजगार पाने में कठिनाई हो रही है ?

†**डा० सुशीला नायर** : मैं देश के किन्ही ऐसे डाक्टरों के सम्बन्ध में नहीं जानती जिन्हें कि उनकी डिग्रियों की अमान्यता के कारण रोजगार पाने में कठिनाई हो रही हो । ऐसी समस्या उन कुछ डाक्टरों के सम्बन्ध में रही है जो कि हमारे पड़ोसी देशों से आये हैं, उदाहरणार्थ, ढाका से, और उनकी कठिनाइयों को दूर करने के लिये भी हमने कदम उठाये हैं ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : स्वास्थ्य मंत्रालय ने अभी आश्वासन समिति के द्वारा एक प्रश्न के उत्तर में यह बताया है कि किस राज्य में कितने अस्पताल ऐसे हैं जहां डाक्टर नहीं हैं और सब से अधिक संख्या उत्तर प्रदेश की थी जहां लगभग साढ़े तीन सौ डिसपैंसरीज़ ऐसी हैं जो बिना डाक्टर के चल रही हैं । क्या स्वास्थ्य मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश सरकार को कुछ सहयोग अथवा निर्देश इस सम्बन्ध में दिये हैं कि वहां डाक्टरों की व्यवस्था शीघ्र से शीघ्र की जाये ?

डा० सुशीला नायर : जी हां । उत्तर प्रदेश में सब से अधिक ट्रांसफर के आर्डरज़ कैंसल होते हैं । चार पांच मर्तबा कैंसल हुए हैं । उनको पत्र भी लिखा गया है, उनसे बैठ कर बातचीत भी की गई है और उन्होंने एक स्पेशल कमेटी नियुक्त की है यह देखने के लिये कि किस प्रकार से यह समस्या हल की जा सकती है ।

अध्यक्ष महोदय : अगर तबादला होता है तो एक डाक्टर एक जगह से दूसरी जगह चला जायेगा और न भी जायेगा तो वह कहां ही रहेगा । सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा कमी है, क्या यह ठीक है ? वैसे तो यह सवाल स्टेट गवर्नमेंट का हो गया । जो कभी है वह स्टेट गवर्नमेंट ने पूरी करनी है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने नहीं ।

श्री त्यागी : वहां की गवर्नमेंट काम नहीं कर रही है आजकल ।

डा० सुशीला नायर : राज्य सरकारों द्वारा कमी को पूरा करने की बात हो रही है । इस कमी को दूर करने के लिये जो उन्होंने किया है, वह मैंने स्टेटमेंट में अर्ज कर दिया है ।

†**डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : क्या यह अनुभव किया जाता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो डाक्टरों की कमी है वह मुख्य रूप से इस कारण से है कि चिकित्सा विद्या के स्नातकों की निकासी अपेक्षाकृत कम है । यदि हां, तो क्या तृतीय पंचवर्षीय योजना काल की शेष अवधि में कोई नये चिकित्सा विद्यालय

---

†मूल अंग्रेजी में

स्थापित करने का विचार है ? यदि इसका उत्तर स्वीकारात्मक हो तो, मैं यह जानना चाहूंगा कि, वे कहां, कब और किस प्रकार स्थापित किये जाने हैं ?

†**डा० सुशीला नायर :** श्रीमन्, चिकित्सा स्नातकों की निकासी में भारी वृद्धि हुई है और इसी प्रकार चिकित्सा विद्यालयों की संख्या में भी । परन्तु यह सच है कि आधे स्नातक भी सरकारी नौकरी में नहीं जाते क्योंकि सेवा की शर्तें बहुत ही अनाकर्षक हैं । शेष स्नातक निजी रूप से चिकित्सा करते है । इसलिये अब कई राज्य सरकारें चिकित्साशास्त्र के विद्यार्थियों से एक बौंड ले रही है कि स्नातक बनने के पश्चात वे राज्य सरकारों की कम से कम दो अथवा तीन वर्ष सेवा करेंगे जिससे कि वे लोग उन राज्य सरकारों की संस्थाओं के लिये उपलब्ध हो जायेंगे ।

†**डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :** मैं अपने प्रश्न के द्वितीय खण्ड का उत्तर जानना चाहता हूं कि क्या तृतीय पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि में किन्हीं नये चिकित्सा विद्यालयों को स्थापित करने का प्रस्ताव है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है कि उन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में जाने के लिये किस प्रकार प्रेरित किया जाय । आम कमी तो है, परन्तु वे ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं जाते और अपना निजी चिकित्सा कार्य प्रारम्भ कर देते हैं ।

†**डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :** यह मेरे प्रश्न के केवल एक खंड का ही उत्तर है । परन्तु निश्चय ही, यदि देश में चिकित्सा स्नातक पर्याप्त संख्या में हों तो गैर-सरकारी क्षेत्र में निजी रूप से चिकित्सा कार्य करने के लिये उन सभी का खपना सम्भव नहीं हो सकता । तब, वास्तव में, उन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में जाना ही पड़ेगा । इसलिये वास्तविक हल यही होगा कि नये चिकित्सा विद्यालय खोले जायें ।

†**अध्यक्ष महोदय :** उत्तर तो उन्होंने दे दिया है । वह अब और क्या चाहते हैं ?

†**डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :** यह तो वह हल है जिसका कि मैंने सुझाव दिया है । मैं तो यह जानना चाहता हूं कि कुछ नये चिकित्सा विद्यालयों को स्थापित करने का विचार है, और इस बात का उत्तर दिया जाना चाहिये ।

†**श्री दी० चं० शर्मा :** श्रीमन्, वह स्वास्थ्य मंत्री बनाने के योग्य हैं ।

†**डा० सुशीला नायर :** तृतीय पंचवर्षीय योजना काल की शेष अवधि में नये चिकित्सा विद्यालयों के स्थापित किये जाने को हतोत्साहित करने के लिये हम प्रत्येक सम्भव प्रयत्न कर रहे हैं क्योंकि विद्यमान विद्यालयों में ही अनुभवी शिक्षकों की बहुत कमी है । अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की ख्या काफी अधिक है । विद्यमान चिकित्सा विद्यालयों में प्रशिक्षण के स्तरों तथा शिक्षकों की स्थिति आदि को सुधारने पर हम अपना ध्यान केन्द्रित कर रहे हैं जिससे कि परीक्षाओं के परिणाम अधिक अच्छे रहें और डाक्टरों की निकासी बढ़ जाये ।

†**श्री दे० जी० नायक :** सेवा की शर्तें इतनी उत्साहवद्धक नहीं हैं कि जिनसे डाक्टर लोग ग्रामीण क्षेत्रों में जायें । क्या मैं जान सकता हूं कि क्या संघ सरकार राज्य सरकारों को उन सेवा की शर्तों को सुधारने का अनुदेश देगी ?

†**डा० सुशीला नायर :** श्रीमन्, हमने केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद में प्रति वर्ष इस प्रश्न पर चर्चा की है और परिषद ने अनेक प्रस्ताव पारित किये हैं जिनमें यह सिफारिश की गई है कि क्या सुधार

---

†मूल अंग्रेजी में

किये जा सकते हैं और क्या सुधार किये जाने चाहियें। राज्य सरकारों की भी वित्त आदि की अपनी कठिनाइयां हैं, परन्तु जैसा कि विवरण से स्पष्ट है वे सब कुछ न कुछ करने का प्रयत्न कर रही हैं।

श्री रामेश्वरानन्द : क्या मंत्री महोदया यह बतलाने की कृपा करेंगी कि कितने गांवों के बीच में देहातों में एक औषधालय होता है और उस औषधालय में वर्ष में कितने रुपये की औषधियां प्रयोग की जाती हैं और क्या उससे जो आवश्यकतायें होती हैं, उनकी पूर्ति हो जाती है ?

डा० सुशीला नायर: प्राइमरी हैल्थ सेंटर्ज करीब साठ हजार की आबादी पर रखे गये हैं। उस में डाक्टर और स्टाफ वगैरह भी एक विशेष निर्धारित पैटर्न के अनुसार और दवाइयां भी उनके अनुसार रखी जाती हैं।

श्री रामेश्वरानन्द : कितने रुपयों की औषधियां प्रयोग की जाती हैं यह नहीं बताया गया है।

†**अध्यक्ष महोदय** : अगला प्रश्न।

आयुर्वेद

†*५१०. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सरकार आयुर्वेद के अध्ययन को रोकने का विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि इस कारण वैद्यों और हकीमों में बहुत चिन्ता है ; और

(घ) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

†**स्वास्थ्य मंत्रालय में उपमंत्री (डा० द० स० राजू)** : (क) : जी, नहीं।

(ख) से (घ) : प्रश्न ही नहीं उठते।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : स्वास्थ्य मंत्रालय का यथोचित आदर करते हुए मैं यह कहना चाहता हूं कि मैं बहुत से आयुर्वेदिक चिकित्सकों से मिला हूं और वे सभी इस एकमत के हैं कि यह मंत्रालय आयुर्वेद के प्रति असहानुभूतिपूर्ण है और सुधार करने के लिये कुछ भी नहीं कर रहा है . . . .

†**अध्यक्ष महोदय** : उन्होंने एक प्रश्न पूछा और उसका उत्तर मिला कि उनकी जानकारी गलत है और ऐसी बात नहीं है। अब वह इस पर यह कह कर आलोचना कर रहे हैं कि उन्होंने कुछ लोगों को ऐसा कहते हुए सुना है, मंत्रालय को इस सम्बन्ध में क्या कहना है।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : मैं दूसरा प्रश्न पूछूंगा। आयुर्वेद की उन्नति के लिये निर्धारित किये गये धन में से कितना प्रथम तथा द्वितीय योजनाओं में और तृतीय योजना के प्रथम दो वर्षों में व्यय किया गया है और किस रूप में ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** : द्वितीय योजना में प्रशिक्षण अनुसन्धान पर १७·५५ लाख रुपये, स्नातकोत्तर प्रशिक्षण पर १६·९८ लाख रुपये, अन्य प्रशिक्षण संस्थाओं की उन्नति पर २५·९३ लाख रुपये, गवेषणा पर १२·३३ लाख रुपये और अन्य मदों पर लगभग १ लाख रुपये व्यय किये गये थे। एक करोड़ रुपये के कुल आवंटन में से कुल मिलाकर ७३·९३ लाख रुपये व्यय किये गये थे, जो कि एक बहुत अच्छा व्यय है। तृतीय योजना के प्रथम दो वर्षों में भी व्यय काफी संतोषजनक

---

†मूल अंग्रेजी में

रहा है। परन्तु क्या मैं यह कह सकती हूं कि आयुर्वेद की प्रगति व्यय किये गये धन की राशि से नहीं देखी जानी है क्योंकि आयुर्वेद का यह दावा है कि यह एक कम व्यय वाली प्रणाली है।

†**श्री दी० चं० शर्मा** :केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा आयुर्वेद के लिये कितने अनुसन्धान केन्द्र चलाये जा रहे हैं और उनके ऊपर कितना धन व्यय किया जा रहा है।

†**डा० सुशीला नायर** :जो कुछ मैं कह सकती हूं वह यह है कि एक भी ऐसी अनुसन्धान योजना अस्वीकृत नहीं की गई है जिसे कि विशेषज्ञों ने उचित स्तर का समझा है। स्वास्थ्य मंत्रालय तो आयुर्वेद में अनुसन्धान नहीं करेगा। आयुर्वेदिक चिकित्सकों को ही यह करना है। उन्हें योजनायें तैयार करनी होती हैं और विशेषज्ञों को देनी होती हैं।

श्री रघुनाथ सिंह : कितनी आयुर्वेदिक इन्स्टीट्यूशन्स हैं, जिनको सेन्ट्रल गवर्नमेंट इस वक्त सहायता दे रही है ?

डा० सुशीला नायर : सेंटर से सहायता देने का तो बहुत ज्यादा सवाल नहीं उठता है तो भी करीब बारह हैं जिन को मदद दी गई है। तीसरे प्लान में यह तय हो गया है कि स्टेट्स की मार्फत मदद दी जाये। मैं यह भी निवेदन कर दूं कि प्लानिंग कमीशन में जो पिछले साल एक पैनल बुलाया गया था उस में यह तय हुआ है कि शुद्ध आयुर्वेद की ट्रेनिंग होनी चाहिये, पुराना मिश्रित तरीका ठीक नहीं है। नए तरीके से किस तरह से काम को चलाया जाएगा, यह देखने की अभी आवश्यकता है।

श्री सरजू पाण्डेय: इस बात को देखते हुए कि आयुर्वेद में जो दवाइयां तैयार होती हैं, बहुत सस्ती होती हैं और गांवों के लिये ज्यादा फायदेमन्द हैं, सरकार कोई खास योजना इसको पापुलर बनाने के लिये बना रही है क्या ?

डा० सुशीला नायर : सस्ती होती हैं यह तो सब कहते हैं। लेकिन फिर यह भी कहते हैं कि आयुर्वेद पर ज्यादा खर्च करना चाहिये। जहां तक गांवों का सवाल है, वहां पर स्टेट गवर्नमेंट्स आयुर्वेद की डिसपेंसरियां चलाती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं चलाती है।

†**श्री बूटा सिंह** : क्या सरकार को यह ज्ञात है कि लोगों की चिकित्सा पद्धति मूल रूप से चरम वास्तविकता के उनके मत से सम्बन्धित है ? यदि हां, तो क्या मैं जान सकता हूं कि आयुर्वेद की तुलनात्मक उपेक्षा के क्या कारण हैं ?

†**डा० सुशीला नायर**: आयुर्वेद की उपेक्षा नहीं की जा रही है। हम इस आरोप को बिल्कुल ही स्वीकार नहीं करते।

†**श्री त्रिदिव कुमार चौधरी** : आयुर्वेद को आधुनिक वैज्ञानिक रूप देने के लिये क्या किया जा रहा है और एक प्रामाणिक आयुर्वेदिक भेषज संहिता तैयार करने की दिशा में क्या प्रगति हुई है ?

†**डा० सुशीला नायर** : जहां तक प्रामाणिक भेषज संहिता का प्रश्न है इसके लिये एक समिति स्थापित कर दी गई है और वह इस सम्बन्ध में कार्य कर रही है। जैसे ही वह तैयार हो जायेगी, माननीय सदस्यों को यह बता दिया जायेगा।

श्री राम सहाय पाण्डेय : मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि अमरीका और रूस में आयुर्वेद के बारे में बहुत बड़ी रिसर्च हो रही है, और क्या माननीय मंत्री महोदय को इसका पता है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

डा० सुशीला नायर : मेरे पास ऐसी कोई इन्फार्मेशन नहीं है ।

†**श्री तुलसी दास जाधव :** आयुर्वेदिक कालेज में आपरेशनों की पढ़ाई भी होती है । वे सिखाये जाते हैं । लेकिन क्या सरकार के पास कोई ऐसी कम्प्लेन्ट आई है कि बाहर जा कर जब विद्यार्थी लोग आपरेशन करते हैं तो वे बहुत सफल नहीं होते ?

डा० सुशीला नायर : आयुर्वेद में ज्यादातर दवाओं पर, जिस को मेडिसिन कहते हैं, ज्यादा जोर दिया गया है । सर्जरी पर कोई ज्यादा जोर नहीं दिया गया । जो इंटेग्रेटेड कालेजेज चले थे उन में कुछ सर्जरी वगैरह सिखाने की बात हुई थी लेकिन सर्जरी का उतना डवेलपमेंट (विकास) वहां भी नहीं है जितना होना चाहिये ।

प्रश्न संख्या ५११ के बारे में

†**अध्यक्ष महोदय :** अगला प्रश्न । श्री डी० सी० शर्मा ।

†**श्री दी० चं० शर्मा :** संख्या ५११ ।

†**श्री त्यागी :** क्या मैं प्रक्रिया का एक प्रश्न उठा सकता हूं ? मेरा सुझाव यह है । जब एक अनुक्रम में केवल एक ही माननीय मंत्री से सम्बन्धित प्रश्न लगातार आयें तो यह सम्भव होना चाहिये कि प्रश्नों का इस प्रकार वितरण किया जाये जिससे कि एक ही माननीय मंत्री पर प्रश्नों की बौछारों का बहुत अधिक दबाव न पड़े । मंत्रियों से लौट फेर कर बारी-बारी से प्रश्न पूछे जा सकते हैं ।

†**श्री कपूर सिंह :** माननीय आधारों पर मैं श्री त्यागी का समर्थन करता हूं ।

†**अध्यक्ष महोदय :** दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि सम्बन्धित माननीय मंत्रियों ने इस भार को बहुत अधिक अनुभव नहीं किया है । केवल माननीय सदस्य ही ऐसा अनुभव कर रहे हैं । श्री दी० चं० शर्मा ।

†**श्री दी० चं० शर्मा :** मेरे लिये बहुत हल्का भार है । प्रश्न संख्या ५११ ।

खाद्य अपमिश्रण अधिनियम

\+

†*५११. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री यशपाल सिंह :
श्री बाल्मीकी :
श्री दे० द० पुरी :
श्री बड़े :
श्री ज० ब० सिं० बिष्ट :

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १ जून, १९६३ के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में "खाद्य अपमिश्रण अधिनियम अपमिश्रण रोकने में असफल" शीर्षक के अधीन छपे समाचार की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है; और

---

†मल मूग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

†**स्वास्थ्य मंत्रालय में उपमंत्री (डा० द० स० राजू)** : (क) जी, हां।

(ख) दण्डों को अधिक अवरोधक बनाने की तथा विधि की उपेक्षा की गुंजाइश को दूर करने की आवश्यकता है। अपमिश्रण के लिये कारावास को अनिवार्य करने और अधिनियम के प्रभाव को बढ़ाने की दृष्टि से खाद्य अपमिश्रण अधिनियम, १९५४ में संशोधन करने के लिये उपयुक्त विधान को बढ़ावा देने का सरकार का विचार है।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : अर्थदण्ड के रूप में, कारावास के रूप में और जो व्यक्ति इसके लिये दोषी पाया जाये उसके व्यापार को बन्द करने के रूप में दण्ड को अधिक अवरोधक बनाने के लिये क्या प्रयत्न किये जाने वाले हैं ?

†**डा० द० स० राजू** : प्रथम अपराध के लिये ६ मास के कारावास को अनिवार्य बनाने का प्रस्ताव है। पहले कारावास अनिवार्य नहीं था। हमने वह खण्ड हटा दिया है। हमने प्रथम अपराध के लिये ६ महीने के कारावास, द्वितीय बार के अपराध के लिये २ वर्ष के कारावास और तृतीय अपराध के लिये ३ वर्ष के कारावास को अनिवार्य कर दिया है।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : कितने इंस्पैक्टरों द्वारा कितने मामले पकड़े गये थे, कितने मामले न्यायालय को भेजे गये थे, उनमें से कितने मामलों में मुकदमा चला था और कितने व्यक्तियों को दण्ड मिला था ?

†**श्री रंगा** कितने सारे प्रश्न।

†**अध्यक्ष महोदय** : इतने सारे प्रश्न नहीं। इस का भी उत्तर दिया जाये कि कितने प्रश्न मिला दिये गये थे।

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)**: देहली के सम्बन्ध में इस प्रश्न का उत्तर मैंने केवल एक अथवा दो दिन पूर्व दिया था।

†**अध्यक्ष महोदय** : जब इतने सारे प्रश्न मिला दिये जायेंगे, तो मैं माननीय मंत्रियों से उनमें से केवल एक का ही उत्तर देने को कहूंगा।

†**डा० सुशीला नायर** : मुझे डर है कि इन्सपैक्टरों तथा मामलों की संख्या बताना मेरे लिये सम्भव नहीं होगा क्योंकि इस सम्बन्ध में नगरपालिकाओं द्वारा कार्य किया जाता है और सहस्रों ही नगरपालिकायें हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : इसलिये, जो प्रश्न पूछे गये हैं उन में से एक का भी उत्तर देना सम्भव नहीं है। श्री यशपाल सिंह।

श्री यशपाल सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि चूंकि एग्जिस्टिंग ला मुलजिमान को सजा देने के लिये काफी नहीं हैं इसलिये इस सिलसिले में नया कानून लाने में कितनी देर की जायेगी ?

अध्यक्ष महोदय : यह तो अभी कहा गया मिनिस्टर साहब की तरफ से कि नया कानून सख्त किया गया है, दूसरी दफे आयेगा तो और सख्त किया जायेगा। इसकी बाबत जवाब दे दिया गया।

---

†मूल अंग्रजी में

†**श्री ज० ब० सिं० बिष्ट** : अपमिश्रण के अवसर को रोकने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

†**डा० सुशीला नायर** : मैं यह नहीं जानती कि हम क्या कर सकते हैं । हम विधियां बना सकते हैं और विधियों का उल्लंघन करने वालों को दण्ड दे सकते हैं । यही सभी के सम्बन्ध में है ।

श्री सरजू पाण्डेय : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह बात सरकार की नोटिस में आई है कि इस ऐक्ट के लागू होने के बाद इस तरह का भ्रष्टाचार बढ़ गया है और छोटे छोटे बनियों को रोज इस सिलसिले में पकड़ पकड़ कर उन का चालान किया जाता है ?

†**डा० सुशीला नायर** : यह तो एक अजीब किस्सा है, कि बहुत चिंता भी होता है ऐडल्टरेशन के बारे में और गुनहगार को सजा होती है तो उस की शिकायत भी होती है ।

†**श्री नाथ पाई**: क्या माननीय मंत्री का ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि इस का इतना बड़ा कारण विधि की अपूर्णता अथवा जटिलता नहीं है, परन्तु बुराई को रोकने के लिये लगाये गये, वे तथाकथित इंस्पैक्टर लोग हैं जो कि सहअपराधियों के रूप में तथा इन समाजविरोधी तत्वों के साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं । यह बात इस कानून को लागू करने में एक बड़ी रुकावट सिद्ध हो रही है ।

†**डा० सुशीला नायर** : श्रीमन्, विधि में यह व्यवस्था की गई है कि जब इंस्पैक्टर लोग नमूने लें तो उस समय दो स्वतंत्र साक्षी उपस्थित होने चाहियें । यह बात इस प्रकार की कपट संधि-को रोकने के लिये तथा इंस्पैक्टरों की सुरक्षा के लिये है । परन्तु बहुत से मामलों में लोगों का आना और इस कार्य में इंस्पैक्टरों की सहायता करना बहुत कठिन होता है ।

श्री पु० र० पटेल : जब तक प्रशासन दोषरहित और भ्रष्टाचार रहित नहीं होता तब तक चाहे दण्ड में वृद्धि भी कर दी जाये अथवा दण्ड दे भी दिया जाये तो भी क्या अधिक अच्छे परिणाम निकलने की कोई आशा है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यह अपनी अपनी राय का एक मामला है । श्री बनर्जी ।

†**डा० सुशीला नायर** : विधि प्रशासन का प्रश्न केन्द्रीय सरकार का उत्तरदायित्व तो तनिक भी नहीं है । यह तो राज्यों का है और राज्यों के अतिरिक्त . . . .

अध्यक्ष महोदय : मैंने इस प्रश्न की अनुमति नहीं दी है । श्री बनर्जी :।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : अपमिश्रण दिन प्रति दिन बढ़ रहा है । मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या जो लोग अपमिश्रण कार्य में भाग ले रहे हैं उनके विरुद्ध भारत प्रतिरक्षा नियमों के उपबन्धों को लागू करने का सरकार का विचार है ?

†**डा० सुशीला नायर** : मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि अपमिश्रण दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है । दिल्ली के गत तीन वर्षों के हम ने जो आंकड़े एकत्रित किये हैं उन से पता चलता है कि इस में कमी हुई है, वृद्धि नहीं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री अचल सिंह : क्या इस बात का कोई प्रचार किया जा रहा है कि मिलावट करना बुरा है और यह मिलावट नहीं करनी चाहिये ।

†**डा० सुशीला नायर :** स्वास्थ्य शिक्षा और नागरिक शिक्षा ऐसे मामले हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण हैं और हर एक कोई इस बात को मानता है ।

†**श्री हरि विष्णु कामत :** क्या यह समाचार सही दिया गया है कि माननीय मंत्री ने कुछ दिन पहले भोपाल में यह कहा था कि वह व्यक्तिगत रूप से ऐसे बहुत से खाद्य इंस्पैक्टरों को जानती हैं जिन्होंने इतना धन इकट्ठा कर लिया है कि वे ढेर सारी कारें रख सकते हैं और अपने बच्चों को विदेशों में शिक्षा के लिये भेज सकते हैं, और यदि हां, तो क्या इस कथन का अर्थ खाद्य इंस्पैक्टरों की अदक्षता तथा उनके द्वारा किये जाने वाले भ्रष्टाचार से है; इस प्रकार की बुरी हालत के लिये क्या इलाज है ?

†**डा० सुशीला नायर :** जी, नहीं । यह समाचार सही नहीं है ।

†**श्री हरि विष्णु कामत :** सही समाचार क्या है ?

†**डा० सुशीला नायर :** मैंने यह तो कहा था कि ऐसे समाचार मिले हैं कि खाद्य इंस्पैक्टर धनवान हो जाते हैं जिसका मन्तव्य यह था कि भ्रष्टाचार है । नगरपालिका प्रशासन में अधिक अच्छी दक्षता तथा और उत्तम साधुता लाने की आवश्यकता है ।

संयुक्त विद्युत "पूल"

\+
*५१२. { **श्री भक्त दर्शन :**
　　　श्री भागवत झा आजाद :

क्या सिंचाई और विद्युत मन्त्री ४ अप्रैल, १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या ७०८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि पंजाब, दिल्ली तथा उत्तर प्रदेश राज्यों के लिये एक संयुक्त विद्युत् 'पूल' बनाने के सम्बन्ध में इस बीच और क्या प्रगति हुई है ?

†**सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० क० ल० राव) :** एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है

विवरण

पंजाब उत्तर प्रदेश बिजली व्यवस्थाओं के परस्पर मिलाये जाने के प्रश्न पर केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग ने दिल्ली बिजली सम्भरण उपक्रम और उत्तर प्रदेश तथा पंजाब के राज्य बिजली बोर्डों के प्रतिनिधियों के साथ मई १९६३ में चर्चा की । इस कार्य के लिये निम्न ट्रांसमिशन लाइनें बनाना स्वीकार किया गया है :—

(क) मुरादनगर (उ० प्र०) से दिल्ली 'ग' केन्द्र तक २२० के वी लाइन ।

(ख) फरीदाबाद (पं०) से दिल्ली 'ग' केन्द्र तक २२० के वी लाइन ।

(ग) गाजियाबाद और शाहदराबाद के बीच ६६ के वी एक सर्किट ।

'ग' की सम्पर्क लाइन, उपरोक्त (क) में उल्लिखित लाइन पूरी होने तक संकटकालीन स्थिति में उत्तर प्रदेश और दिल्ली के बीच बदल सकेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

पंजाब और उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्डों ने प्रारम्भिक कार्य आरम्भ कर दिया है और २-३ वर्ष में इनके पूर्ण होने का कार्यक्रम किया गया है ।

†**श्री भक्त दर्शन :** पिछले अवसर पर, जब इस प्रश्न का उत्तर दिया गया तो सरकार ने ऐसी धारणा होने दी थी इस संयुक्त बिजली पुंज के अन्तर्गत समूचा पंजाब और उत्तर प्रदेश आ जाएंगे। किन्तु अब विवरण से पता चलता है कि केवल तीन छोटी योजनाएं, जो दिल्ली के बिल्कुल समीप हैं, प्रारम्भ की जाने वाली हैं । मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इन तीन छोटी योजानाओं को पूरा करके काम बन्द कर देगी या भविष्य में इनका विस्तार करने का इरादा है ।

†**डा० कु० ल० राव :** पिछले उत्तर को ठीक तरह नहीं समझा गया । उत्तर प्रदेश, दिल्ली और पंजाब के बीच अन्तर्सम्बन्ध स्थापित किया जा रहा है । इसके दो लाभ हैं। पहले लाभ यह है कि तीसरी योजना की समाप्ति पर, हमें पजाब में लगभग ७४ मैगावाट और उत्तर प्रदेश में लगभग ११७ मैगावाट बिजली की कमी होने की अपेक्षा है और दिल्ली में उपलब्ध बिजली वहां की कमी को पूरा कर सकेगी । दूसरी लाभ मौसमी बिजली, जल विद्युत्, जो भाखड़ा है उसे दिल्ली में प्रयोग में लाया जाएगा । उस अवधि के लिये तीन या चार महीनों के लिये दिल्ली में कोयला की बचत हो जाएगी ।

†**श्री भक्त दर्शन :** इन छोटी योजनाओं को पूरा करने में भी दो-तीन वर्ष लगेंगे । क्या सरकार सम्बद्ध राज्य सरकारों की सहायता करने का इरादा करती है ताकि वे पहले इस कार्य को पूरा कर सकें ?

†**डा० कु० ल० राव :** ये छोटी योजनाएं नहीं । इस अन्तर्सम्बन्ध व्यवस्था में ये महत्वपूर्ण सम्पर्क हैं । इन पर डेढ़ करोड़ रुपया खर्च होने की आशा है । यह पहले किया जाना चाहिये । किन्तु इसे दो या तीन वर्षों तक ले जाने में मुख्य बात यह है कि हमें इस लाभ को प्राप्त करने से पहले भाखड़ा और फरीदाबाद को मिलाना होगा । यह अवधि क्यों नियत की गई है ?

†**श्री भागवत झा आजाद :** इन तीनों छोटी योजनाओं को छोड़ कर क्या सरकार के पास बिजली व्यवस्थाओं को मिलाने के बारे में दोनों सम्बद्ध राज्य सरकारों से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और यहां पर्याप्त बिजली रखने के सम्बद्ध में भी ।

†**डा० कु० ल० राव :** ये छोटी योजनाएं नहीं हैं, वे इन तीनों व्यवस्थाओं को मिलाने के लिये अत्यन्त महत्वपूर्ण सम्पर्क हैं । कोई अन्य प्रस्ताव नहीं हैं ।

†**श्री भागवत झा आजाद :** वे छोटी योजनाएं चाहे न भी हों, किन्तु बात यह है कि वे बड़ी योजनाएं नहीं हैं, या पर्याप्त नहीं हैं ।

†**श्री इकबाल सिंह:** क्या यह सच है कि पंजाब में बिजली की कमी है, और जब कि पंजाब को इस संयुक्त व्यवस्था के अन्तर्गत दिल्ली को अधिक बिजली देने के लिये बाध्य किया जा रहा है और यहां बिजली हीटरों, कूलरों तथा रैफरीजरेटरों पर गंवाई जा रही है और पंजाब के किसानों को बिजली की कमी रहती है ।

†**डा० कु० ल० राव :** तीसरी योजना की समाप्ति पर, पंजाब में कमी रहेगी और वह कमी दिल्ली की फालतू बिजली से पूरी की जाएगी ।

†**श्री श० ना० चतुर्वेदी :** उत्तर प्रदेश के बिजली की कमी को किस मात्रा तक दिल्ली को उस फालतू बिजली से पूरा किया जाएगा, जो दिल्ली को दी जाती है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†डा० कु० ल० राव : मैं इस का उत्तर दे चुका हूं कि उत्तर प्रदेश की कमी इस अन्तर्संबंध द्वारा बड़ी मात्रा में पूरी की जाएगी और हमने स्थिति को सुधारने के लिये हरदुआगंज में ६० मैगावाट की दो और इकाइयां स्थापित करने की कार्यवाई की है ।

†श्री त्रियगुप्त : कुछ क्षेत्रों में बिजली भेजने के संबंध में या संबंधित क्षेत्रों और नगर पालिकाओं को कठिनाई पहुंचाये बिना अन्य क्षेत्रों को बिजली भेजने के संबंध में नियंत्रण गृह (कंट्रोल हाउस) के निदेश निबंधन क्या हैं ? कौन मार्ग दर्शन करेगा ?

†डा० कु० ल० राव : अन्तर्संबंध की वर्तमान व्यवस्था के अन्तर्गत, यह तीनों राज्यों के समझौता से है, जो नियत करना होगा और बिजली का विनियम किया जाएगा । किन्तु, बाद में हम एकीकृत व्यवस्था का लक्ष्य कर रहे हैं और तब तक हम उस के लिये एक पृथक प्रादेशिक अभिकरण रखेंगे ।

†श्री बूटासिंह : क्या यह सच है कि पंजाब सरकार ने दिल्ली में बिजली की दरों को बढ़ाने के लिये प्रस्ताव दिया है और यदि हां, तो उस के बारे में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

†डा० कु० ल० राव : मेरे पास इस विधेयक में सूचना नहीं है ।

दण्डकारण्य परियोजनाओं की औद्योगिक संभाव्यतायें

+

†*५१३. { श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : }

क्या निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दण्डकारण्य परियोजना की औद्योगिक संभाव्ताओं की जांच की है ; और

(ख) यदि हां, तो दण्डकारण्य विकास प्राधिकार ने इस दिशा में क्या कार्यवाही की है ?

†निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर) : (क) और (ख) : जी हां । राष्ट्रीय व्यवहारिक आर्थिक अनुसंधान परिषद ने दण्डकारण्य क्षेत्र का प्राविधिक आर्थिक सर्वेक्षण हाल ही में पूरा किया है । खनिज तथा वन संसाधनों पर आकभीक उद्योगों की स्वच्छता के बारे में परिषद की सिफारिशें विचाराधीन हैं ।

†श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : दण्डकारण्य में बसे हुए विस्थापित कृषकों को उद्योगों के द्वारा अपनी आय बढ़ाने में सहायता देने के लिये बनाई गई स्वीकृत प्रणाली का ठीक रूप क्या है ?

†श्री पू० शे० नास्कर : मैं प्रश्न को नहीं समझ पाया । हमने दण्डकारण्य क्षेत्र का विकास पहले विस्थापित लोगों के पुनर्वास से आरम्भ किया । यह तथ्य है कि अधिकांश बसे हुए लोग कृषक हैं । परन्तु दण्डकारण्य परियोजना का दूसरा प्रक्रय क्षेत्र का समीकृत विकास है और यह सर्वेक्षण उस उद्देश्य को पूरा करने के लिये किया गया है । उस क्षेत्र में जो कुछ किया जा सकता है उस का सुझाव सर्वेक्षण दल ने किया है ।

†श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : इस क्षेत्र में औद्योगिक विकास की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार कुछ विस्थापित लोगों को वहां लाने का विचार करती है जो, अनिवार्य रूप से कृषक न हों ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री प० शे० नास्कर** : इस समय तो पश्चिम में १० प्रतिशत गैर कृषक विस्थापित लोगों को लाने का विचार है ।

†**श्री कपूर सिंह** : मैं यह जानने को उत्सूक हूं कि क्या पंजाबी उद्योगपतियों और कृषकों को खपाने के लिये इस परियोजना में कोई संभावना और गुंजाइश है ?

†**श्री पू० शे० नास्कर** : इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

†**श्री भागवत झा आजाद** : क्या सरकार द्वारा वर्तमान प्राविधिक आर्थिक सर्वेक्षण किये जाने से पहले, उन्होंने किसी समय इस क्षेत्र के औद्योगिक विकास की संभावनाओं की जांच की थी ताकि आप लोगों को रोजगार दिया जा सके और उन की आय को बढ़ाया जाए जो पहले से वहां हैं या जो बाद में अन्य स्थानों से वहां लाये जाएं ?

†**श्री पू० शे० नास्कर** : यह क्षेत्र दो कारणों में विस्थापित लोगों को बसाने के लिए चुना गया था । यह क्षेत्र अविकिसित है और खनिज संसाधन काफी उपलब्ध हैं। यहां जनसंख्या भी कम है । यह विकास के लिये आदर्श क्षेत्र समझा गया ।

†**निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : हम इस क्षेत्र को विस्थापित लोगों क्या आदिम जाति के लोगों को पुनर्वास लाभ देने के उद्देश्य से विकसित कर रहे हैं । इस समय इस से अधिक हमारा लक्ष्य नहीं ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : विशिष्ट क्षेत्र में छोटे उद्योगों के विस्तार के साथ, क्या विस्थापित लोगों को वहां लाभप्रद रोजगार प्राप्त होगा ? यदि हां तो न्यूनतम मजूरी क्या होगी ।

†**श्री पू० शे० नास्कर** : उस क्षेत्र म जो भी छोटे पैमाने के उद्योग स्थापित किये गये हैं, वे वहां बसरे वाले लोगों को अतिरिक्त रोजगार और सुविधा देने के लिये खोले गये हैं । किन्तु इस समय मैं मजूरी के ठीक आंकड़े बताने में असमर्थ हूं ।

†**श्री पें० वेंकटासुब्बया** : क्या यह सच है कि उस क्षेत्र में उद्योगों की कमी के कारण वहां बसाये गये लोग अच्छी आजीविका कमा नहीं सकते ? यदि हां, तो वहां यथाशीघ्र ग्रामीण उद्योग आरम्भ करने के हेतु सरकार क्या कार्यवाई करने का इरादा करती है ।

†**श्री पू० शे० नास्कर** : वहां अधिकतर किसान बसाये गये हैं जो खेती बाड़ी करते हैं । साथ ही उन की आय को बढ़ाने के निमित छोटे उद्योग खोले गये हैं ।

जल संभरण की समस्या

+

*५१४. **श्री सुरेन्द्र पाल सिंह :**
श्री नवल प्रभाकर :

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में जल संभरण की समस्या को सुलझाने के लिये किसी विदेशी सलाहकार को बुलाने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो यह सलाहकार किस देश से आयेंगे ?

---

†मूल अंग्रेजी में

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर): (क) और (ख). वृहत्तर कलकत्ता की जल-सम्भरण समस्याओं के बारे में सलाह लेने के लिये विदेशी सलाहकार बुलाये गये हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के क्षेत्रीय कार्यालय के जन स्वास्थ्य इंजीनियरों की सेवाओं सरकार को प्राप्त हैं।

अध्यक्ष, जल बोर्ड, (पीने का पानी) के और सलाहकार बुलाने के सुझाव पर भी विचार हो रहा है :

†**श्री सुरेन्द्र पाल सिंह** : इस बात को देखते हुए कि भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण संस्था तथा भारतीय जल विज्ञान सर्वेक्षण संस्था जल संभरण की सस्मस्या को हल करने में बहुत सहायक सिद्ध हो सकते हैं, क्या मैं जान सकता हूं कि इस समस्या के समाधान के लिये इस मंत्रालय ने उनके विशेषज्ञों से कोई विचार विमर्श किया था।

†**डा० सुशीला नायर** : हां, कुछ बैठकें हुई थीं और उनके साथ हमने चर्चा की थी।

†**श्री सुरेन्द्रपाल सिंह** : क्या जल संभरण की सम्पूर्ण समस्या पर विचार करने के लिये विशेषज्ञों की एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति बनाने का कोई प्रस्ताव है ? यदि हां, तो इसे कितनी जल्दी बनाया जायेगा ?

†**डा० सुशीला नायर** : हमने भारतीय भू–विज्ञान सर्वेक्षन संस्था तथा उन के क्षेत्रीय कार्यालयों से प्रार्थना की है कि विभिन्न क्षेत्रों में वे हमारे अनुसन्धान विभागों के साथ कार्य करें, उन्हें सलाह दें, तथा उन की सहायता करें।

†**श्री बासप्पा** : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या मंत्री महोदया को हाल ही में पता चला है कि बंगलौर में पानी की बहुत ही कमी महसूस की जा रही है ? यदि हां, तो क्या से इस के बारे में कुछ किया गया है ?

†**डा० सुशीला नायर** : बंगलौर की जल समस्या बहुत गंभीर है। और कुछ समय से भारत सरकार के विचाराधीन है। कावेरी से पानी लाने की एक योजना तैयार हो रही है। योजना आयोग के सदस्या प्रो० थैकर, जिनके हाथ में यह काम है, बंगलौर जा चुके हैं तथा उन्हों ने इस परियोजना की योजना को पूरा करने के लिये उन्हें कुछ सलाह दी है। इस के पूरा होने पर वित्त की व्यवस्था करने के मार्गोपायों पर विचार किया जायेगा।

श्री कठवाय : देश में जो बड़े बड़े कारखाने हैं उनमें से जो पाइजनस पानी निकलता है उसको नदियों और तालाबों में मिला दिया जाता है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस के बारे में भी उन लोगों से सलाह मशविरा किया जायेगा जो कि बाहर से बुलाए जा रहे हैं ?

डा० सुशीला नायर : माननीय सदस्य ने ठीक कहा है। कई जगह इंडस्ट्रियल यूनिट्स पीने के पानी को खराब कर रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय प्रिन्वेंशन आफ रिवर पाल्यूशन के बारे में एक लेजिस्लेशन लाने का विचार कर रहा है।

श्री तुलसी दास जादव : देहातों में जो कुंएं खोदे जाते हैं उन में कई बार पानी नहीं निकलता। मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह बताने के लिये भी बाहर से किसी एक्सपर्ट को बुलाया जाएगा कि किस जगह पानी निकलेगा।

डा० सुशीला नायर : हम को विदेशों से कोई वाटर डिवाइनर मिलेगा यह तो मैं नहीं जानती। लेकिन जो लोग पानी के सवाल के बारे में सलाह दे सकते हैं उन से सलाह ली जायेगी।

---

†मूल अंग्रजी में

अल्प सूचना प्रश्न तथा उत्तर

राजस्थान में अभाव की स्थिति

+

†अल्प सूचना प्रश्न संख्या ३. { श्री कर्णीसिंह जी :
श्री भानु प्रकाश सिंह :
डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विदित है कि राजस्थान के बीकानेर और जोधपुर जिलों में अल्प तथा असन्तुलित वर्षा से उत्पन्न अभाव की स्थिति के कारण पशुओं के लिये चारे की व्यवस्था करने और लोगों को रोजगार दिलाने के लिये सहायता कार्यों की तुरन्त आवश्यकता उत्पन्न हो गई है; और

(ख) उक्त संकट को दूर करने के लिये सरकार ने राज्य सरकार को क्या वित्तीय सहायता दी है ?

†खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) और (ख) १९६३ के जुलाई महीने के एक बहुत बड़े भाग में वर्षा न होने के कारण राजस्थान के कुछ जिलों में अभाव की स्थिति से उत्पन्न होने के बारे में जुलाई, १९६३ के अन्त में समाचार मिले थे। तथापि, अब स्थिति काफी बदल गई है क्योंकि २८ जुलाई, १९६३ के बाद से राजस्थान के अधिकतर भागों में दूर दूर तक वर्षा हुई है राज्य सरकार ने सूचना दी है कि स्थिति काफी सुधर गई है। राजस्थान कार ने यह भी सूचित किया है कि घास तथा चारे के लिये उन की मांग अब उतनी नहीं होगी जितनी कि वर्षा होने से पहले होने की आशा थी।

जुलाई, महीने के बहुत बड़े भाग में राज्य के कुछ जिलों में वर्षा न होने के कारण उत्पन्न स्थिति का सर्वोत्तम ढंग से कैसे सामना किया जाये इस बारे में राजस्थान के मुख्य मंत्री से बातचीत की गई थी और उस के परिणामस्वरूप उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश तथा मध्य प्रदेश के पड़ौसी राज्यों से अनुरोध किया गया था कि जो भी अतिरिक्त घास और चारा वे दे सकें राजस्थान को दें। उत्तर प्रदेश से १०,००० मन घास तथा भिवानी से ३,००० टन ग्वार तुरन्त संभरण के लिये देने का संकेत मिला था। उत्तर प्रदेश ने भूसा देने का भी प्रस्ताव किया था।

प्यासे पशुओं को पानी देने तथा चारे और खरीफ की फसलें उगाने के लिये पंजाब सरकार ने हमारी प्रार्थना पर भाखड़ा मुख्य लाइन से राजस्थान की नहरों के लिये ६०० क्यूसिक पानी छोड़ना मान लिया था।

अभावग्रस्त क्षेत्रों की सहायतार्थ केन्द्रीय गोसंवर्धन परिशद् द्वारा एक लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई है तथा भारतीय जनता दुर्भिक्ष न्यास द्वारा २५००० रुपये की एक और राशि स्वीकृत की गई है।

राज्य सरकार ने विभिन्न प्रकार के सहायता कार्यों के लिये १६,३०,००० रुपये की राशि स्वीकृत की है। तकावी ऋणों के लिये भी ४,३०,००० रुपये की राशि आवंटित की गई है।

---

†मूल अंग्रजी में

†**श्री पु० र० पटेल** : एक औकित्य प्रश्न पर, श्रीमान्, मैं ने कच्छ के बारे में एसी ही एक सूचना दी थी क्योंकि वहां खाद्य तथा घास तथा उन सभी वस्तुओं का अभाव है और वर्षा हुई नहीं है परन्तु उस सूचना को रद्द कर दिया गया था। इसलिये मैं इस सम्बन्ध में नियम जाानना चाहता हूं। यदि कांग्रेस दल का कोई सदस्य सूचना भेजता है तो वह रद्द कर दी जाती है; यदि दूसरी ओर से भेजी जाती है तो स्वीकृति दे दी जाती है। अतः मैं जानना चाहता हूं कि नियम क्या हैं।

†**डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी** : एक औचित्य प्रश्न पर। यह अध्यक्ष पर आक्षेप है।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या मैं एक निवेदन कर सकती हूं ? मैं कहना चाहती हूं कि अब तक अल्प सूचना प्रश्नों को स्वीकृति के प्रश्नों के बारे में इतना वहम हो गया है कि इस चीज का हमें कोई कारण नहीं मिलता कि मंत्री द्वारा क्या स्वीकृत होता है और क्या नहीं। इसलिये मैं समझती हूं कि विरोधी दलों तथा कांग्रेस के बारे में आक्षेप किये बिना यह ठीक रहेगा कि सदन के प्रत्येक सदस्य को मंत्रिगण से ज्ञात हो जाना चाहिये कि वे कब स्वीकार करते हैं, क्यों स्वीकार करते हैं तथा कई अन्य अवसरों पर वे रद्द क्यों कर देते हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : ठीक यही कठिनाई मेरे साथ है।

पहले मुझे श्री पटेल को उत्तर देना चाहिये। यह स्वीकार हो सकता था क्योंकि इस का संबंध उन पशुओं से है जो बोल नहीं सकते और अपना प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते। हो सकता है कि यह एक कारण हो।

फिर यह विकल्प तो मंत्री महोदय का है कि वह कोई अल्प सूचना प्रश्न स्वीकार करें या न करें। इस में मुझ कोई प्राधिकार प्राप्त नहीं है इसलिय वह मुझे क्षमा करेंगे और इस बारे में मुझ पर कोई आक्षेप नहीं करेंगे।

†**श्री पु० र० पटेल** : मैं मंत्री महोदय से व्याख्या चाहता हूं।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह मंत्री महोदय के विवेक पर है कि वह कोई अल्प सूचना प्रश्न स्वीकार करें या न करें। यदि कोई एसी चीज आती हैजो मंत्री महोदय अल्प सूचना प्रश्न स्वीकार नहीं करते और यदि मेरे विचार में वह बहुत महत्वपूर्ण हो तो मैं इसे एक साधारण प्रश्न मान कर स्वीकृत कर लेता हूं। मैं तो यही कर सकता हूं। मैं और कुछ नहीं कर सकता परन्तु यदि एसी बातें मेरे ध्यान में लाई जायेंगी तो मैं निश्चय ही मंत्रियों से बात करूंगा कि कुछ सिद्धान्त होने चाहियें जिन के आधार पर इन्हें स्वीकार किया जाना चाहिय। मैं यह बात करूंगा।

†**श्री त्यागी** : यह प्रश्न किन आधारों पर स्वीकृत किय जाते हैं ? और किन पर रद्द कर दिये जाते हैं क्या मैं आप से इस की विस्तृत प्रक्रिया को स्पष्ट करने की प्रार्थना कर सकता हूं। सदस्यों को कोई स्पष्टीकरण दे दिया जाय।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं तो तभी स्पष्ट कर सकता हूं यदि कुछ सदस्य मेरे पास आयें, चर्चा करें और मुझे बतायें कि वे क्या चाहते हैं। यहां सारे सदन में तो इस पर चर्चा नहीं की जा सकती। हम किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचेगें। नियम स्पष्ट हैं और उन के अनुसार ही मैं निर्णय करता हूं। आज श्री त्यागी की एक ध्यानकर्षी सूचना है। जब भी कभी इस सदन में किसी ने कोई आपत्ति उठाई है तो वह सदा मेरी सहायता को आए हैं। आज जन इन की सूचना है और मैं ने उसे रद्द कर दिया है तो वह मामले को उठाते हैं और मैं नहीं जानता कि इस समय कहां से मदद लूं।

---

†मूल अंग्रजी में

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : मेरा निवदन यह है कि ध्यानकर्षी सूचनायें उन बहुत से स्थगन प्रस्तावों के स्थान पर दो जाती हैं जो कि पहले दिया जाया करते थे। उस समय हम ठीक से जानते थे कि स्थगन प्रस्ताव की चर्चा के क्षत्र में क्या क्या आता है। अब बोकारो परियोजना जैसा महत्वपूर्ण विषय है। यह बहुत प्रत्यक्षतः इस सदन से सम्बन्धित है। जब हम एक ध्यानकर्षी सूचना भेजते हैं तो हमें बताया जाता है कि एक अल्प सूचना प्रश्न है इसलिय इसे स्वीकृत नहीं किया जायेगा। उस के बाद एक, दो, तीन, पांच, छः दिन गुजर जाते हैं लेकिन न तो अल्प सूचना प्रश्न ही आता है और न ध्यानकर्षीय सूचना। हम स्थगन प्रस्ताव देना नहीं चाहते।

†**अध्यक्ष महोदय** : अल्प सूचना प्रश्नों के बार में मैं पहले ही कह चुका हूं कि मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता ..... (**अन्तर्बाधायें**)। बोकारों के बारे में माननीय महिला सदस्या को पता होना चाहिये कि मैं इस पर जोर देता रहा हूं और मुझ कुछ पत्र मिले हैं। यह अभी तक मौजूद है। इसे फक नहीं दिया गया है। लेकिन कभी कभी वक्त इतना नाजुक होता है कि देश के हित में एसा करना सम्भव नहीं हो पाता और उस समय हो सकता है कि मुझ सरकार से सहमत होना पड़े कि यह उपयुक्त समय नहीं है, कि इस पर उसी विशष समय चर्चा न हो। हो सकता है कि पत्र-व्यवहार चल रहा हो और एसी हालत में यहां उस पर बहस करने से हमारे हितों को फायद की बजाय नुक्सान पहुंच सकता है। इस लिये मैंने सोचा कि मैं इसमें कुछ दिनों की देर कर दूं। उनकी सूचना मेरे पास है और शायद इसे स्वीकार कर लिया जायगा और इसका उत्तर दिया जायेगा ; वक्तव्य बहुत जल्दी दिया जान वाला है ।

†**श्री त्यागी** : आपकी बड़ी कृपा है। हम सदा आपके विनिर्णय का पालन करते हैं क्योंकि मेरे विचार में वह सदा न्यायोचित होता है। मेरी सूचना के बारे में भी जो आज आपने रद्द कर दी है मुझ विश्वास है कि यह ठीक निर्णय ही होगा। परन्तु मैं आप से यह निवदन कर रहा था कि हमें नियमों का अवश्य पता होना चाहिये। मैं इस पर चर्चा करना नहीं चाहता क्योंकि इसे स्वीकार नहीं किया गया है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : वह अभी इस पर चर्चा करने जा रहे हैं।

†**श्री त्यागी** : उच्चतम न्यायालय ढेर से शब्दों में देहली प्रशासन के काम की निन्दा करता है। मैं स्थगन प्रस्ताव के लिये नहीं कह सकता मैं समझता हूं कि उसके लिये कोई ठोस आधार आवश्य होंगे। तब मैं अल्प सूचना प्रश्न के लिये कहता हूं।

†**अध्यक्ष महोदय** : पिछले तीन दिनों से उच्चतम न्यायालय के विभिन्न निर्णयों पर मुझे बहुत सी सूचनायें मिल रही हैं मैं सदन को सूचित करना चाहता हूं कि मेरी राय में उच्चतम न्यायालय के निर्णय ऐसे विषय नहीं हैं जिन्ह ध्यानाकर्षी सूचना अथवा स्थगन प्रस्ताव का कारण बनाया जाये। किसी विशेष अवसर पर कुछ ऐसे विशेष मामले हो सकते हैं जिनकी ओर ध्यान दिलाया जा सकता है तथा कोई विशेष मांग की जा सकती है .... (**अन्तर्बाधायें**)

श्री रंगा : परन्तु उच्चतम न्यायालय तो एक मात्र अभिरक्षक है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : उच्चतम न्यायालय नागरिकों के आधिकारों का अन्तिम अभिरक्षक है, इस हम मानते हैं। वह प्रति दिन छः या सात निर्णय करता है। क्या प्रत्यक निर्णय को ध्यानाकर्षो सूचना का विषय बनाया जा सकता है ? मैं श्री त्यागी को बताना चाहता है कि यदि वह मुझ से चर्चा करना चाहते हैं तो वह मेरे पास आ सकते हैं और फिर हम इस पर बातचीत करेंगे।

---

†मूल अंग्रजी में

†**श्री त्यागी :** केवल एक शब्द । मैं आप से अपील करता हूं । मैं मानता हूं कि मामले अलग अलग होते हैं और हर रोज उच्चतम न्यायालय के कुछ निर्णय होते हैं । परन्तु जब इस प्रकार का कोई निर्णय कहता है — मैं उसे पढ़ नहीं रहा — कि प्रशासन.....

†**प्रधान महोदय :** नहीं, नहीं ।

†**श्री त्यागी :** जब वे प्रशासन की निन्दा करते हैं ....

†**अध्यक्ष महोदय :** शांति, शांति । श्री कपूर सिंह :

†**श्री कपूर सिंह :** आपके निर्णय के बारे में मैं एक निवेदन करना चाहता हूं । देश के हित कहां अन्तर्ग्रस्त हो सकते हैं इस बारे में आपने कुछ कहा है ; अपने कहा है कि ऐसे मामले में जब आप और सरकार सहमत हो जाते हैं तो वहीं मामला खत्म हो जाता है । इस बारे में मैं सदन को इस ओर के कुछ माननीय सदस्यों की राय व्यक्त करना चाहता हूं कि "देश का हित" या "जन हित" वाक्यांश के किसी प्रकार के निश्चित भाव, किसी स्पष्ट परिभाषा की आवश्यकता है । यदि देश की शारीरिक सुरक्षा का प्रश्न अन्तर्ग्रस्त है तो हम मानते हैं कि यह आप के तथा मंत्रियों के बीच फैसला किये जाने का विषय है । परन्तु यदि कोई और बात है, अर्थात किसी मंत्री को परेशानी, सरकार को असुविधा अथवा कोई एसी बात जिसे जानने का इस सदन को अधिकार है परन्तु सरकार सदन को बताना न चाह रही हो, तो ऐसे मामले में सदन को सच्चाई, पूरी सच्चाई तथा केवल मात्र सच्चाई जानने का अधिकार है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** मुझे समझ नहीं आता कि वह इस नतीजे पर कैसे पहुंच गये हैं । मैं हैरान हूं। मुझे जब ध्यानाकर्षी सूचना मिली थी तो मूझे मंत्री से पूछना था कि उनको प्रतिक्रिया क्या है, क्या उन्हें कोई एसी आपत्ति है जिस तर कि मुझे विचार करना है; यह नहीं कि मुझे अधिकार है । यदि मुझे बताया जाता है कि इस समय यह देश के हितों में नहीं होगा और जब मैं इससे सहमत हो जाऊं तो वह निर्णय सदन द्वारा अवश्य स्वीकार किया जाना चाहिये । यदि मैं भी समझूं कि किसी विशेष मामले में आपत्ति—यह नहीं कि उन्होंने कहा है—ठीक नहीं है तो मैं सोचता हूं कि और क्या किया जा सकता है । कभी कभी मैं सरकार से सहमत होऊंगा और कभी माननीय सदस्य से, चाहे वह विरोधी दल के सदस्य हों या बहुसंख्यक दल के । सरकार की आपत्ति से मैं सहमत भी हो सकता हूं और उसे रद्द भी कर सकता हूं ।

†**श्री रंगा :** परन्तु सम्बन्धित माननीय सदस्य को सुचित कर दिया जाय ।

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य को प्रक्रिया का ज्ञान है । मैंने माननीय सदस्य से प्रक्रिया का अनुसरण करने के लिये प्रार्थना की है । यदि वे मेरे पास आये और मुझे पक्की तरह से समझाने की कोशिश कर कि कोई गलत चीज कर दी गई है या इस तरह की कोई चीज नहीं की जानी चाहिये थी, तो मैं समझ सकता हूं । **(अन्तर्बाधा)**

†**अध्यक्ष महोदय :** शांति, शांति ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** हमें ठीक से पता होना चाहिये कि हम कौन सी चीजों पर प्रस्ताव कर सकते हैं और किन पर नहीं । जब तक एसा मार्गदर्शन करने वाली कोई चीज न हो तो कठिनाई होती है । यह तो हम स्वाभाविक रूप से जानते हैं कि इस सदन के सामने कोई भी ऐसी बात रखने का हमें अधिकार है जो केन्द्रीय सरकार के पर्यालोकन में है । इसी पर हम चाहते हैं कि आप विचार करे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

किसी बात पर चर्चा उठाई जाय या न उठाई जाय, इसे यदि व्यक्तिगत राय पर छोड़ दिया जाता है तो उससे भ्रांति उत्पन्न होती है ।

†**श्री त्यागी** : जब उच्चतम न्यायालय प्रशासन की निन्दा करता है तो उस प्रश्न को उठाना हमारा विशेषाधिकार है । यदि उच्चतम न्यायालय के निर्णयों पर कोई कान नहीं धरा जाना है तो एक दिन ऐसा भी आ सकता है जब लोग संसद के निर्णय की भी परवाह नहीं करेंगे । (**अन्तर्बाधा**)

†**अध्यक्ष महोदय** : जो कुछ भी है वह एक अलग चीज है । इस का यह मतलब नहीं है कि प्रत्येक मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय यहां चर्चा का विषय नहीं बन सकता ।

†**श्री त्यागी** : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि विनिर्णय देने से पहले आप सदन को अपने विश्वास में अवश्य लायें । यह संविधान का मामला है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : शांति, शांति । मुझे समय में नहीं आता कि श्री त्यागी कहना क्या चाहते हैं । क्या वह यह कहना चाहते हैं कि मैं उच्चतम न्यायालय के उस निर्णय को लेकर माननीय सदस्यों को यहां चर्चा करने का अवसर दूं ?

†**श्री त्यागी** : जी नहीं । यह मेरा इरादा नहीं है । आप ने यह निर्णय किया है कि उच्चतम न्यायालय का विनिर्णय यहां प्रश्नों का विषय नहीं हो सकता । इसलिये मैं इस विनिर्णय का विरोध करता हूं । (**अन्तर्बाधा**)

†**अध्यक्ष महोदय** : अगर मेरी बात को इस तरह से समझा गया है, यदि कहा जाता है कि मैंने ऐसे शब्द कहे हैं तो मुझे अफसोस हैं । मैंने यह नहीं कहा कि मेरे पास कोई इलाज ही नहीं है । मैंने यह नहीं कहा कि हरेक मामल में हरेक फैसले को यहां बहस का विषय नहीं बनाया जायगा । मैंने कहा था कि उच्चतम न्यायालय का प्रत्येक विनिर्णय, जब भी वह दिया जाता है, यहां विषय नहीं बन जाता । लेकिन ऐसे हालात हो सकते हैं, कुछ मामलों में . . .

†**श्री रंगा** : सिद्धांत को हम क्यों लें ? उच्चतम न्यायालय के विनिर्णय को भी हम चर्चा का तथा आपके द्वारा निर्णीत किये जाने का प्रश्न क्यों बनायें । क्या इसे स्वतन्त्र छोड़ देना ज्यादा अच्छा नहीं होगा ?

†**श्री त्यागी** : मेरा निवेदन था कि जब उस विनिर्णय या निर्णय से प्रशासन पर कोई आक्षेप हुआ है केवल तभी वह यहां चर्चा का विषय बनता है अन्यथा नहीं । (**अन्तर्बाधा**)

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं समझ नहीं पाया ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : ध्यानाकर्षी सूचना पर आपके विनिर्णय या अभिमत के सम्बन्ध में मुझे यह भी बताया गया है उच्चतम न्यायालय का कोई निर्णय स्थगन प्रस्ताव का विषय नहीं बन सकता ।

†**अध्यक्ष महोदय** : हरेक मामले में नहीं ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : किसी विशेष मामले में, उदाहरणार्थ भारत रक्षा नियमों का मामला मैं सारे मामले का वर्णन नहीं करना चाहता । हम उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर चर्चा नहीं करना चाहते परन्तु यहां उच्चतम न्यायालय के निर्णय से एक संवैधानिक प्रश्न उठ रहा है क्योंकि सैकड़ों व्यक्ति नजरबन्द कर लिये गये हैं । उन पर चर्चा करने का कौन सा स्थान है ? कुछ भी हो, उच्चतम न्यायालय के निर्णय की बहुत गंभीर उपलक्षणायें होती हैं । इस विषय पर हम कहां चर्चा करें ? इस पर

---

†मूल अंग्रेजी में ।

हम गलीबाजारों में चर्चा नहीं कर सकदे, इस पर हम केवल यहीं चर्चा करनी है। यदि इस स्थान को भी बन्द कर दिया जाय . . .

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य जो चीज कहना चाहते हैं उसे कहने का उनका अनोखा ढंग होता है। यदि वह यहां संसद में इस पर चर्चा नहीं कर सकते तो उनका कहना है कि बहस करने का दूसरा स्थान गली-बाजार हैं।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : मैंने कहा था कि हम गली-बाजारों में ऐसा नहीं कर सकते।

†**अध्यक्ष महोदय**: यहां इसे प्रस्तुत करने के और भी तरीके हैं। बात कहने का उनका अपना ढंग है। निश्चय ही मैं उन से सहमत नहीं हो सकता। लेकिन सवाल यह है, मैंने सदा सदन से कहा है कि जब भी मैंने कोई निर्णय दिया—है कुछ की राय में वह गलत हो सकता है, और वह गलत हो भी सकता है क्यों कि मैं यह नहीं कहता कि मैं गलतियां करता नहीं गलतियां मैं जरूर करता हूं — और यदि किसी किसी सदस्य को शिकायत होती है तो इलाज सिर्फ यह है कि वह मेरे पास आयें, हम मिलकर बैठें, इस पर बातचीत करें और देखें कि क्या कुछ किया जा सकता है। (**अन्तर्बाधा**) अब, माननीय सदस्यों को मेरे पास आने वाली सूचनाओं की बड़ी संख्या का कुछ पता होना चाहिये। तीन दिन हुए मुझे लगभग ३० सूचनायें मिली और उनमें एक ही माननीय सदस्य के नाम में १२ ध्यानाकर्षी सूचनायें थीं। मैं कैसे फैसला कर सकता हूं कि बारह की बारह सूचनायें, जो माननीय सदस्य के विचार में महत्वपूर्ण हैं, महत्वपूर्ण हैं ?

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : ठीक यही बात है। हमें ठीक से पता होना चाहिये कि हम कितनी सूचनायें दे सकते हैं तथा किन विषयों पर।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं दलों के नेताओं की एक बैठक समवेत करूंगा। तब हम फैसला कर सकते है कि क्या हमें सीमा निर्धारित करनी चाहिये। लेकिन में अपनी कठिनाइयां सामने रख रहा हूं। यदि एक माननीय सदस्य एक दिन में १२ सूचनायें देते हैं तो इसका यह मतलब है कि उन्हें विश्वास नहीं कि उनमें से कोई इतनी महत्वपूर्ण भी हैं।

अब आगे चलें। श्री कर्णीसिंह जी एक प्रश्न पूछना चाहते थे।

†**श्री कर्णी सिंहजी** : अकालग्रस्त श्रेणियों के लिये सहायता कार्य पैदा करने के लिये क्या सरकार का विचार राजस्थान के दुर्भिक्षग्रस्त क्षेत्रों में प्रतिरक्षा सड़कों को अधिक ऊंची पूर्ववर्तिता देने का है और क्या मैं जान सकता हूं कि क्या अकाल के संकट को सदा के लिये दूर करने के हेतु राजस्थान नहर के काम को तेज किया जायेगा ?

†**श्री अ० म० थामस** : तथ्य यह है कि सहायता कार्यों को तेज किया जा रहा है। राजस्थान राज्य के अनेक भागों में विद्यमान् अभाव की परिस्थितियों के सम्बन्ध में सहायता के लिये २,९५,००० रुपये की राशि खर्च की जानी है। जहां तक बीकानेर जिले का सम्बन्ध है, राज्य सरकार द्वारा ८,८९,००० रुपये की राशि स्वीकृत की गई है और जहां तक जोधपुर जिले का सम्बन्ध है, जिसके के बारे में यह प्रश्न है, १,७५,००० रुपये की राशि मंजूर की गई है। राजस्थान नहर के काम को तेज करने के बारे में जो भी संभव है राजस्थान नहर प्राधिकारों द्वारा किया जा रहा है।

†**डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी** : ये क्षेत्र लगभग सदा ही और पांच वर्षों में लगभग एक बार अकाल से पीड़ित रहे हैं। इन क्षेत्रों में अकाल के बारबार पड़ने तथा अकालों की अखिल-भारतीय

---

†मूल अंग्रजी में

प्रवृत्ति और उनके समाधानों के कारण हम जानना चाहते हैं कि क्या सरकार एक अखिल भारतीय अकाल सहायता निकाय की स्थापना पर विचार कर रही है ताकि इस तरह के अकालों का तेजी से तथा निपुणता से सामना किया जा सके ? मैं यह भी कहना चाहता हूं कि मेरे माननीय मित्र श्री कर्णी सिंह जी द्वारा पूछे गये अनुपूरक प्रश्न के पहले भाग का उत्तर देते हुए—क्योंकि आप ने हमें बताया था कि जब भी ध्यान दिलाया जाता है, अध्यक्ष सदा बल देता है कि पूरी जानकारी दी जाये—जिन्होंने पूछा था कि क्या अकाल सहायता कार्यों की योजना में प्रतिरक्षा सड़कों को पूर्ववर्तिता दी जा रही है, यह कह देना कि जो कुछ संभव है किया जा रहा है निरर्थक है । मंत्रालय जो कुछ कर रहा है उसके लिये हम आभारी हैं परन्तु उत्तर का कोई मतलब नहीं निकलता ।

†**श्री अ० म० थामस :** निस्सन्देह इस विशेष मामले में जुलाई में वर्षा न होने के कारण हम स्थिति के बारे में चिन्तित हैं और मेरे सहयोगी, कृषि मंत्री, ने तुरन्त कार्यवाही की । उन्होंने एक उच्चस्तरीय सम्मेलन समवेत किया—इस सम्बन्ध में कम से कम दो सम्मेलन हुए थे—और जितने भी उपाय संभव हैं किये गये हैं । अब स्थिति सुधर गई है । तथ्य यह है, जैसा कि मैंने पहले ही उत्तर में कहा हैं, स्थिति में सुधार आ गया है । परन्तु दो जिलों अर्थात् बीकानेर तथा जोधपुर जिलों के बारे में अब भी कुछ चिन्ता थी । बीकानेर डिवीजन के बारे में जो नवीनतम जानकारी मिली है वह यह है कि २० अगस्त, १९६३ से उस जिले में दूर दूर तक वर्षा हुई हैं, अब स्क्षिति काफी सुधर गई है और पीने के पानी की अथवा जहां तक पशुओं का सम्बन्ध है चारे की कोई समस्या नहीं है ।

माननीय सदस्य द्वारा उठाये गये व्यापक प्रश्न के बारे में मैं बताना चाहता हूं कि वित्त मंत्रालय द्वारा बनाई गई एक अखिल भारतीय योजना है । जब प्राकृतिक विपत्तियां आती हैं तो १ करोड़ रुपये से अधिक व्यय के लिए केन्द्र द्वारा सहायता का एक प्रतिरूप है । यह निर्धारित कर दिया गया है कि राज्य सरकार अपनी योजना भेजे । मार्गोपाय सहायता भी है जो यदाकदा केन्द्रीय सरकार द्वारा दी जा रही है ।

अध्यक्ष महोदय : श्री एस० एम० बनर्जी ।

†**डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी :** जब मैंने एक विशिष्ट प्रश्न किया है तो उत्तर सभी तरह से सम्पूर्ण होना चाहिये । हां, इसे सदा टाला जा सकता है परन्तु प्रश्नों का उत्तर देने का एक तरीका होता है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** शान्ति, शान्ति । उन्होंने कुछ उपाय बता दिये हैं । माननीय सदस्य उनका अनुसरण कर सकते हैं ।

†**श्री स० मो० बनर्जी :** जो स्थिति राजस्थान में है वह अन्य राज्यों के अनेक भागों में है क्योंकि या तो बिल्कुल ही वर्षा नहीं हुई या हुई है तो बहुत कम । मैं जानना चाहता हूं कि क्या केन्द्रीय सरकार ने उन्हें उसी प्रकार की सहायता देने का कोई निर्णय किया है जो वह राजस्थान को दे रही है और यदि हां, तो वह सहायता अथवा सुविधायें क्या हैं ?

†**श्री अ० म० थामस :** मैं नहीं जानता कि जो स्थिति राजस्थान में है वह किसी अन्य राज्य में भी है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री स० मो० बनर्जी :** उदाहरणार्थ पश्चिमी उत्तर प्रदेश ।

†**श्री अ० म० थामस :** यदि ऐसी कोई बात है और यदि उसे हमारे ध्यान में लाया जायेगा तो हम खाद्यान्नों का संभरण करके तथा सहायता कार्य आरम्भ करके तुरन्त सहायता करेंगे । जो कुछ भी संभव है किया जायेगा ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

कोलार की सोने की खानों का बन्द होना

†*५१५. **श्री रघुनाथ सिंह :**
श्री यशपाल सिंह :
श्री गुलशन :
श्री बूटा सिंह :
श्री कपूर सिंह :
श्री श्याम लाल सर्राफ :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री बड़े :
श्री उ० मू० त्रिवेदी :
श्री वारियर :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री ईश्वर रेड्डी :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री राम चन्द्र उलाका :
श्री मुलेश्वर मीना :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्पादन-लागत अधिक होने के कारण सरकार कोलार की सोने की खानों को बन्द करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जी नहीं । परन्तु वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत) के सभापतित्व में एक उपसमिति का गठन किया गया है कि वह सोने के उत्पादन की अधिक लागत को कम करने के सुझाव दे ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

औद्योगिक श्रमिकों की पोषण सम्बन्धी आवश्यकतायें

†*५१६. **डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के अनेक भागों में औद्योगिक श्रमिकों की पोषण सम्बन्धी न्यूनतम आवश्यकताओं का वैज्ञानिक अध्ययन किया गया है या किया जायेगा;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या सम्बन्धित प्रदेशों में पोषण सम्बन्धी आवश्यकताओं को खाने की आदतों और खाद्य पदार्थों के मूल्य देशनांक के साथ मिलाने का कोई प्रयत्न किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० १६५३/६३]**

मद्रास में स्वर्ण शोधक कारखाने

†*५१७. **श्री पें० वेंकटासुब्बया** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास सरकार ने केन्द्रीय सरकार से १४ कैरट सोने के निर्माण के लिये एक स्वर्ण शोधक कारखाना स्थापित करने के लिये वित्तीय सहायता मांगी है; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना पर कितना खर्च आयेगा और इस कारखाने में १४ कैरट का कितना सोना बनाया जायेगा ?

†**वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : (क) जी हां ।

(ख) योजना पर ४ लाख रुपये की लागत आने की आशा है । इस समय इसका अनुमान लगाना सम्भव नहीं है कि शोधक कारखाने में १४ कैरट का कितना सोना बनाया जा सकेगा ।

सियालदह स्टेशन पर शरणार्थी

†*५१८. **श्री त्रिविद कुमार चौधरी** : **क्या निर्माण, आवास तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता में १६ जुलाई, १९६३ को पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री, सहायता तथा पुनर्वास मंत्री और वित्त मंत्री के साथ हुई उनकी बातचीत में सियालदह स्टेशन से 'अनधिकारवासी' शरणार्थियों को हटाने तथा उनका अन्य किसी स्थान पर पुनर्वास करने के बारे में कोई नया निर्णय किया गया था ; और

(ख) क्या **सियालदह** के 'अनधिकारवासी' शरणार्थियों की समस्या को हल करने के लिए संघ सरकार द्वारा वित्तीय अथवा अन्य किसी प्रकार की सहायता देने का वायदा किया गया है ?

†**निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : (क) मामले पर पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री तथा वित्त मंत्री तथा निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री के बीच कलकत्ते में १६ जुलाई, १९६३ को बातचीत हुई थी । यह समझा गया कि सियालदह स्टेशन से अनधिकारवासियों को हटाया जाना चाहिए तथा किसी को भी पुनः वहां पर रहने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए ।

(ख) स्टेशन से अनधिकारवासियों को हटाने का मामला मुख्यतः राज्य सरकार का है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

राजस्थान नहर

†*५१९. श्री रामचन्द्र उलाका : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री २८ फरवरी, १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या १५८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान नहर को नौगम्य बनाने के प्रस्ताव पर सरकार ने इस बीच विचार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार का निर्णय किया गया है ?

†सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) प्रस्ताव विचाराधीन है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

कैंसर

†*५२०. श्री प्र० के० देव : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के अस्पतालों में कैंसर के उपचार के लये "रेडियो एक्टिव कोबाल्ट बाम्ब्स" का उपयोग करने के लिये इनका आयात किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो ये कहां से मंगाये जा रहे हैं तथा कितने मूल्य पर; और

(ग) इनका किन अस्पतालों में उपयोग किया जा रहा है तथा क्या परिणाम निकले हैं ?

†स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० १६५४ / ६३]

विद्युत् सर्वेक्षण

†*५२१. श्री रामपुरे : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों द्वारा किया जाने वाला भारत का विद्युत् सर्वेक्षण पूरा हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य उपपत्तियां क्या हैं ?

†सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) और (ख). विद्युत् सर्वेक्षण समिति ने अब तक देश का प्रथम वार्षिक भार-सर्वेक्षण पूरा कर लिया है तथा कुछ अन्तरिम सिफारिशें भी की हैं । इस प्रतिवेदन की कुछ प्रतियां पुस्तकालय में उपलब्ध हैं । समिति के अनुसार १९६५–६६ में देश की भार मांग ४,२६४ मैगा वाट होगी । आशा है कि १९६५–६६ के अन्त तक स्थापित जनन क्षमता १२,५०० मैगावाट हो जायेगी ।

महत्वपूर्ण अन्तरिम सिफारिशें नीचे दी जाती हैं :—

(१) केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग द्वारा संगठित तथा निर्देशित वार्षिक भार सर्वेक्षण जो प्रत्येक वर्ष किया जाता है ।

(२) चौथी योजना के कार्यक्रमों को अन्तिम रूप दिया जा रहा है और शीघ्रता से योजना को स्वीकार किया जा रहा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(३) बिजली प्रणाली के निर्माण, संचालन तथा प्रबन्ध के लिए प्रवीण जनशक्ति की आवश्यकताओं के बारे में सर्वेक्षण किया जाना चाहिए ।

(४) सभी सम्बन्धित अधिकारियों के कामों का समन्वय होना चाहिए जिससे कच्चे माल तथा उपकरण की समस्या सुलझे तथा इनको लेने की प्रक्रिया साधारण हो जाये ।

(५) भविष्य में जनन तथा प्रसारण क्षमता की प्रभावी योजना, विकास, तथा समन्वय के लिए प्रादेशिक विद्युत् ग्रिड बनाया जाना चाहिये ।

लेडी हार्डिंग अस्पताल, नई दिल्ली

†*५२२. श्री जेधे :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री हरि विष्णु कामत :
श्री अ० ना० विश्वासंकार :
श्री हेम बरुआ :
श्री नाथ पाई :

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि २३ अगस्त, १९६३ को लेडी हार्डिंग अस्पताल, नई दिल्ली में एक बच्चा पैदा हुआ था जो मरा हुआ पैदा होने की घोषणा के बाद भी सात घंटे तक जीवित रहा तथा जिसको अस्पताल के अधिकारियों ने मृतजात शिशु समझ कर कार्यवाही की ;

(ख) यदि हां, तो घटना का ब्योरा क्या है ; और

(ग) सरकार लापरवाही बरतने के लिये सम्बन्धित कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार कर रही है ?

†स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) से (ग). लेडी हार्डिंग अस्पताल, में १०·१५ म० पू० मंगलवार, २० अगस्त, १९६३ को सात महीने की गर्भावस्था के बाद २ पौंड ४ औंस का एक बच्चा समय पूर्व पैदा हुआ था । बच्चा नीला पैदा हुआ था । उसको पुनर्जीवित करने के लिए सभी प्रयत्न किये गये थे परन्तु उसने सांस लेना शुरू नहीं किया । उसको पुनर्जीवित करने के प्रयत्न छोड़ दिये गये थे । कुछ समय पश्चात् जब बच्चे को उठाया गया तो उसने हिचकी ली । उसको पुनर्जीवित करने के प्रयत्न पुन: चालू किये गये थे परन्तु उसका कोई फल नहीं निकला और बच्चे को शिशुपालन गृह में रखा गया था । अन्त में वह बच्चा लगभग ५.१५ म० प० मर गया ।

बच्चा समयपूर्व पैदा हुआ था तथा बहुत कमजोर था । सम्बन्धित कर्मचारियों ने कोई लापरवाही नहीं बरती थी तथा बच्चे को जीवन देने के लिये सभी संभावित प्रयत्न किये गये थे । अनुशासनिक कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिये मकान

†*५२३. श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री अ० व० राघवन :
श्री वारियर :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री दीनेश भट्टाचार्य :
श्री बूटा सिंह :
श्री नरसिम्हा रेड्डी :

क्या निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिये ७४,००० मकानों से भी अधिक मकान बनाने की सरकार की सप्तवर्षीय योजना है ; और

(ख) यदि हां, तो योजना का रूप क्या है ?

†निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) (क) और (ख). शेष चालू योजनावधि तथा चौथी योजनावधि में 'जनरलपूल' में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए निवास स्थानों के निर्माण कार्यक्रम को बढ़ाने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

शेयरों का वायदा व्यापार

†*५२४. डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री श्याम लाल सर्राफ :
श्री सिद्धनंजप्पा :
श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जून, १९६३ में सरकार ने कुछ स्टाक एक्सचेंजों के शेयरों का वायदा व्यापार करने की अनुमति दी थी ;

(ख) यदि हां, तो किन स्टाक एक्सचेंजों को अनुमति दी गई तथा प्रतिबन्ध किन कारणों से हटाया गया ; और

(ग) शेयर बाजार पर इसकी क्या प्रतिक्रिया हुई ?

†वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत) :(क) जी हां।

(ख) ज्यूं ज्यूं बाजार में सुधार हुआ त्यूं त्यूं बम्बई, अहमदाबाद, मद्रास, दिल्ली, इंदौर तथा कलकत्ता के स्टाक एक्सचेंजों ने अनुमति के लिए आवेदन किया और उनको तब वायदा व्यापार की

---

†मूल अंग्रेजी में

अनुमति दी गई थी जब उनके प्रशासन बोर्ड ने यह बता दिया था कि उन्होंने सट्टा व्यापार न करने के सरकार के प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया है।

(ग) जून के अन्त में अंशों के मूल्य में कुछ सुधार हुआ था। अखिल भारतीय लाभांश औद्योगिक प्रतिभूतियों के रिजर्व बैंक देशनांक जून २९ में १५८.१ थे जो १७ अगस्त, को १६०.४ हो गये थे। गत सप्ताह कुछ और वृद्धि हुई थी।

आदर्श वालंटियर मैडिकल कोर

†*५२५. श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क) क्या यह सच है कि सरकार ने राजधानी के निर्धन तथा जरूरतमंद व्यक्तियों की मांग पूरी करने के लिये एक आदर्श वालंटियर मेडिकल कोर स्थापित करने की दिल्ली प्रशासन की योजना चालू की है ;

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) क्या इसको नगर के कुछ भागों में लागू भी कर दिया गया है ?

†स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर): (क) से (ग). दिल्ली प्रशासन ने प्रयोगात्मक आधार पर दिल्ली (डिफेंस कालोनी) में वालंटियर मेडिकल कोर, दिल्ली, आपात तथा शांति समय में स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये लागू की थी। योजना में वालंटियरों की निम्नलिखित श्रेणियां भाग लेंगी :—

(१) चिकित्सा अर्हताप्राप्त स्नातक, लाइसेंसिएट आफ मैडिकल।

(२) अर्हताप्राप्त तथा पंजीबद्ध नर्सें।

(३) पुरुष तथा महिला जिन्होंने होम नर्सिग, फर्स्ट ऐड, आर्गजिलयरी नर्सिग, का पाठ्य क्रम पूरा कर लिया है।

(४) पुरुष तथा महिला जिन्होंने, एम्बुलेंस ड्राइवरों के रूप में काम करना तय कर लिया हो।

(५) पुरुष तथा महिला जो अस्पतालों/चिकित्सा-सामाजिक कार्य के लिए स्थान, फर्स्ट एड आदि के प्रशिक्षक, लिपिकों के कर्त्तव्य, भांडार रखने वाले औषधि निर्माता आदि में अपनी सेवा देना चाहते हों।

स्वास्थय मंत्रालय तथा दिल्ली मैडिकल एसोसिएशन के परामर्श से योजना बनाई गई है।

मुख्य बातें :

(१) उन व्यक्तियों के स्वास्थ्य की देखभाल जिन्होंने सशस्त्र सेनाओं में काम करने की इच्छा प्रकट की थी परन्तु जिनको मैडिकल कारणों पर अस्वीकार कर दिया गया था।

(२) सशस्त्र सेनाओं में काम करने वाले सैनिकों के परिवारों को चिकित्सा सहायता।

(३) देश की रक्षा में हताहत सैनिकों के परिवारों के स्वास्थय की देखभाल तथा चिकित्सा सहायता।

---

†मूल अंग्रेजी में

(४) असैनिक प्रतिरक्षा के वालंटियरों के स्वास्थ्य की देखभाल।

(५) अर्द्ध चिकित्सा कर्मचारियों को फर्स्ट एड, होम नर्सिंग का प्रशिक्षण।

(६) रक्तदान को प्रोत्साहन देने का प्रचार।

(७) अस्पताल में भरती होने वाले गंभीर रोगियों के लिए एम्बुलेंस बुलाना।

(८) छूत की बिमारियों को रोकने के कार्य को बढ़ाना।

(९) होमगार्डों की डाक्टरी।

(१०) जोनल सेंटरों में काम कर रहे व्यक्तियों को चिकित्सा सहायता।

(११) आवश्यक स्वास्थय सेवा को जनता के लिये आसान बनाना तथा स्थानीय रूप से प्राप्त प्रशिक्षित कर्मचारियों का निर्धारण जिसमें वालंटरी मैडिकल कोर में सूचित कर्मचारियों के अतिरिक्त रिजर्व बनाना।

तृतीय योजना के विद्युत् लक्ष्य

†*५२६. { श्री पें० वेंङ्टासुब्बया :
श्री विश्वनाथ राय :

क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग ने तृतीय योजना के विद्युत् लक्ष्य पूरे करने के लिये एक विस्तृत कार्यक्रम बनाया है ;

(ख) यदि हा, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) क्या इसके लिए अतिरिक्त वित्तीय आवटंन करना होगा ; और

(घ) इसके लिये कितनी विदेशी मुद्रा की आवश्कता होगी ?

†सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव : (क) और (ख). केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग ने ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं बनाया है। परन्तु आयोग तथा सिचाई और विद्युत् मंत्रालय में विशेष 'सैल' बनाये गये जो विद्युत योजनाओं की शीघ्र क्रियान्विति में आने वाली कठिनाइयों तथा प्रगति पर ध्यान रखने के परियोजना अधिकारियों की सहायता करेंगी।

(ग) और (घ). प्रश्न ही नहीं उठते।

पश्चिम बंगाल में शरणार्थी बस्तियां

†*५२७. श्री त्रिदिब कुमार चौधरी : क्या निर्माण, आवास और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १६ जुलाई, १९६३ को केन्द्रीय निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री की पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री तथा शरणार्थी सहायता तथा पुनर्वास मंत्री के साथ हुई बातचीत के दौरान सरकार ने पश्चिम बंगाल के नगरपालिका क्षेत्रों में शरणार्थी बस्तियां बनाने की योजना को, जो १९५६ से लंबित थी, शुरू करना तथा इसके लिए अपेक्षित वित्तीय सहायता देना स्वीकार कर लिया है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) केन्द्र लम्बित योजनाओं के लिए कितनी वित्तीय सहायता देगा तथा किन नगरपालिकाओं को यह सहायता दी जायेगी ?

†निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) :(क) भारत सरकार पश्चिम बंगाल सरकार को समय समय पर पूर्व पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों को नगरीय क्षेत्रों में बनाई गई तथा वर्तमान नगरपालिकाओं के निकट स्थित विकास बस्तियों के लिये धन दे रही है। इस कार्य के लिये निधि तभी दी जाती है जब सम्बन्धित नगरपालिकायें बस्तियों में दी गई नगरपालिका सेवाओं के प्रबंध के लिए इच्छा जाहिर करती है। १६ जुलाई १९६३ को हुई बैठक में ऐसे विकास योजनाओं के लिए स्वकृति देने के बारे में निर्माण, आवास तथा राज्य पुनर्वास मंत्री को पुनर्वास मंत्री से बातचीत हुई थी।

(घ) पश्चिम बंगाल सरकार से ३० बस्तियों के विकास की लागत के अनुमान मिले हैं। २० बस्तियों के विकास के लिए १४, ८६, ५०० रुपये की निधि स्वीकार की गई है। शेष मामले विचाराधीन हैं।

राजस्थान में पानी की कमी

†*५२८. श्री प्र० के० देव : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में पीने के पानी की कमी को दूर करने के लिये राजस्थान नहर को भाखड़ा परियोजना से कुछ पानी दिया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो उक्त कार्य के लिये अब तक कितना पानी दिया गया है; और

(ग) पानी का किस प्रकार उपयोग किया गया है ?

†सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) और (ख). जी हां। ३० जुलाई, १९६३ से लगभग १५ दिन में राजस्थान को लगभग ६०० क्यूजेक पानी भाखड़ा से दिया गया था। अब भी बहुतसा पानी दिया जा रहा है।

(ग) नौरंगदेसर, रावतसार, खेत्पवाली, तथा जोरावरपुर के क्षेत्रों की छोटी नहरों द्वारा तथा सूरतगढ़ ब्रांच शाखा से गांवों के तालाबों को पानी से भरा गया है। कुछ पानी सिंचाई के काम भी लाया गया है।

जनपथ होटल

†*५२९. श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री घुलेश्वर मीना :

क्या निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री २५ अप्रैल, १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या १०४१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनपथ होटल नई दिल्ली के विस्तार तथा उस के प्रबन्ध के लिये एक कम्पनी बनाने के बारे में इस बीच कोई निर्णय कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय किया गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना): (क) और (ख) इस समय जनपथ होटल के विस्तार का विचार नहीं है अपितु अशोक रोड पर दूसरा होटल बनाने का विचार है। जनपथ होटल का प्रबन्ध सरकारी समवाय को देने के बारे में आवश्यक कदम उठाये जा रहे हैं।

खाद्य अपमिश्रण

†१५०५. श्री जेना :
श्री बड़ :
श्री मोहन स्वरूप :

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अभी हाल नई दिल्ली में खाद्य अपमिश्रण की रोक थाम के सम्बन्ध में कोई गोष्ठी हुई थी;

(ख) उस में मुख्यतः किन किन विषयों पर विचार किया गया था;

(ग) अपमिश्रण रोकने के लिये गोष्ठी ने क्या निश्चय किये हैं; और

(घ) और अधिक अपमिश्रण रोकने के लिये गोष्ठी ने सरकार को क्या क्या सुझाव दिये हैं ?

†स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर):(क) बताया जाता है कि ५ जून, १९६३ को नई दिल्ली में भारत सेवक समाज के तत्वाधान में खाद्य अपमिश्रण की रोकथाम के सम्बन्ध में एक गोष्ठी आयोजित की गई।

(ख) से (घ) गोष्ठी की कार्यवाही का विवरण सरकार को प्राप्त नहीं हुआ है।

कमजोर नजर[1]

†१५०६. श्री जेना : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कमजोर नजर की प्रतिशतता बढ़ रही है या घट रही है;

(ख) चालीस वर्ष और बीस वर्ष से नीचे के लोगों की कमजोर नजर होने के मुख्य कारण क्या हैं; और

(ग) लैंगिक आधार पर कमजोर नजर वाले लोगों की तुलनात्मक प्रतिशतता क्या है ?

†स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर):(क) १९५८–६३ में ट्रैकोमा नियंत्रण अग्रिम परियोजना के अधीन, देश में १५ राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों का पहली बार सर्वेक्षण किया गया था। वह अखिल भारतीय सर्वेक्षण नहीं था और शहरी इलाके, संघीय राज्य क्षेत्र और केन्द्र प्रशासित प्रदेश उस में शामिल नहीं थे अनुमान था कि देहाती इलाकों के ५.८ प्रतिशत लोगों की नजर खराब थी। चूंकि पहले के कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं इसलिये यह नहीं कहा जा सकता कि उसमें वृद्धि हुई है या कमी।

(ख) ४० साल से नीचे के लोगों को जिन की नजर खराब हैं, दो समहों में बांटा जा सकता है :—

(१) २१ साल से नीचे के, और

---

†मूल अंग्रेजी में

[1] Defective eye sight.

(२) २१–४० साल की आयु के लोग ।

उन की कमजोर नजर के मुख्य कारण इस प्रकार हैं :—

२१ वर्ष के नीचे:—मुख्य कारण हैं आपथालदिया निग्रोनाटोरम, चेचक, असंतुलित आहार और ट्रैकोमा और/या असोशियटेड कन्जंक्टीवाइटिस ये सभी रोग दूर किये जा सकते हैं ।

२१—४० वर्ष के बीच : इस में मुख्य कारण इस प्रकार हैं :

ट्रैकोमा और/या कन्जंकटीवाइयटस, (निज रोग, चोट चपेट) औद्योगिक और दुर्घटनात्मक) और मधुमेह सामान्यतः इसी आयु में ट्रैकोमा के बाद के प्रभाव जैसे ट्राइकियासिस, एन्ट्रोपायन्स या कार्निवल ओपासिटी आदि दिखायी पड़ने लगते हैं । इसी आयु में रनिज रोग भी संसर्ग से हो जाते हैं जिन का इलाज न करने पर दृष्टि नष्ट हो जाती है ।

(ग) ऐसा कोई अखिल भारतीय सर्वेक्षण नहीं किया गया है जिस से यह मालूम हो सके कि भारत की कितनी प्रतिशत लोगों की नजर कमजोर है फिर भी देशके १५ राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों के सर्वेक्षण (१९५८–६३) के अनुसार, जो ट्रैकोमा नियंत्रण अग्रिम परियोजना, अलीगढ़, के तत्वावधान में किया गया था, अनुमान है कि लगभग ३१५१.८ लाख कुल ग्रामीण जनता में से लगभग २०६.२ लाख लोगों की दृष्टि खराब है । अनुमान है कि उनमें ९४.५ लाख पुरुष हैं और १११.७ लाख स्त्रियां हैं और कमज़ोर नजर वाले पुरुष और स्त्रियों का अनुपात लगभ १.० : १.२ है ।

उड़ीसा में अंधे आदमी

†१५०७. **श्री रामचन्द्र मलिक :** क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उड़ीसा राज्य में अंधे आदमियों की संख्या कितनी है और भारत की जनसंख्या की तुलना में उन का अनुपात कितना है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) :** उड़ीसा में अंधों की संख्या के संबंध में कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है । फिर भी ट्रैकोमा नियंत्रण अग्रिम परियोजना, अलीगढ़, के माध्यम से भारतीय चिकित्सा अनुसन्धान परिषद् ने देश के १५ राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों का अभी हाल में सर्वेक्षण (१९५८–६३) किया था जिस से यह पता चला है कि अनुमानतः ३५.३ लाख लोग आर्थिक प्रयोजन के लिये अंधे हैं जिन में से २ लाख लोग संभवतः उड़ीसा राज्य में हैं । इस प्रकार ग्रामीण भारत में आर्थिक दृष्टि से अंधों की कुल संख्या के ५.७ प्रतिशत लोग उड़ीसा की ग्रामीण जनता के हैं जो आर्थिक दृष्टि से अंधे हैं ।

दण्डकारण्य को गये हुए विस्थापित परिवार

†१५०८. **श्री रामचन्द्र मलिक :** क्या निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जन, १९६३ तक कुल कितने विस्थापित परिवार दंडकारण्य क्षेत्र में चले गये हैं ॥

†**निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) :** ६,६८२ परिवार ।

---

†मूल अंग्रेजी में

उड़ीसा में वसूल किये गये कर

†१५०९. श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९६२–६३ में उड़ीसा में करों के रूप में सरकार ने कुल कितनी रकम वसूल की है ?

†वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : १९६२–६३ में उड़ीसा राज्य में प्रत्यक्ष करों और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क से केन्द्रीय सरकार ने ११,४९,१८,००० रुपया वसूल किया था ।

राजस्थान में मकान बनाने के लिए ऋण

†१५१०. श्री धुलेश्वर मीना :
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन साल में राजस्थान में केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों से मकान बनाने के लिये पेशगी के लिये अब तक कितने आवेदन पत्र प्राप्त हो चुके हैं;

(ख) उपर्युक्त अवधि में कितने आवेदन पत्र सरकार ने मंजूर किये हैं; और

(ग) उसी अवधि में राजस्थान में केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को कुल कितनी रकम का ऋण दिया गया ?

†निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : (क) २० ।

(ख) स्वीकृत १०
विचाराधीन—३
अस्वीकृत—३

(ग) १.१९ लाख रुपये के ऋण १० स्वीकृत मामलों में मंजूर किये गये थे ।

आयकर पदाधिकारियों के लिए जगह

†१५११. श्री रामचन्द्र उलाका : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में ऐसे कितने आयकर पदाधिकारी हैं जिन्हें अब तक विभाग की ओर से रिहायशी जगह नहीं दी गयी है;

(ख) क्या १९६३–६४ और १९६४–६५ में उड़ीसा में उन पदाधिकारियों के लिये रिहायशी क्वार्टर बनाने की कोई योजना सरकार के सामने है; और

(ग) यदि हां, तो उस का ब्यौरा क्या है ?

†वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) उड़ीसा में अभी तक किसी आयकर पदाधिकारी को विभागीय रिहायशी जगह नहीं दी गयी है ।

---

†मूल अंग्रजी में

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

आयकर पदाधिकारियों के लिये जगह

†१५१२. **श्री रामचन्द्र उलाका :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में कितने आयकर पदाधिकारी हैं जिन्हें किराये की इमारतों में जगह दी गयी है;

(ख) क्या १९६३–६४ और १९६४–६५ में उड़ीसा में उन पदाधिकारियों के लिये स्थायी विभागीय इमारतें बनवाने की कोई योजना सरकार के सामने है; और

(ग) यदि हां, तो उस का ब्यौरा क्या है ?

†**वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) :** (क) ८

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

चोरी छिपे लायी गई मुद्रा

†१५१३. **श्री धुलेश्वर मीना :**
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अप्रैल, १९६३ में सीमा शुल्क अधिकारियों ने कितने मूल्य की चोरी छिपे लायी हुई मुद्रा पकड़ी ; और

(ख) उसमें से कितने मूल्य की मुद्रा का अभी निबटारा नहीं किया गया है या उस पर किसी ने दावा नहीं किया है ?

†**वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) :** (क) अप्रैल, १९६३ में सीमा शुल्क, भूमि सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अधिकारियों ने लगभग ९८,५२४ रुपये की कीमत की करेन्सी चोरी से लाये गये माल के तौर पर जब्त की थी ।

(ख) १ अगस्त, १९६३ को लगभग ३३,६८० रुपये के मूल्य की करेन्सी का निबटारा नहीं हुआ था । इसमें लगभग १४,३३२ रुपये की वह करेन्सी भी शामिल है जिस पर किसी ने दावा नहीं किया था ।

आडियोमीटर सेन्टर

†१५१४. **श्री धुलेश्वर मीना :**
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बहरेपन का प्रकार और उसकी किस्म जांचने के लिए १९६२–६३ में देश में सरकार ने कितने आडियोमीटर सेन्टर खोले हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)**: जानकारी इकट्ठी की जा रही है और वह यथासमय सभा पटल पर रख दी जायगी।

पुनर्वास वित्त प्रशासन

†१५१५. **श्री धुलेश्वर मीना :**
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जिन लोगों को पुनर्वास वित्त प्रशासन के ऋण दिये गये हैं उनकी गारण्टी देने वालों के खिलाफ कितने मामलों में १९६२–६३ में कानूनी कार्रवाई की गयी ; और

(ख) उसी अवधि में गारण्टी देने वालों से कितनी रकम वसूल की गई ?

†**वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)** : (क) गारण्टी देने वालों के खिलाफ कोई मामला अदालतों को भेजा गया था लेकिन २२२ मामलों में उनसे बकाया लगान के तौर पर कर्ज की वसूली कलेक्टरों को सौंप दी गयी है।

(ख) गारण्टी देने वालों से की गयी वसूली का कोई अलग रेकार्ड नहीं रखा जाता क्योंकि यह जानकारी इकट्ठी करने में जो समय और मेहनत लगेगी वह उसके फायदे से कहीं ज्यादा है।

आंध्र प्रदेश में चेचक

†१५१६. **श्री इ० मधुसूदन राव** : क्या **स्वास्थ्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९६२–६३ और १९६३–६४ में अब तक चेचक दूर करने के लिए आन्ध्र प्रदेश को किस प्रकार की और कितनी केन्द्रीय सहायता दी गयी है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)**: राष्ट्रीय चेचक निवारण कार्यक्रम के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित केन्द्रीय सहायता के ढांचे के अनुसार आवर्तक व्यय का ७५ प्रतिशत और अनावर्तक व्यय का १०० प्रतिशत भारत सरकार राज्य सरकारों को लौटा देती है।

इस ढांचे के अनुसार आन्ध्र प्रदेश सरकार निम्नलिखित रूप में केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने की अधिकारी थी :—

	राज्य सरकार द्वारा किया गया कुल खर्च	केन्द्रीय हिस्सा
	रुपये	रुपये
आवर्तक	६,५८,५४१.७९	४,९३,९०६.३४
अनावर्तक	५,७४,००४.२६	५,७४,००४.२६
कुल .	१२,३२,५४६.०५	१०,६७,९१०.६०

†मूल अंग्रेजी में

१९६३–६४ के खर्च के आंकड़े अभी तक आन्ध्र प्रदेश सरकार से प्राप्त नहीं हुए हैं। आन्ध्र प्रदेश के लिए १९६३–६४ में राष्ट्रीय चेचक निवारण कार्यक्रम के लिए योजना आयोग ने ३५ लाख रुपये की व्यवस्था मान ली थी लेकिन राज्य सरकार ने केवल १५ लाख रुपये ही दिये हैं। कार्यक्रम के लिए पर्याप्त व्यवस्था करने के प्रश्न पर राज्य सरकार के साथ बातचीत हो रही है। केन्द्रीय सहायता जो उपर्युक्त ढांचे के अनुसार होगी, उस वर्ष में राज्य सरकार के वास्तविक व्यय पर निर्भर होगी।

वर्तमान प्रक्रिया के अनुसार धन प्रत्येक योजना के लिए नहीं दिया जाता लेकिन प्रत्येक वर्ष के अन्त में योजनाओं के स्थूल समूहों या श्रेणियों के लिए सहायक अनुदान स्वीकृत किया जाता है। किसी वित्तीय वर्ष के लिए नियत कुल केन्द्रीय सहायता का तीन-चौथाई हिस्सा उस वर्ष के दौरान राज्य सरकार को ९ बराबर बराबर किस्तों में अर्थोपाय अग्रिम के रूप में इकट्ठी रकमों में दिया जाता है।

इसके अलावा निम्नलिखित सहायता भी आन्ध्र प्रदेश सरकार के लिए प्राप्त की गयी है :

(क) रूस सरकार से निःशुल्क दान के रूप में प्राप्त फ्रीज ड्राइट वैक्सीन के ५३,७६,८०० डोज आन्ध्र प्रदेश सरकार को भेज दिये गये थे। उपर्युक्त वैक्सीन की अनुमानित लागत लगभग ३,८६,३२३.०८ रुपये है।

(ख) संयुक्त राष्ट्र संघीय अन्तर्राष्ट्रीय बाल सहायता निधि के जरिये सहायता

आन्ध्र में चेचक उन्मूलन कार्यक्रम के लिए संयुक्त राष्ट्र संघीय अन्तर्राष्ट्रीय बाल सहायता निधि ने ६ रेफ्रीजरेटर, २ डीप फ्रीज कैबिनेट और १० मेगा माइक्स दिये हैं। जिन रियायती दरों पर उपर्युक्त निधि ने वह उपकरण प्राप्त किया था उनके मुताबिक उसका मूल्य लगभग ११,१५० रुपये है।

आंध्र प्रदेश में नदी बेसिनों का विकास

†१५१७. **श्री इ० मधुसूदन राव** : क्या सिंचाई और विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को हाल ही में आन्ध्र प्रदेश सरकार से उस राज्य में नदी बेसिनों के विकास के लिये कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है,

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) केन्द्रीय सरकार ने यदि अब तक कोई निर्णय किया है, तो क्या ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव)** : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं आया।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नहीं उठते।

प्रतिनियुक्ति पर असैनिक कर्मचारियों के लिये मकान

†१५१८. **श्री प्रताप सिंह** : क्या निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या उत्तर तथा पूर्वोत्तर सीमा क्षेत्रों में सामान्य आरक्षित इंजीनियर बल में प्रतिनियुक्ति पर गये असैनिक कर्मचारियों को सरकारी क्वार्टर रखने दिया जाता है जो इस समय उनके परिवारों के पास होते हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना)** : जब तक युद्ध क्षेत्रों में सामान्य आरक्षित इंजीनियर बल सेवा के कर्मचारियों और उन क्षेत्रों को गैर परिवारिक स्थान घोषित नहीं कर दिया जाता, उनको सामान्य दर्जे के क्वार्टर रखने की अनुमति दी जाती है, जो उनके परिवारों के वास्तविक उपयोग के लिये उनको पहले ही आवंटित होते हैं।

शिक्षा भत्ता

†**१५१९. श्री प्रताप सिंह** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : क्या बच्चों का शिक्षा भत्ता उत्तर तथा पूर्वोत्तर सीमा क्षेत्रों में सामान्य आरक्षित इंजीनियरबल में प्रतिनियुक्त पर असैनिक कर्मचारियों को भी मिलता है ?

†**वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)** : जी हां।

जनसंख्या में वृद्धि

१५२०. श्री इ० मधुसूदन राव : क्या **स्वास्थ्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि फोर्ड फाउण्डेशन (न्यूयार्क) ने जनसंख्या वृद्धि की समस्या पर परीक्षण करने के लिये भारत को आर्थिक सहायता देने का निश्चय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) जी हां।

(ख) फोर्ड प्रतिष्ठान ने परिवार नियोजन कार्यक्रम के लिये निम्नलिखित सहायता देने को कहा है :—

(१) राष्ट्रीय परिवार नियोजन संचार अनुसन्धान कार्यक्रम के लिये ९.३ लाख डालर

(२) भारतीय संस्थाओं में पुनरुत्पत्ति के चिकित्सा एवं जैविक पहलुओं पर आधारित अनुसन्धान के लिये १३.० लाख डालर

यह सहायता लगभग पांच वर्ष की अवधि के लिये दी गई है। इसके अतिरिक्त, प्रभावकारी ग्राम मार्गदर्शी स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन परियोजनाओं, केन्द्रीय परिवार नियोजन संस्था, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रशासन एवं शिक्षा संस्था के लिये तथा जीवनांकों और जनविद्या के क्षेत्र में और आगे सहायता देने का प्रश्न विचाराधीन है।

---

†मूल अंग्रेजी में

तस्कर व्यापार में अन्तर्ग्रस्त राजनयिक अधिकारी

†१५२१. श्री हरि विष्णु कामत :
श्री यशपाल सिंह :
श्री बिशनचन्द्र सेठ :
श्री कपूर सिंह :
श्री सोलंकी :
श्री केसर लाल :
श्री हरिश्चन्द्र माथुर :
श्री हेम बरुआ :
श्री प्र० र० चक्रवर्ती :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री सरजू पाण्डेय :
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तस्कर व्यापार में, १९६३ की मई- जुलाई अवधि में हाल ही में कोई विदेशी कूट-नीतिज्ञ अन्तर्ग्रस्त था ;

(ख) यदि हां, तो इस बात का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उसके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है ?

†वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) इस अवधि में ऐसे किसी मामले की सूचना सरकार को प्राप्त नहीं हुई ।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते ।

दिल्ली बिजली नियंत्रण बोर्ड

†१५२२. श्री यशपाल सिंह :
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :

क्या सिंचाई और विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली बिजली सम्भरण उपक्रम के सभापति ने दिल्ली बिजली नियन्त्रण बोर्ड को समाप्त कर देने की मांग की है ;

(ख) सभापति ने इसके क्या कारण बताये हैं ; और

(ग) सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

†सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) प्रत्यक्षत: मुख्य आयुक्त की बिजली सलाहकार बोर्ड का उल्लेख किया गया है, जिसमें दिल्ली बिजली सम्भरण उपक्रम एवं सिंचाई तथा विद्युत् मन्त्रालय के प्रतिनिधि भी हैं । दिल्ली बिजली सम्भरण समिति के सभापति ने इस समिति के उन्मूलन के लिये दिल्ली प्रशासन को एक सुझाव दिया था ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) (१) दिल्ली बिजली सम्भरण उपक्रम के ३६ मैगावाट 'ग' केन्द्र के प्रत्याशित चालू होने के पश्चात् फालतू बिजली की उपलब्धि; और

(२) दिल्ली प्रशासन द्वारा बिजली मंजूर करने के काम में हुआ विलम्ब जिसके कारण उपक्रम को राजस्व की हानि हुई ।

(ग) दिल्ली प्रशासन ने मुख्य रूप से इस कारण से सुझाव को स्वीकार करने से इनकार कर दिया क्योंकि दिल्ली की विकास योजना की क्रियान्विति के लिये, विविधि उपयोगों पर दिये गये जोर के अनुसार बड़ी सतर्कता के साथ बिजली संभरण की मंजूरी देने की आवश्यकता है, ताकि भावी उच्च क्षमता वाले औद्योगिक उपयोगों के लिये बिजली आरक्षित की जाये और वातानुकूलन आदि कम अग्रता की मांगों के लिये न दी जाये ।

मच्छर

†१५२३. { श्री सुबोध हंसदा :
श्री पू० ना० खां :

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में सरकार द्वारा मलेरिया नियंत्रण के बाद मच्छरों की संख्या में अत्यन्त वृद्धि हो गई है,; और

(ख) यदि हां, तो क्या मच्छरों को बढ़ने से रोकने के लिये सरकार द्वारा कोई प्रयत्न किया जा रहा है, और यदि हां, तो क्या ?

†स्वास्थ्यमंत्री (डा०सुशीलानायर) : (क) और (ख). मलेरिया के नियंत्रण के कारण मच्छरों की वृद्धि नहीं होती । मलेरिया उन्मूलन नियंत्रण कार्यक्रम आरम्भ किये जाने के पश्चात् मलेरिया वाहक मच्छरों की वृद्धि रोकी गई है और मलेरिया फैलाने वाले क्षत्रों की घनता पहले की अपेक्षा सामान्यतया बहुत कम है । ए० फ्लुविएटिलिस, ए० फिलिपिनेसिस, ए० मिमियस जैसे कुछ मच्छर विरले ही दिखाई पड़ते हैं और ए सुंडैक्स, जो उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल के तटीय क्षत्रों में पाया जाता था, प्रायः अदृश्य हो गया है ।

तथापि, कुलीसीन मच्छर जो साधारणतया उत्पाती मच्छर माने जाते हैं, अब भी बड़ी संख्या में पाये जाते हैं । इन की संख्या में यदि कोई वृद्धि भी हुई है, मलेरिया नियंत्रण/उन्मूलन कार्यक्रम से किसी प्रकार सम्बन्धित नहीं, किन्तु इस का कारण अधिकतर यह है कि नाली व्यवस्था की कमी है, द्रुतगति से उद्योगीकरण तथा नगरीयकरण हो रहा है, तथा स्वच्छता के लिये पर्याप्त व्यवस्था नहीं है ।

इस समस्या को विविध राष्ट्रीय कार्यक्रमों, अर्थात् राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन, कार्यक्रम, राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम, और राष्ट्रीयनाल संभरण तथा स्वच्छता कार्यक्रम, जिन में नाली योजनाएं शामिल हैं, के अन्तर्गत हल किया जा रहा है ।

मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत, अवशिष्ट स्थानों पर कीट नाशक औषध की छिड़काई की जा रही है, जो कार्यक्रम के पूरा होने के समीप हटा लिया गया है । फिलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत, कुलैक्स मच्छरों के प्रजनन/वृद्धि को रोकने के लिये अंडे मारने का कार्यक्रम किया जा

†मूल अंग्रेजी में

रहा है। अब तक ४७ कस्बे और शहर इस कार्यक्रम के संचालन के क्षेत्र में लाया गया है। लगभग ७० अन्य नगरीय क्षत्रों में स्थानीय निकायों के द्वारा छोटे पैमाने पर अंडों को मारने के कार्य किये जा रहे हैं।

मच्छरों की वृद्धि रोकने का स्थायी हल उचित नाली व्यवस्था करना है। यह महत्वपूर्ण है कि राज्य सरकारों और अन्य प्राधिकारों को नाली व्यवस्था किये बिना जल संभरण योजना आरम्भ नहीं करनी चाहिये, और मंजूर हो जाने पर सभी उद्योगों में उचित नाली व्यवस्था हो तथा गन्दी वस्तुओं के निपटारे की व्यवस्था होनी चाहिये।

उपरोक्त उपायों के अतिरिक्त, जनता का सहयोग भी राज्यों में स्वास्थ्य शिक्षा अभिकरणों के द्वारा प्राप्त किया जा रहा है राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस भी प्रति वर्ष मनाया जाता है ताकि स्वच्छता की आवश्यकता के प्रति जागरूकता पैदा करने की जरूरत की ओर जनता का ध्यान आकर्षित किया जा सके, जिससे मच्छर पैदा होने की अवस्था पैदा न होने दी जाये।

खाद्य-पदार्थों की बिक्री पर प्रतिबन्ध

१५२४. श्री यशपाल सिंह : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है दिल्ली में गर्म दूध, दही अथवा दूध से बने खोये के बेचने पर कोई पाबन्दी लगाने का सरकार का विचार है;

(ख) यदि हां, तो एसा किन कारणों से किया जा रहा है और कब से इन्हें लागू करने का सरकार का विचार है;

(ग) इस तरह के आदेश लागू करने से कितने लोग बेरोजगार हो जायेंगे; और

(घ) सरकार इन बेरोजगार लोगों को कौन-से रोजगार में लगाने का विचार कर रही है?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीलानाय)† : (क) सरकार के सामने ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) से (घ) ये प्रश्न नहीं उठते।

शाहदरा में मानसिक चिकित्सालय

१५२५. श्री भक्तदर्शन : क्या स्वास्थ्य मंत्री ४ अप्रैल, १९६३ के अतारांकित प्रश्न संख्या १४३४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) शाहदरा (दिल्ली) में मानसिक चिकित्सालय के निर्माण का कार्य क्या इस बीच प्रारम्भ किया जा चुका है;

(ख) यदि हां, तो उसके निर्माण में अब तक क्या प्रगति हुई है; और

(ग) उसके निर्माण-कार्य को शीघ्रातिशीघ्र पूरा करने के उद्देश्य से कौन-से विशेष कदम उठाये जा रहे हैं।

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) जी हां।

(ख) लगभग २ प्रतिशत काम हो चुका है।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) इस काम की तात्कालिकता भारत सेवक समाज, जो इस कार्य को कर रहा है, के ध्यान में लाई गई है। कार्य की शीघ्र समाप्ति के लिये फर्म के प्रतिनिधियों के साथ उस स्थान पर बैठकें भी की जाती हैं।

उड़ीसा बाढ़ नियंत्रण बोर्ड

†१५२६. **श्री प्र० के० देव :**
श्री बूटा सिंह :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा बाढ़ नियंत्रण बोर्ड ने भारत सरकार को समुद्र में बाढ़ का पानी डालने के लिये वर्तमान नदियों से काट देने की व्यवस्था करने का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो योजना का ब्योरा क्या है; और

(ग) इस पर कुल कितना व्यय हुआ है ?

†**सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव)** : (क) से (ग). उड़ीसा बाढ़ नियंत्रण बोर्ड की प्रविधिक सलाहकार समिति ने समुद्र में बाढ़ का नाला गिराने के लिये कई योजनाओं पर विचार किया है। राज्य सरकार ने अभी केवल योजना "पुरी—बालीघई सड़क क्रासिंग पर उच्च-स्तरीय पुल, तथा गोवाकुडे कट की खुदाई" पेश की है। योजना पर ५१.२० लाख रुपये की लागत का अनुमान है और यह समुद्र में बाढ़ के जल को गिरने में तेजी करने तथा नदी की जलवहन क्षमता को बढ़ाने के लिये गोवकुड के सीधे कट के द्वारा सूर झील के बीच से समुद्र तक मार्गली का जल मोड़ने की व्यवस्था है। इस योजना की छानबीन केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग द्वारा की जा रही है।

दिल्ली में देसी शराब

१५२७. **श्री नवल प्रभाकर** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में देसी शराब की १९६२-६३ में कितनी खपत हुई; और

(ख) यह खपत १९६१-६२ की तुलना में कैसी है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) और (ख). दिल्ली में देसी शराब की खपत :

	(कुल लिटर)
१९६१-६२	६,६१,३३७
१९६२-६३	५,४५,०३७

सरकारी कर्मचारियों में रोग

१५२८. **श्री नवल प्रभाकर** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी कर्मचारियों में इन्फ्लुएंजा तथा श्वांस के रोगों में वृद्धि हुई है;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो क्या इसके कारणों का पता लगाया गया है; और

(ग) यदि हां तो उसका ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा०सुशीलानायर) : (क) इस बात का कोई निश्चित प्रमाण नहीं है कि दिल्ली में सरकारी कर्मचारियों में इन्फ्लुएंजा और श्वास के रोगों में वृद्धि हुई है। हां, इन में कुछ घटा-बढ़ी जरूर होती रहती है ।

(ख) और (ग). ये प्रश्न नहीं उठते ।

चीनी पर उत्पादन शुल्क

१५२९. **श्री विभूति मिश्र** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९४७–४८ से लेकर १२ जून, १९६३ तक विभिन्न राज्यों से चीनी पर केन्द्रीय सरकार को कितने रुपये उत्पादन शुल्क के मिले; और

(ख) क्या यह सच है कि पिछले सालों की अपेक्षा इस साल बहुत कम शुल्क मिला है और मिलने की आशा है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी): (क) एक विवरण सभा की मेज़ पर रख दिया गया है, जिस में उपलब्ध जानकारी दी गयी है। [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० १६५५/६३**] ।

(ख) हालांकि पक्के तौर पर अभी कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता, लेकिन अप्रैल/जून, १९६३ की तिमाही में प्राप्त रकम को देखते हुए यह सम्भव है कि १९६३–६४ के दौरान प्राप्त कुल रकम पिछले साल वसूल की गयी रकम से शायद कुछ कम हो ।

आय-कर विभाग, †पटना

१५३०. **श्री विभूति मिश्र** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार पटना में गार्डनर रोड पर आय-कर तथा उत्पादन-शुल्क विभाग के लिये एक नया भवन बनवा रही है;

(ख) यदि हां, तो उस भवन पर कुल कितने खर्चे का बजट है और अब तक उस पर कितना धन खर्च हो चुका है; और

(ग) इस इमारत के लिये इस महंगी जगह को चुनने के क्या कारण हैं, जब कि सस्ती जगह मिल सकती थी ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) जी हां ।

(ख) इस प्रायोजना पर कुल २३ लाख रुपया खर्च होने का अनुमान है (इसमें विभागीय खर्च भी शामिल है) ।

१९६३–६४ के बजट में कुल ६ लाख रुपये की व्यवस्था की गयी है ।

जून, १९६३ के अन्त तक ५,८४,८५० रुपये ७६ नये पैसे खर्च किये गये ।

(ग) इस जगह का चनाव जमीन की कीमत और दूसरी सभी सम्बद्ध बातों पर विचार करके किया गया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

डेमोग्राफी में अनुसंधान

१५३१. **श्री ओंकार लाल बेरवा** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १९६३ में विदेश में डेमोग्राफी में अनुसन्धान करने के लिये आठ छात्रों को छात्रवृत्तियां दी गई हैं;

(ख) यदि हां, तो छात्रवृत्ति की मासिक राशि क्या है; और वह कितनी अवधि के लिये होगी; और

(ग) क्या छात्रवृत्ति पाने वालों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के विद्यार्थी और छात्रायें भी शामिल हैं ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) जी नहीं । पापुलेशन कौंसिल इन्कारपोरेटिड न्यूयार्क में १९६३–६४ में संयुक्त राज्य अमरीका तथा अन्य स्थानों में भारतीय कर्मचारियों को डैमोग्राफी में प्री-डाक्टरल तथा पोस्ट-डाक्टरल स्तर अध्ययन करने के लिये सिर्फ ६ अधिछात्रवृत्तियां देना स्वीकार किया था ।

(ख) अधिछात्रवृत्तियों के अन्तर्गत २२५ डालर का प्रति मास व्यवस्थानुदान, पुस्तकों के लिये १५० डालर प्रति वर्ष, ट्यूँशन फीस, यात्रा व्यय तथा चिकित्सा बीमा सम्मिलित हैं। ये अधिछात्रवृत्तियां एक वर्ष के लिये हैं और विशिष्ट मामलों में इसे दूसरे साल के लिये बढ़ाया जा सकता है ।

(ग) निर्धारित आवेदन पत्र में जातीय या धर्म का कोई कालम नहीं है और इस प्रकार यह मालूम नहीं है कि इन उम्मीदवारों में से कोई अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जाति का है या नहीं । इस वर्ष इन अधिछात्रवृत्ति पाने वालों में कोई महिला उम्मीदवार नहीं है ।

आसाम में तापीय संयंत्र

†१५३२. **श्री प्र० के० देव** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आसाम में नामरूप तापीय संमंत्र किस तारीख से काम करना आरम्भ करेगा;

(ख) परियोजना तथा विद्युत् संभवना का कुल क्या अनुमान है; और

(ग) नाहरकटिय की प्राकृतिक गैस का क्या प्रयोग होगा और विद्युत् संयत्र की आवश्यकता को यह गैस कब तक पूरा करेगी ।

†**सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव)** : (क) २३, २३ मैगावाट के पहले दो एकक अप्रैल/जून, १९६४ की तिमाही में चालू होंगे और वैसा ही तीसरा एकक १९६५–६६ में चालू होगा।

(ख) मेन लाइनों सहित परियोजना की लागत का अनुमान १४०५.२७ लाख रु० का है। इस से ६९ मैगावाट की क्षमता बनेगी ।

(ग) नाहरकटिया की प्राकृतिक गैस को एक उर्वरक कारखाना, सीमेंट कारखाना, आसाम गैस कम्पनी की गैस वितरण योजना और विद्युत् जनन के लिये उपयोग किया जायेगा। यद्यपि कोई निश्चित पता नहीं है, आशा है कि गैस बिजली घर की आवश्यकता को कम से कम २० से २५ वर्ष तक पूरी करेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

मेडिकल कालेज

†१५३३. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या स्वास्थ्य मत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६३-६४ में मैडिकल कालिज कहां कहां खोले गये हैं और १९६४-६५ में वे कहां कहां खोले जायेंगे ; और

(ख) प्रत्येक को कितनी केन्द्रीय सहायता दी गई तथा इन निश्चयों का क्या आधार है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** : (क) और (ख) अपेक्षित जानकारी देने वाला विवरण संइलन है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० १६५६/६३**]

पीने के पानी के संभरण की योजना

†१५३४. **श्री कोल्ला वेंकैया** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को १९६२-६३ में राज्य सरकारों से पीने का पानी के संभरण की योजनायें प्राप्त हुई हैं; जिन पर ९ करोड़ रुपये खर्च होंगे; और

(ख) यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** : (क) और (ख) राष्ट्रीय जल संभरण तथा स्वच्छता प्रोग्राम के अन्तर्गत १९६२-६३ में राज्य सरकारों से १३ करोड़ रुपये और ३.५ करोड़ रुपये की लागत की क्रमानुसार ११२ नगरीय और ११० ग्रामीण जल संभरण तथा स्वच्छता योजनायें प्राप्त हुई थीं, इन योजनाओं में से ७१ नगरीय और ५१ ग्रामीण योजनायें, जिन की क्रमानुसार लागत ६.५ करोड़ रुपय और १ करोड़ रुपये है इस साल में स्वीकार हुई है। ५ करोड़ रु० और १.५ करोड़ रुपयकी लागत की क्रमानुसार २५ नगरीय और २६ ग्रामीण योजनाओं में पुनरीक्षण। रूप परिवर्तन का सुझाव दिया गया है। निश्चित योजनायें अभी राज्य सरकारों से प्राप्त नहीं हुई हैं। बाकी १६ नगरीय और ३३ ग्रामीण योजनायें, जिन की लागत क्रमानुसार १.५ करोड़ रुपय और १ करोड़ रुपये है, १९६३-६४ में स्वीकार हुई थी ।

अनुमान है कि बंगलौर जल संभरण योजना पर १३ करोड़ रुपये और जल निष्कासन पर तथा वितरण पर १० करोड़ रुपये व्यय होंगे और ये योजनाँयें भी विशेष सहायता के लिए विचाराधीन है ।

पाकिस्तान में भारतीय कम्पनियां

†१५३५. **श्री द्वारका दास मंत्री** : क्या निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री २१ फरवरी, १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या ६८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान में किसी भारतीय कम्पनी का लाभांश सरकार को प्राप्त हुआ है;

(ख) क्या सरगोधा इलैक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी लिमिटेड भारतीय कम्पनी है या उसे "निष्क्रान्त" घोषित कर दिया गया है; और

(ग) क्या इस कम्पनी से कोई लाभांश मिला है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना)** : (क) अ-निष्क्रान्त कम्पनियों के अंशों पर लाभांश विदेशी मुद्रा व्यापारियों द्वारा सीधे अंशधारियों को दे दिया जाता है। वे भारत सरकार के माध्यम से नहीं दिया जाता।

(ख) सरगोधा इलैक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी लिमिटेड को पाकिस्तान सरकार ने निष्क्रान्त कम्पनी घोषित कर दिया है।

(ग) निष्क्रान्त घोषित कम्पनियों के मामले में अन्य देशों में रहने वाले अंशधारियों को कोई लाभांश नहीं दिया जाता।

शिक्षा भत्ता

†१५३६. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि शिक्षा भत्ता केवल उन कर्मचारियों को दिया जाता है जिनके बच्चे उन से १० मील दूर रहते हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस भेदभाव का क्या अन्तर है ; और

(ग) इस भेदभाव को दूर करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)**: (क) से (ग). ऐसी कोई दूरी निर्धारित नहीं की गई है। बाल शिक्षा भत्ता का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों की उस अतिरिक्त व्यय को पूरा करने में सहायता करना है जो उन्हें बच्चों की शिक्षा के हित में बच्चों को दूर रखने पर करना पड़ता है। यह भत्ता उन बच्चों के लिये दिया जाता है जो सरकारी कर्मचारी के काम के या रहने के स्थान पर न रह कर अन्य स्थानों पर रहते हैं। सभी सरकारी कर्मचारियों को या सभी बच्चों के लिये यह भत्ता नहीं दिया जायेगा।

रिजर्व बैंक के कोषाध्यक्ष

†१५३७. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रिजर्व बैंकों में कोषाध्यक्षों के समाप्त करने का निश्चय किया है;

(ख) क्या यह निश्चय लागू हो गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

†**वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)** : (क) रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने नीति स्वरूप वाले कोषाध्यक्षों (कन्ट्रैक्ट ट्रेजरास) के स्थान पर कनिष्ठ अधिकारी रखने का निश्चय किया है।

(ख) और (ग). बम्बई और कलकत्ता कार्यालयों में अधिकारी कोषाध्यक्ष नियुक्त हो चुके हैं। मद्रास, नई दिल्ली, और कानपुर बंगलौर में ठेके वाले कोषाध्यक्षों के स्थान पर अधिकारी कोषाध्यक्ष रखने के प्रश्न पर उस समय विचार किया जायेगा जबकि वर्तमान कोषाध्यक्ष रिटायर होंगे।

---

†मूल अंग्रेजी में

कलकत्ता में होटल

†१५३८. **श्री रामरतन गुप्त :** क्या **निर्माण, आवास तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कलकत्ता में सरकारी क्षेत्र का एक बड़ा होटल बनाने का निश्चय किया है; और

(ख) यदि हां, तो यह कब तक पूरा होगा ?

†**निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) :** (क) और (ख). कलकत्ता में होटल बनाने का अभी कोई पक्का निश्चय नहीं किया गया है। प्रारम्भिक योजनायें तथा नक्शे तैयार हो रहे हैं ?

दिल्ली में बिजली के कनेक्शन

†१५३९. **श्री विश्राम प्रसाद :**
श्री बड़े :
श्री द्वारका दास मंत्री :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली प्रशसन ने कथित "बिजली के कनेक्शन देने के गिरोह" के बारे में पुलिस को एक मामले की रिपोर्ट दी है ;

(ख) क्या पुलिस के भ्रष्टाचार विरोधी विभाग ने मोती नगर थाने में धोखेबाजी के मामले पंजीबद्ध किये हैं; और

(ग) यदि हां, तो जांच पड़ताल का क्या परिणाम निकला ?

†**सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) :** (क) और (ख). हा।

(ग) पुलिस अभी जांच कर रही है

फरक्का बांध

†१५४०. **श्री प्र० के० देव :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तलकर्षण परामर्शदाता, डा० लकनेर ने फरक्का बांध तथा भगीरथी नदी संबंधी कोई रिपोर्ट सरकार को दी है ;

(ख) यदि हां, तो उस में क्या मुख्य सिफारिशें की गई हैं ;

(ग) वे कहां तक लागू की जा चुकी हैं ; और

(घ) इस रिपोर्ट के लिये डा० लकनेर को कितना भुगतान किया गया था ?

†**सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) :** (क) से (घ). विवरण संलग्न है।

[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० १६५७/६३]

---

†मूल अंग्रेजी में

अफीम

†१५४१. { **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९६२-६३ में देश में अफीम के उत्पादन में कमी हुई है, और

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं ?

†**वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)** : (क) जी, हां। १९६२-६३ में ९०० तत्व पर उत्पादन ५४५ टन था जब कि १९६१-६२ में ७५४ टन था।

(ख) प्रतिवर्ष तैयार अफीम की मात्रा मुख्य रूप से देश में और बाहर चिकित्सा कार्यों की मांग के अनुसार निर्धारित की जाती है। चूंकि भारतीय अफीम की वैदेशिक मांग बहुत कम हो गई है, उत्पादन को कम करना पड़ता है।

लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज, नई दिल्ली

†१५४२. **श्री धुलेश्वर मीना** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५९ से आज तक लेडी हार्डिंग मैडिकल कालेज, नई दिल्ली में कितने लोग प्रिंसिपल के पद पर रहे ;

(ख) क्या उक्त अवधि में कोई प्रिंसिपल बदला ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** : (क) और (ख). १९५९ से आज तक लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज, नई दिल्ली में दो व्यक्ति एक के बाद एक प्रिंसिपल के पद पर रहे हैं।

(ग) पहले परिवर्तन का कारण यह है कि एक स्थानापन्न नियुक्ति समाप्त कर दी गई थी। दूसरा परिवर्तन इसलिये हुआ कि अन्त में पद धारण करने वाला व्यक्ति संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना के एक अफसर के रूप में चुन लिया गया था, और उसे अंशदायी योजना में बुला लिया गया, जहां उस की सेवाओं की आवश्यकता थी।

तस्कर-व्यापारी

१५४३. **श्री ओंकारलाल बेरवा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत-पाक सीमा पर पंजाब में जुलाई, १९६३ में कितने तस्कर-व्यापारी मारे गये और गिरफ्तार किये गये ; और

(ख) इनमें कितने पाकिस्तानी व कितने भारतीय थे ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) पंजाब में, भारत-पाकिस्तान सीमा पर, जुलाई, १९६३ में चोरी छिपे माल लाने-लेजाने वाला कोई व्यक्ति न तो मारा गया और न गिरफ्तार किया गया।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

---

†मूल अंग्रेजी में

तापीय बिजलीघर, कोठागुडम

†१५४४. **श्री इ० मधुसूदन राव :** क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश में कोठागुडम में तापीय बिजलीघर की क्षमता बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

†**सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) :** (क) और (ख).: कोठागुडम में ६० मैगावाट के दो यूनिट लगाने का काम सिद्धांत रूप में अनुमोदित हो चुका है, जिस पर ९६३ लाख रुपये की लागत का अनुमान है। राज्य प्राधिकारियों को परियोजना सम्बन्धी प्रारम्भिक कार्य आरम्भ करने का प्राधिकार दिया गया है। ये इकाइयां इसी क्षमता की दो इकाइयों के अतिरिक्त होंगी, जो तीसरी योजना में लगाई जा रही हैं।

शरणार्थी दुकानदार

†१५४६. **श्री यशपाल सिंह :** क्या निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली के भूतपूर्व 'पी' ब्लाक के शरणार्थी दुकानदारों ने कई बार अभ्यावेदनों के द्वारा सरकार का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित किया है कि (रेल भवन के समीप) 'पी' ब्लाक मार्केट से उनके उठाये जाने के कारण उन का व्यापार नष्ट हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने उनकी हालत को सुधारने के लिये अब तक क्या उपाय किये हैं ?

†**निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) :** (क) और (ख). रायसीना रोड मार्केट में दुकानों के पहले अलाटियों से कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिन में इस बात की ओर ध्यान आकर्षित कराया गया है कि नवीन मार्केटों में उनको भेजे जाने से उनका व्यापार खराब होगया है। रायसीना रोड मार्के में आवंटन अस्थायी रूप में ही किया गया था और अनिश्चित काल तक जारी नहीं रखा जा सकता था। नवीन बाजारों में उनको वैकल्पिक दुकान दे दी गई हैं।

एम० बी० बी० एस० पाठ्यक्रम

†१५४७. **डा० श्रीनिवासन :**
श्री परम शिवन :

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एम० बी० बी० एस० के पाठ्यक्रम में सैनिक चिकित्सा तथा सर्जरी को शामिल करने का प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्योरा क्या है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** : (क)और (ख). अपेक्षित सूचना देने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा गया है ।

[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० १६५८/६३]

मद्रास में बकाया आय कर

†१५४८. **डा० श्रीनिवासन :**
श्री परम शिवन :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६१-६२, १९६२–६३ और १९६३–६४ में अब तक आय कर की कितनी राशि बकाया है, और

(ख) इस अवधि में अब तक कितने अनुमान पूरे किये गये हैं और कितने निपटाने के लिए लंबित पड़े हैं ?

†**वित्त मंत्री (श्री ति० त०कृष्णमाचारी)** : (क) ३० जून, १९६३ को स्थिति इस प्रकार थी :

आंकड़े हजार रुपयों में

१९६१–६२ में तथा पहले के वर्षों की मांगों में से प्रभाव पूर्ण बकाया .	४१,१९७
१९६२–६३ में हुई मांगों को प्रभावपूर्ण बकाया . . .	४२,९७८
१९६३–६४ में हुई मांगों की प्रभावपूर्ण बकाया . .	४,७११

(ख) वर्ष	अनुमान पूरा हुआ	अनुमान लंबित
१९६१–६२ . . .	१०९८३४	३९५१६
१९६२–६३	१०६५२७	५२७३२
१९६३–६४ (३० जून, १९६३ तक) . .	१५१६७	१५२८३२

भारत-पाक सीमा पर पकड़ा गया माल

१५४९. **श्री ओंकारलाल बेरवा :**
श्री माते :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान सशस्त्र पुलिस ने गंगानगर के निकट भारत-पाक सीमा पर पाक तस्करों के साथ १७ अगस्त, १९६३ की भिडंत में १६ हजार रुपये के मूल्य का माल पकड़ा ; और

(ख) यदि हां, तो यह माल क्या क्या था और वह तस्कर व्यापारी कौन थे ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) १५ अगस्त, १९६३ के तड़के राजस्थान की सशस्त्र पुलिस के अधिकारियों ने चोरी छिपे माल लाने वाले कुछ आदमियों को श्रीगंगानगर जिले की करनपुर तहसील में रोका और करीब ७९६५ रुपये का माल पकड़ा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) पकड़े गये माल में लौंग, चरस और दालचीनी थी। माल लाने वाले पहचाने नहीं जा सके, क्योंकि वे अंधेरे में पाकिस्तान की ओर भाग गये। इस मामले की जांच की जा रही है।

ग्रामीण जल सम्भरण

†१५५०. **श्री दे० शि० पाटिल** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत राज्य की ग्रामीण जल संभरण योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिये महाराष्ट्र सरकार द्वारा मांगी गई वित्तीय सहायता का स्वरूप और मात्रा कितनी है ; और

(ख) अभी तक कितनी और कैसी सहायता दी गई है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** : (क) तीसरी योजना अवधि में राष्ट्रीय जल संभरण तथा स्वच्छता कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण जल संभरण योजनाओं की क्रियान्विति के लिये राज्य की योजना में १४५.०० लाख रुपये की व्यवस्था की गई है।

(ख) १६१.६७ लाख रुपये की राशि महाराष्ट्र सरकार को ग्रामीण जल संभरण योजनाओं समेत स्वास्थ्य क्षेत्र के अन्तर्गत केन्द्र द्वारा सहायता प्राप्त सभी योजनाओं के लिये तीसरी योजना के पहले दो वर्षों में सहायक अनुदान के रूप में दी गई है। ग्रामीण जल संभरण योजनाओं के लिये प्रथक से आंकड़े बताना संभव नहीं है, क्योंकि राज्यों को केन्द्रीय सहायता देने की वर्तमान प्रक्रिया के अनुसार निधि का आवंटन योजनावार नहीं दिया जाता, किन्तु राशि योजनाओं के मोटे वर्गों या श्रेणियों के लिये मंजूर की जाती है।

ग्रामीण जल संभरण योजनाएं

†१५५१. **श्री जसवंत मेहता** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी पंचवर्षीय योजना में राज्य की ग्रामीण जल संभरण योजनाओं की क्रियान्विति के लिये गुजरात राज्य सरकार ने कितनी और कैसी वित्तीय सहायता मांगी है, और

(ख) केन्द्र ने अब तक कितनी राशि दी है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** : (क) ६२.५२ लाख रुपये की व्यवस्था तीसरी पंचवर्षीय योजना अवधि में राष्ट्रीय जल सम्भरण तथा स्वच्छता कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण जल संभरण योजनाओं की क्रियान्विति के लिये राज्य की योजना में की गई है। राज्य सरकार ने हाल ही में ग्रामीण जल संभरण की योजनाओं की क्रियान्विति के लिये राज्य योजना की अधिकतम व्यवस्था के अतिरिक्त ३२५.१० लाख रुपये का अतिरिक्त आवंटन मांगा है।

(ख) १०२.६९ लाख रुपये की राशि तीसरी योजना के पहले दो वर्षों में ग्रामीण जल संभरण योजनाओं समेत स्वास्थ्य क्षेत्र में केन्द्र द्वारा सहायता प्राप्त सभी योजनाओं के लिये गुजरात सरकार को सहायक अनुदान के रूप में दी गई है। ग्रामीण जल सम्भरण योजनाओं के लिये पृथक आंकड़े देना संभव नहीं है, क्योंकि राज्यों को केन्द्रीय सहायता देने की वर्तमान प्रक्रिया, धन का आवंटन योजनावार नहीं किया जाता, किंतु धन योजनाओं के मोटे वर्गों या श्रेणियों के लिये मंजूर किया जाता है। राज्य सरकार स्थानीय निकाय कार्यों, सामुदायिक विकास कार्यक्रमों

---

†मूल अंग्रेजी में

और पिछड़े क्षेत्रों के विकास के आवंटन से अग्रत्तर धन प्राप्त कर सकेंगी । इन आवंटकों संबंधी सूचना राज्य सरकार से प्राप्त नहीं हुई ।

दामोदर घाटी निगम के बिजली घर

†१५५२. **श्री दीनेन भट्टाचार्य :**
डा० रानेन सेन :
डा० सरदिश राय :
श्री सरकार मुरमू :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६१–६२ और १९६२–६३ में दामोदर घाटी निगम के बिजली घरों के टर्बाइनों और जनरेटरों में कितनी बड़ी गड़बड़ी हुई है. और

(ख) इस प्रकार की बार बार गड़बड़ी को रोकने के लिये क्या ठोस कार्रवाई की गई है ?

†**सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) :**

(क)

स्टेशन	१९६१–६२	१९६२–६३
दुर्गापुर थर्मल बिजली घर (२.७५ मैगावाट)		
यूनिट १	१	१
यूनिट २	१	१
बोकारो (१२५ मैगावाट)		
चौथी इकाई	१	२

(ख) निगम को सलाह दी गई है कि भविष्य में मानक संयंत्र और उपकरण खरीदने तथा निर्माताओं के अनुभव के आधार पर संयंत्र का उचित चुनाव करने का प्रयत्न किया जाना चाहिये । वर्तमान सैटों के निर्माता भी दामोदर घाटी निगम के प्रतिनिधियों के साथ विस्तारपूर्वक चर्चा कर रहे हैं और स्थान पर जांच कर रहे हैं।

दुर्गापुर भी पहली इकाई को प्रयोग के तौर पर २६–१०–६० को चलाया गया था, दूसरी इकाई को ४–२–६१ से तथा बोकारो की चौथी इकाई ३१.३.६० से । कभी कभी बीच के समय को छोड़ कर, जब एक या दूसरी इकाई को खराबी के कारण बन्द करना पड़ा है, तीन इकाईयां बिजली तैयार करती रही हैं, जिन को ग्रिड में लगाया गया था। स्पष्ट कारणों से इस बिजली जनन को अधिकतम बोउ से कम होना पड़ा । इकाइयों को साधारण तौर पर चलाया और रखा जाने लगा निम्न तरीकों के अनुसार :

डी टी सी एस	पहली इकाई	११–११–६१
डी टी पी एस	दूसरी इकाई	२३–२–६२
बोकारो	चौथी इकाई	२२–१२–६१

अब वे सभी चल रही हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

आवास योजनाएं

†१५५३. **श्री रामपुरे** : क्या **निर्माण, आवास तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चालू वर्ष में विविध आवास योजनाओं के लिये राज्यवार कितनी राशि नियत की गई है ?

†**निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना)** : वर्ष १९६३–६४ में (गन्दी बस्तियों की सफाई की योजनाओ को छोड़कर) आवास योजनाओं के लिये विविध राज्य सरकारों को आवंटित केन्द्रीय सरकार की कुल राशि इस प्रकार है :

राज्य	केन्द्रीय निधि से आवंटित	जीवन बीमा निधि से आवंटित	कुल
	(लाख रुपयों में)		
१. आन्ध्र प्रदेश .	२४.२०	७६.००	१००.२०
२. असम .	४.५०	२२.००	२६.५०
३. बिहार .	२४.६०	८७.२५	१११.८५
४. गुजरात .	६१.८०	४२.००	१०३.८०
५. जम्मू तथा काश्मीर	१९.५०	१४.९९	३४.४९
६. केरल . .	३२.२०	३८.५०	७०.७०
७. मध्य प्रदेश .	५०.००	६५.८०	११५.८०
८. मद्रास . .	६३.१०	१४५.००	२०८.१०
९. महाराष्ट्र . .	६७.६०	२१५.७५	२८३.३५
१०. मैसूर .	४५.६०	८०.००	१२५.६०
११. उड़ीसा . .	६२.९०	६०.००	८६.९०
१२. पंजाब . .	८.००	१००.००	१०८.००
१३. राजस्थान	१८.००	५३.७५	१०८.००
१४. उत्तर प्रदेश	५९.६०	१३५.००	१९४.६०
१५. पश्चिम बंगाल .	९६.५०	१००.००	१९६.५०
योग .	६०२.३०	१२३६.०४	१८३८.३४

गन्दी बस्तियों की सफाई के लिये योजना के केन्द्रीय सहायता का आवंटन अंतिम रूप से तय नहीं हुआ और राज्य सरकार को सूचित नहीं किया गया ।

मैसूर में जल-विद्युत परियोजनाएं

†१५५४. **श्री मोहसिन** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसूर राज्य में जल विद्युत परियोजनाओं के बारे में कौन सी योजनाएं सरकार के विचाराधीन हैं और क्या काली परियोजना भी विचाराधीन है.

†मूल अंग्रेजी में

(ख) इस परियोजना से कितनी बिजली तैयार होगी तथा परियोजना की लागत क्या होगी. और

(ग) क्या राज्य सरकार ने तीसरी योजना में इस परियोजना को शामिल करने का विचार किया है ?

†**सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव)** : (क) कालिन्दी योजना समेत निम्न योजनाएं विचाराधीन हैं :—

(१) शारावती (प्रक्रम ३, ९वीं और १०वीं जनरेटिंग इकाइयां)

(२) शारावती टेलरेंस

(३) काली नदी

काली नदी परियोजना की स्थापित क्षमता ७५५ मैगावाट होगी और १५ करोड़ रुपये की अनुमानित लागत लगेगी ।

(ग) काली नदी तीसरी योजनी की योजना है । इसका अन्वेशन हो रहा है । तीसरी योजना में सम्मिलित बिजली परियोजनाएं योजना के अन्तरंग भाग और गैर अन्तरंग भाग के रूप में श्रेणीबद्ध नहीं की गईं जैसा कि दूसरी योजना में किया गया था ।

दिल्ली में गन्दी बस्ती सफाई योजना

†१५५५. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **निर्माण, आवास तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली गन्दी बस्ती सफाई योजना के अन्तर्गत बहुत से मकान और दुकाने बना ली हैं, जिन को गन्दी बल्तियों के निवासी किश्तों के आधार पर खरीद सकते हैं।

(ख) यदि हां, तो कितने बनाये गये हैं, और

(ग) इन मकानों/दुकानों के आवंटन के लिये क्या कार्रवाई की गई है ?

†**निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना)** : (क) योजनाओं में अभी तक मकान आते हैं।

(ख) और (ग) :

	बनाये गये	आवंटित	बेचे गये
मकान .	६११७	५३२७	५४१*
दुकाने . .	१०६	६०	

*सभी किश्तों पर हैं।

सदस्य के त्याग पत्र के बारे में

श्री राम सेवक यादव (बारहबंकी) : अध्यक्ष महोदय. मैं एक जानकारी चाहता हूं । साथ ही साथ आपका मार्गदर्शन भी चाहता हूं । इस सदन के एक माननीय सदस्य श्री जयपाल

---

†मूल अंग्रेजी में

सिंह का क्या कोई त्याग पत्र आया है ? अगर त्याग पत्र नहीं आया तो क्या इस सदन का कोई सदस्य किसी राज्य का मंत्री हो सकता है जब तक कि वह त्याग पत्र न दे दे ?

अध्यक्ष महोदय : पता लेकर अभी आपको मैं बता दूंगा

सभा पटल पर रखे गये पत्र

समुद्र सीमा अधिनियम के अधीन अधिसूचनायें

†**वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत) :** मैं निम्नलिखित पत्रों की एक एक प्रतिलिपि सभा पटल पर रखता हूं :

(१) (क) बैंकिंग समवाय अधिनियम, १९४९ की धारा ४५ की उपधारा (११) के अन्तर्गत दिनांक १० अगस्त, १९६३ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० २०१९ में प्रकाशित बैंक आफ अलगपुरी लिमिटड को इंडियन बक लिमिटड के साथ मिलाने की योजना ।

[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० १६३७।६३]

(ख) सीमा-शुल्क अधिनियम, १९६२ की धारा १५९ के अन्तर्गत दिनांक २४, अगस्त, १९६३ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १३८९ ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० १६३८।६३]

(ग) सीमा-शुल्क अधिनियम, १९६२ की धारा १५९ और केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क तथा नमक अधिनियम, १९४४ की धारा ३८ के अन्तर्गत, दिनांक २४ अगस्त, १९६३ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १३९१, जिसमें दिनांक ४ मई, १९६३ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ७५५ का शद्धि-पत्र दिया हुआ है ।

[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० १६३९।६३]

(२) केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क तथा नमक अधिनियम, १९४४ की धारा ३८ के अन्तर्गत, निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक एक प्रति :—

(क) दिनांक २४ अगस्त, १९६३ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १३८६ में प्रकाशित केन्द्रीय [उत्पादन-शुल्क (सत्रहवां संशोधन) नियम, १९६३।

(ख) दिनांक २४ अगस्त, १९६३ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १३८८ में प्रकाशित केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क, (अट्ठारहवां संशोधन) नियम, १९६३ ।

[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० १६४०।६३]

अधिलाभ कर नियम

†**वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा)** : मैं निम्न पत्रों की एक एक प्रति सभा पटल पर रखती हूं :—

उन समवायों की सूची, जिन्हें सरकार को निर्देश करने पर वर्ष १९६२-६३ में यह सूचित किया गया है कि भारतीय आयकर अधिनियम, १९२२ की धारा ५६क [आय कर अधिनियम, १९६१ की धारा ९९(१) (चार)] के अन्तर्गत उन्हें अपनी कम्पनियों के अंशधारियों में बांटे गये लाभांश संबंध में रियायत मिलेगी।

अधि-लाभकर अधिनियम, १९६३ की धारा २६ की उपधारा (३) के अन्तर्गत दिनांक २३ अगस्त, १९६३ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० २४४० में प्रकाशित अधि-लाभ कर नियम, १९६३।

[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० १६४२/६३]

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालयमें उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर)** : मैं विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) अधिनियम, १९५४ की धारा ४० की उप-धारा (३) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) दिनांक १० अगस्त, १९६३ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १३१७ में प्रकाशित विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) छठा संशोधन नियम, १९६३।

(दो) दिनांक २४ अगस्त, १९६३ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १३९९ में प्रकाशित विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) सातवां संशोधन नियम, १९६३

[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या ए ल० टी० १६४३।६३]

जीवन बीमा निगम के प्रतिवेदनों के बारे में प्रस्ताव

†**डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी** (जोधपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"कि यह सभा ३१ दिसम्बर, १९६१ को समाप्त हुय वर्ष के लिये भारत के जीवन बीमा निगम के वार्षिक प्रतिवेदन पर लेखा परीक्षित लेखे सहित, जो १० नवम्बर, १९६२ को सभा पट पर रखा गया था, विचार करती है।"

मैं श्री ति० त० कृष्णमाचारी का वित्त मंत्री के रूप में स्वागत करता हूं। जीवन बीमा निगम श्री कृष्णमाचारी के मंत्रालय के अधीन आता है। इस अवसर पर मैं श्री देशमुख को भी बधाई देता हूं जिनकी कार्यकुशलता के कारण ही इस व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण हुआ तथापि राष्ट्रीयकरण बावजद भी जीवन बीमा निगम से जिस बात की आशा थी वह पूरी न हुई।

अब मैं प्रतिवेदन को लेता हूं। दु:ख की बात यह है कि निगम के प्रतिवेदन में उसकी भावी नीतियों कार्यक्रमों तथा कार्य का कहीं भी जिक्र नहीं था और वह इस बारे में असाधारण रूप से

---

†मूल अंग्रेजी में

भी और चुप है। यह भी दुख की बात है कि यह प्रतिवेदन ३१ दिसम्बर, १९६१ को समाप्त होने वाले वर्ष का था अतः सभा एक पुराने प्रतिवेदन पर विचार करेगी।

निसन्देह आंकड़ों के देखने से ज्ञात होगा कि निगम के व्यवसायिक आंकड़ों में बहुत वृद्धि हुई है १९६१ में जीवन बीमा निगम ने अधिकतम व्यवसाय किया है। बीमा निगम ने ६८.८२ करोड़ रुपये का नया व्यवसाय किया है। इस समय बीमाधारियों की कुल संख्या ९० लाख है तथा वार्षिक बीमा किश्तों से १५० करोड़ रुपयों की आय होती है। तथापि इससे उसके व्यापार के स्तर में गिरावट आयी है। निगम के व्यवसाय का मापदंड काफी गिर गया है। वस्तुतः निगम द्वारा बीमा करवाने वाले व्यक्तियों की जो सेवायें की गयी वे सन्तोषजनक नहीं रहीं। प्रशासन ने भी व्यापार की मात्रा बढ़ाने की ओर आवश्यकता से अधिक ध्यान दिया। फल यह हुआ कि व्यवसाय की किस्म पर अपेक्षित ध्यान नहीं दिया गया।

जहां तक गांवों से प्राप्त किये गये व्यवसाय का संबंध है आंकड़ों पर विश्वास करना कठिन है। निगम ग्रामीण समुदायों को दूसरी ही दृष्टि से देखता है। आश्चर्य की बात है कि १,००,००० की जनसंख्या वाले नगर भी गांवों में ही मान लिय गये हैं। मेरा सुझाव है कि यह मापदंड बदल दिया जाय।

प्राक्कल समिति ने व्यवसाय संबंधी जो आंकड़े दिये हैं उनसे ज्ञात होता है कि वर्ष के अन्तिम भाग में किये गये व्यवसाय का अनुपात अत्यधिक और चिन्ताजनक है। १९५९ में निगम ने नवम्बर और दिसम्बर के महीनों में ५२ प्रतिशत व्यवसाय किया है। एक कार्यकारी निर्देश के द्वारा इस प्रवृत्ति पर प्रतिबन्ध लगाना चाहिये। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या वित्त मंत्रालय इन समस्याओं का सही हल निकालने की कोशिश करेगा।

मेरा सुझाव यह है कि किश्तों में परिवर्तन करने के सुझाव पर गम्भीरता से विचार किया जाये। मैं नहीं जानता कि प्रशासन इस संबंध में अभी कितना विलम्ब करेगा। वस्तुतः किश्तों की रकम का प्रश्न सामान्य जनता तथा बीमाधारियों के लिये बहुत महत्व का है।

यह दुख की बात है कि बीमाधारियों के दावों का निपटारा करने में अत्यधिक विलम्ब हो रहा है। इससे जीवन बीमा निगम की भारी बदनामी हो रही है। एक मामले में तो जीवन बीमा निगम को परिसीमन विधि का सहारा तक लेना पड़ा है।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

सरकार को चाहिय कि वह देश में चार या पांच स्वतंत्र निगमों की स्थापना करे। इससे जीवन बीमा कार्य और अधिक कुशलता और तत्परता आयगी। इससे सामान्य बीमाधारी तीन या चार निगमों के कार्य का मुकाबला कर सकेगा। और अपनी पसन्द के मुताबिक एक को चुन सकेगा। तथा उसके लिय एक अकेली नौकरशाही संस्था की कृपा पर निर्भर रहना अनिवार्य नहीं होगा।

एक असंगति यह है कि विभागीय, खंड तथा केन्द्रीय कार्यालयों में एक ही कार्य को दुबारा तिवारा किया जा रहा है। प्रशासन को इस बात पर विचार करना चाहिये कि क्या इन तीन सीढ़ियों में से एक सीढ़ी को समाप्त किया जा सकता है।

जीवन बीमा निगम के लिये सब से आवश्यक बात यह है कि वहां मितव्ययिता की जाय ऊपर के स्तर पर पदों में कमी की जाय।

सरकार द्वारा निगम को दिये गये निदेशों को प्रतिवेदन में स्थान मिलना चाहिये । इससे यह ज्ञात हो सकेगा कि सरकार ने कब और कहां निर्देश दिया है अन्यथा स्वायत्तता के नाम पर वहां मनमाना कार्य होने लगेगा । निगम के कार्य पर सभा का पूरा नियंत्रण रहना चाहिये ।

जहां तक विनियोजन समिति का संबंध है, उसमें क्षत्रीय व्यक्तियों को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिये । वित्त मंत्री को सभा को यह आश्वासन देना चाहिये कि निगम अपनी निधियों का उपयुक्त विनियोजन कर रही है ।

वित्त मंत्री का सभा को यह आश्वासन देना चाहिये कि निगम की निधियों का उपयोग बीमाधारियों के हितों को ध्यान में रख कर ही किया जायेगा । निगम को विनियोग करने के पूर्व खूब अच्छी तरह से सोच विचार कर लेना चाहिये कि विनियोजन ठोस और लाभप्रद है या नहीं । मैं आशा करता हूं कि जीवन बीमा निगम की बीमाधारियों द्वारा किये गये विश्वास को नहीं ठुकरायगा ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

†**श्री प्रभात कार** (हुगली) : मैं डा० सिंघवी का कृतज्ञ हूं कि उन्होंने मुझे इस चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया ।

इसमें सन्देह नहीं है कि जीवन बीमा निगम के व्यवसाय में सभी दृष्टियों से पर्याप्त तरक्की हुई है । मेरा सुझाव है कि किश्तों की दरों का पुनः हिसाब लगाया जाये और किश्त की दरें घटायी जायें

निगम के प्रशासन का विकेन्द्रीकरण किया जाये । खंड समितियों को अधिक शक्तियां दी जायें जिससे कि वे अपने क्षत्रों की आवश्यकतायें भली भांति पूरी कर सकें।

विनियोजन क्षत्रीय क्षमता को ध्यान में रख कर किया जाना चाहिये ।

सरकारी कमचारियों के वेतनों से बीमे की किश्तें काटने की प्रथा समाप्त कर दी गयी है । इससे विशेषतः रेलव कर्मचारियों पर कुप्रभाव हुआ है । सरकारी कर्मचारियों पर भी सामहिक बीमा की योजना लागू की जायें जैसा कि गैर-सरकारी संस्थाओं में किया गया है ।

निगम की निधियों का विनियोग हमेशा बीमाधारियों के हित में किया जाये । यह विनियोजन देश की विकासशील अर्थव्यवस्था को ध्यान में रख कर किया जाये । यह बात गलत है कि स्टाक एक्सचेंज के रुख को बनाये रखने के लिये निगम की पूंजी का उपयोग किया जाये ।

जहां तक व्ययगत होने वाले बीमों के अनुपात का संबंध है यदि फील्ड अधिकारियों के लिये बीमा का राशि का अधिकतम कोटा कम कर दिया जाये तो इनकी संख्या में भी बहुत कमी हो सकती है । वर्तमान कोटा पूरा कर सकना व्यावहारिक ही है ।

जीवन बीमा निगम का प्रतिवेदन अधिक विस्तृत होना चाहिये ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** (गुरदासपुर) : हम जीवन बीमा निगम के पांचवें वार्षिक प्रतिवेदन पर विचार कर रहे हैं । यह प्रतिवेदन पुराना हो गया है अतः उस पर बहस करना अवास्तविक है । निगम राष्ट्रीय आवश्यकताओं को प्रसंशनीय तरीके से पूरा कर रही है । मेरे विचार से निगम की राशियों का बहुत चतुराई से विनियोजन किया जा रहा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

अभी निगम को अस्तित्व में आय हुये केवल ७ वर्ष हुए हैं इतने शीघ्र उसके गठन में परिवर्तन करना उचित नहीं है। इस प्रश्न पर दस वर्ष पूरे होने के बाद विचार किया जा सकता है। मेरा सुझाव है कि उस समय इस प्रयोजन के लिये एक आयोग की नियुक्ति की जाये जो इस बात का सुझाव देने कि गठन में क्या क्या परिवर्तन किये जा सकते हैं।

मेरा सुझाव है कि निगम को कामगरों तक भी पहुंचना चाहिये और सभी वर्गों को बीमे के अन्दर लेना चाहिये। जनता बीमा की शुरूआत की जाये तथा बीमा का सन्देश घर घर पहुंचाया जाय।

†**श्री जसवन्त मेहता** (भावनगर) : मैं डा० सिंघवी को जीवन बीमा निगम के प्रति व्यक्त किये गये उनके विचारों के लिये बधाई देता हूं। हमने पिछले ७ वर्ष जीवन बीमा निगम का कार्य देखा है। जनता यह जानती है कि निगम के पीछे सरकार का हाथ है अतः वे पूरी तरह उसकी सहायता कर रही है।

जीवन बीमा निगम के अध्यक्ष हमने भारतीय प्रशासन सेवा के वरिष्ठ अधिकारियों से लिये हैं। अध्यक्ष को जल्दी जल्दी बदलना ठीक नहीं है। केन्द्रीय संगठन तथा खंड समितियों में कर्मचारियों को नियुक्त करते समय इस बात का ध्यान रखा जाये कि सदस्य इस कार्य के विशेषज्ञ हो तथा वे सरकारी उपक्रमों में विश्वास रखते हों।

सरकार को भविष्य निधि योजना में जीवन बीमा के तत्वों के समावेश से एक समायोजित योजना बनानी चाहिये जिससे कि बचत तथा पूंजीकरण हो सके।

वस्तुतः ऐसा समय आ गया है कि जीवन बीमा निगम के विनियोजन संबंधी कार्य को केन्द्रीय संगठन से पृथक कर दिया जाये। प्राक्कलन समिति ने सुझाव दिया है कि विनियोजन बोर्ड पृथक से होना चाहिये। मैं इस संबंध में सरकार का मत जानना चाहूंगा।

अन्त में मेरा सुझाव है कि निगम के विभिन्न एककों के कार्य का केन्द्रीयकरण किया जाये इस प्रकार मामलों के निपटारे में शीघ्रता की जा सकती है।

†**श्री अ० शं० आल्वा** (मंगलौर) : वर्ष १९६१ में जीवन बीमा निगम के कार्य में चतुर्दिक प्रगति हुई है। आंकड़ों से ज्ञात होगा कि उक्त वर्ष ७०२ करोड़ रुपयों के बीमा प्रस्ताव आय जिनके वास्तविक बीमे ६०८ करोड़ रुपये के थे जबकि इससे पहिले वर्ष के ये आंकड़े क्रमशः ५६८ करोड़ और ४९७ करोड़ रुपय के थे।

मेरा सुझाव है कि गांवों में बीमा के संबंध में जागरुकता पदा करने की बहुत आशा है। इस बात के लिये यथोचित प्रचार किया जाये।

जीवन बीमा निधियों का उपयोग देश के विकास कार्यों विशेषतः भवन निर्माण कार्यों में किया जा रहा है। निगम को इस बात पर ध्यान देना चाहिये कि बीमाधारियों तथा सहकारी समितियों को ऋण इत्यादि के रूप में अधिक राशि दी जा सके।

---

†मूल अंग्रेज

निगम की यह नीति होनी चाहिये कि दावों का भुगतान अविलम्ब किया जायें। बीमाधारियों या दावेदारों को औपचारिक बालों तथा टक्नीकल बातों को पूरा करने के लिये आवश्यक सहायता देनी चाहिये जिससे दावों के भुगतान में अनावश्यक रूप से विलम्ब न हो।

श्री काशी राम गुप्त (अलवर) : उपाध्यक्ष महोदय, इस रिपोर्ट के मूल विषय पर बोलने से पहले मैं मंत्री महोदय का ध्यान १ सितम्बर के उस कार्यक्रम की तरफ दिलाना चाहता हूं जो इस निगम ने पार्लियामेंट के मेम्बरों तथा अन्य लोगों को दिखलाया था। वहां जाने से पहले तो हम लोगों को बड़ा कोतूहल था कि न जाने क्या दिखलायेंगे, लेकिन देखने पर मालूम हुआ कि जो फिल्म देहात में दिखाने के लिये बनायी गयी थी उसे हम लोगों को दिखलाया गया था जैसे उस तरह की चीज को हमने पहले न देखा हो। संसद सदस्यों को उसे दिखाने का तो कोई उपयोग न था।

एक आश्चर्यजनक बात और थी कि फिल्म के बारे में जो सज्जन बतला रहे थे वे अंग्रजी में बोल रहे थे और जो फिल्म थी वह देहात की भाषा को लिये हुये थी। इस प्रकार की असंगत बात यदि निगम भी कर सकता है तो फिर और लोगों की तो बात ही क्या कहनी।

इसके साथ साथ जो वहां पर भोजन का प्रबन्ध हुआ वह किस वैज्ञानिक आधार पर किया गया यह मुझ नहीं मालूम, शायद भारतीय रस्म रिवाज को कायम रखने के लिये वैसा किया गया हो। यह हो सकता है कि एसा करना एल० आई० सी० की पालिसी का एक अंग था। यह ठीक है कि हम लोगों ने वहां भोजन किया, लेकिन जो फिल्म हमको दिखलाया गया था उसमें बताया गया था कि इस प्रकार का खाना पीना ठीक नहीं और उसका नतीजा अच्छा नहीं निकलता। लेकिन हो सकता है कि निगम द्वारा जो यह खाना पीना किया गया इसका अच्छा नतीजा निकले।

अब मैं इस रिपोर्ट के बारे में अपने विचार आपके सामने रखना चाहता हूं।

एल० आई० सी० का जो रुपया, स्टाक एक्सचेंज में लगाया जाता है, उसके बारे में मुझ से पहले सदस्य आलोचना कर चुके हैं। मैं तो केवल यही कहुंगा कि इस बारे में विशेष नीति निर्धारित नहीं हुई है। जहां तक मुझे जानकारी मिली है, मूंदड़ा के जो शेयर थे और जिनके बारे में इतना हल्ला मचा, जो कि माइनारिटी शेयर थे वी० आई० सी० के, उनको सरकार अपने पास रखती तो एक बात थी। लेकिन मुझे जानकारी मिली है कि उन शयर्स को सरकार ने बजोरिया ग्रुप को दे दिया है। मैं जानना चाहूंगा कि इस प्रकार से एक ग्रुप से खरीद कर दूसरे ग्रुप को शेयर देना एल० आई० सी० के लिये किस प्रकार हितकारक हो सकता है।

इसके टेबिल को देखने से पता चलता है कि ज्यादातर पालिसीज जो हैं वे एक से दो हजार की या तीन से पांच हजार तक की हैं। यह साधारण जनों का रुपया है और इस रुपय को स्टाक्स और शेयर्स में लगाना एक प्रकार से नैतिक अपराध है।

इसके अलावा जो गांवों की पालिसीज बनती हैं वे एक तिहाई से कुछ कम हैं। जब कि होना यह चाहिये कि गांवों में इसका विशेष प्रचार हो। गांवों के लोगों की अवस्था शहर के लोगों से ज्यादा अनिश्चित है और इसलिये उनकी तरफ ज्यादा ध्यान देने का प्रबन्ध होना चाहिये। जो जनता पालिसीज चली थीं वे गिर गयी हैं। उनके गिरने के कारणों में जाकर और उनको दूर करके उस स्कीम को पुनर्जीवन देना चाहिये।

आजकल जो लोग गांवों में पालिसी लेते हैं उनको दूसरे वर्ष लेप्स कर देते हैं क्योंकि उनको इस बारे में शिक्षित करने वाले लोग उपयुक्त मात्रा में नहीं हैं जो उन को बतलावें कि उनको अपनी पालिसीज जारी रखनी चाहिये और यह उनके हित में है।

आलोच्य वर्ष में जो कुल पालिसीज ली गयी हैं उनकी संख्या १४,६१,६०८ हैं। इनमें से १०,२३,९४८ तो नयी हैं और शेष को देखने से यह जाहिर होता है कि कुछ ने पालिसीज को पेड अप

[श्री काशीराम गुप्त]

करके फिर लिया है या उनके साथ साथ कुछ नयी पालिसीज भी ली हैं। इसका एक रहस्य है, वह यह कि आम तौर से जो एजेंट होते हैं वे इस प्रकार का गलत प्रचार लोगों में करते हैं कि अपनी पहली पालिसी को पेड अप करा दो और उसमें तुम्हारा हित है। लोग वैसा करते हैं और एजेंट लोग उसमें पैसा बनाते हैं, डाक्टर की फीस बनती है और एल० आई० सी० का पैसा जाता है। ये एजेंट लोग वास्तव में ऐसा चक्कर डालते हैं कि पालिसी होल्डर यह समझते हैं कि वैसा करने में उनका हित हो रहा है। लेकिन वास्तव में इससे उनका हित नहीं होता। यह सारा काम चकमेबाजी से होता है। इस तरफ मंत्री महोदय का ध्यान जाना चाहिये और यह जो प्रचार चल रहा है इसको हतोत्साहित करना चाहिये, इसको प्रोत्साहित नहीं करना चाहिये।

यह देखा जाता है कि हमारे यहां असामयिक मौतें बहुत कम हो रही हैं, और जो रुपया मौत के आधार पर दिया जाता है वह बहुत ही नगण्य है। पेड अप पालिसीज का रुपया दिया गया है ,मैच्योर पालिसीज का रुपया दिया गया है। इस अवस्था में, जैसा कि मुझे से पहले माननीय डा० सिंघवी ने भी कहा है, एल० आई० सी० को प्रीमियम की दर कम करनी चाहिये। जब देश में मृत्यु संख्या घटती जा रही है और जीवन स्तर बढ़ता जा रहा है, तो जो आधार बीमे का पहले निर्धारित किया गया था उसे इस निगम को बदलना चाहिये और दर को कम करके पालिसी होल्डर्स का बोझा कम करना चाहिये क्योंकि एल० आई० सी० मुनाफा कमाने वाली संस्था नहीं है। इसे पालिसी होल्डर्स का हित देखना चाहिए। यह प्रश्न काफी गम्भीर बन चुका है, इस ओर आपको देखना चाहिये।

जो भी आपकी इनवेस्टमेंट पालिसी है उसका आधार भी बदलना चाहिए। जो रुपया एल० आई० सी० गृह निर्माण के लिए सरकारों को देती है, उनको तो उसने यह अधिकार दे रखा है कि वह गृह निर्माण के लिए उस रुपये को आमदनी के अनुसार दे सकती है, हजार वालों को या ५०० वालों की श्रेणी को दे सकती है, लेकिन पालिसी होल्डर्स के लिए कहा जाता है कि तुम सबूत दो कि तुम्हारी इतनी निश्चित आमदनी है ताकि जो रुपया उसको दिया जा रहा है उस में कोई खतरा न रहे। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मंत्री महोदय से कि पालिसी होल्डर के लिए तो यह शर्त लगाना और सरकार को रुपया देने का इस प्रकार का अधिकार देना कहां तक वाजिव है। जिस प्रकार का अधिकार सरकारों को रुपया देने का दिया गया है उसी प्रकार निगम अपने पालिसी होल्डर्स को रुपया दे यह जरूरी है।

एक्सपेंस रेशियो को देखने से पता चलता है कि इस में बहुत कुछ काट छांट करने की आवश्यकता है और की जा सकती है।

जो लैप्स रेशियो है वह बढ़ता जा रहा है। पहले यह पांच परसेंट था. साढ़े चार परसेंट था लेकिन अब यह ७ परसेंट हो गया है। यह अच्छा लक्षण नहीं है। इस बात पर मंत्री महोदय का ध्यान जाना चाहिए।

नान मैडीकल पालिसीज़ की संख्या ४,९३,९५० है, जो कि टोटल का ३३.८ है। इन पालिसीज को दस हजार तक सीमित किया गया है। मैं समझता हूं कि इनको और भी बढ़ाना चाहिए।

पढ़ी लिखी स्त्रियों के मामले में यह रुकावट डाली गयी है कि यदि वे खुद नहीं कमाती हैं तो पुरुष से आधे से अधिक का उनका बीमा नहीं हो सकता। यह कैद उचित नहीं है, उनका बीमा उसी प्रकार होना चाहिए जैसा कि पहले होता था। यह बात निश्चित है कि मृत्यु संख्या घट रही है तो स्त्रियों की भी घट रही है और इसलिए उन के वास्ते यह कैद न होनी चाहिये। अनपढ़ स्त्रियों का बीमा होता ही नहीं है।

अन्त में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि गांवों में जो पालिसीज़ होंगी वे पांच हजार से कम होंगी और उन के बारे में जो एजेंट की प्रणाली या पंचायत की प्रणाली चल रही है वह कारगर साबित नहीं हुई है । इस में कुछ फेर बदल होनी चाहिए । यह हमारा वास्तविक प्रयत्न होना चाहिए कि यह चीज किस प्रकार गांव में एक एक आदमी तक पहुंचे और भावी नीति इसी आधार पर निर्धारित करनी चाहिए ।

†**श्री ब० कु० दास** (कटाई) : निस्संदेह जीवन बीमा निगम के काम में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है । खर्च की प्रतिशतता कम हो गई है अर्थात् १९६० के २८.४ प्रतिशत की तुलना में १९६१ में २८ प्रतिशत रह गई है । किन्तु पालीसियों के व्यपगत होने के सम्बंध में १९५९ में ६ प्रतिशत का अनुपात १९६१ में ६.६ प्रतिशत हो गया है । पहले वर्ष के प्रीमियम से आय में भी कमी हुई है ।

प्रतिवेदन में चुकता की गई पालीसियों के आंकड़े नहीं दिये गये । कभी कभी एजेंट स्वयं पालीसियां व्यपगत करवा देते हैं ताकि वे नया व्यापार दिखा सकें । आंकड़ों के बिना इसका पता नहीं लगाया जा सकता ।

दावे १९६० में मृत्यु संबंधी २२.५८ थे जो १९६१ में २८.२७ हो गये हैं और परिपक्वता के १९५९ में ६६.५ थे जो १९६१ में ६७.२७ हो गये । यदि पालिसी देते समय अच्छा चुनाव किया जाए तो ऐसा न हो ।

पता नहीं सरकार ने प्राक्कलन समिति की सिफारिशों के बारे में क्या निर्णय किया है । गैर सरकारी समवाय प्रीमियम की सूचना देने और दावों का निबटारा करने में बहुत शीघ्र कार्यवाही किया करते थे । अब इस में लापरवाही बरती जाती है ।

गांवों में बीमा आरम्भ करने के बारे में यह जांच करनी चाहिये कि उसके लिए अलग निगम स्थापित करना व्यवहार्य होगा अथवा नहीं ।

श्री भू० ना० मंडल (सहरसा) : उपाध्यक्ष महोदय, एल० आई० सी० की थर्ड वैलुऐशन रिपोर्ट इस सदन के सामने पेश है लेकिन चूंकि समय बहुत कम है इसलिए जो सुझाव मुझे देने हैं उन को मैं पहले कह देना चाहता हूं ।

एल० आई० सी० की आमदनी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है इसलिए जितना भी संभव हो सके, प्रीमियम्स की दरें घटाई जांय । मैं यह भी चाहता हूं कि बोनस के रेट को बढ़ाया जाय । इस के अलावा जो रुपया एल० आई० सी० का ऊपर से इनवैस्ट किया जाता है उस इनवैस्टमेंट को कैसे युटिलाइज़ करना चाहिये, खर्च करना चाहिए, उस के बारे में मेरा कहना है कि देश की पबलिक सैक्टर की बेसिक इंडस्ट्रीज़ और रूरल ऐरियाज की स्माल स्केल इंडस्ट्रीज़ पर वह रुपया खर्च किया जाय । रूरल ऐरियाज़ में जो छोटे कुटीर और गृह उद्योग चल रहे हैं उनको इस रुपये से फ़ाइनेस किया जाय ।

इस के अतिरिक्त शहरों के हाउसिंग प्रौजैक्ट्स जो कि नौन इस्किल्ड लेबर फोर्स के लिए होते हैं, उनको फ़ाइनेंस करना चाहिये । इस के साथ ही देहातों में जो लोअर मिडिल क्लास के आदमी हैं या जो मजदूर हैं, रूरल उन के लिये भी बने हुए हाउसिंग प्रौजैक्ट्स को इस रुपए से फ़ाइनेस करना चाहिए ।

मेरा एक सुझाव यह भी है कि अगर सम्भव हो तो क्रौप इंश्योरेंस के इंस्टीट्यशन की स्थापना के हेतु भी उसके फंड्स को इस्तेमाल किया जाय । उसके वास्ते यदि कोई स्कीम बन सके तो वैसी स्कीम जल्द ही बननी चाहिये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

इस रिपोर्ट को देखने से मालूम पड़ता है कि एल० आई० सी० में लैप्सेशन दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। इस ओर अन्य माननीय सदस्यों ने भी सदन का ध्यान दिलाया है। हम देखते हैं कि सन् १९६१ में यह लैप्सेज़ बढ़ कर ७ परसेंट हो गया है। जहां १९५७ में यह ६.४ परसैंट था, १९५८ में ५.१ परसेंट हुआ, १९५९ में ६ परसैंट रहा, १९६० में ६.६ परसैंट हो गया और सन् १९६१ में जैसा मैं ने बतलाया यह बढ़ कर ७ प्रतिशत हो गया। इस बारे में मेरा यह कहना है कि जो लैप्ससेज़ में बढ़होत्तरी हो रही है उस का एक बड़ा कारण यह है कि इंश्योरेंस एजेंट्स और दूसरे जो बीमा कर्मचारी हैं उनको अपने प्रमोशन की चिन्ता सवार रहती है और इसलिए वे हैफेज़र्ड वे में प्रपोज़ल्स लेते हैं और पालिसी देते हैं जिसकी वजह से लैप्सेज हो जाते हैं। दूसरा कारण यह है कि जिस समय इसका प्लान बन रहा था कि इंश्योरेंस का क्या टार्गेट रक्खा जाये तो १९५९ के लिए ४२ करोड़, १९६० के लिए ५१५ करोड़, १९६१ के लिए ६६० करोड़, १९६२ के लिए ८२५ करोड़ और १९६३ के लिए १००० करोड़ रुपये का टार्गेट रक्खा गया। लेकिन यह जो टार्गेट रक्खे गये थे वह किसी वास्तविक बेसिस पर नहीं रक्खे गये थे। जो सरकमस्टान्सेज़ थे जो स्थिति थी वह इन टार्गेट्स का तकाज़ा नहीं करती थी फिर भी यह टार्गेट रक्खे गये। यही कारण है कि जो एक वास्तविक टार्गेट रक्खा गया है उस टार्गेट को पूरा करने के लिए इस तरीक़े से हैफेज़र्ड वे में सारे प्रपोज़ल्स इकट्ठा करने की कोशिश की जाती है और इसलिए इतने लैप्सेज होते हैं।

इस लिए मेरा सुझाव है कि सभी यह जो टारगेट हैं, उस को वास्तविकता पर आधारित करने की कोशिश करनी चाहिए और फिर से वास्तविक स्थिति को जांच कर के टारगेट फिर से निश्चित करना चाहिए।

इस ढंग की अवास्तविक कार्यवाही का नतीजा यह हुआ है कि इंशोरैंस कम्पनी में काम करने वाले नौकरों को विक्टिमाइज़ किया गया है। कई एसिस्टैंट ब्रांच मैनेजर्स के खिलाफ, जो कि १९६१ में प्रोमोट किये गए थे, यह चार्ज लगाया गया है कि उन्होंने बोगस बिजिनेस दिखाया है। उन छोटे कर्मचारियों को सस्पेंड किया गया था, लेकिन बड़े अफसरों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई। इतना ही नहीं रीइन्स्टेट होने के बाद उन को उस सस्पेंशन पीरियड की पे नहीं मिल पाई है। मैं चाहता हूं कि उन की जो पे बाकी है, वह उन लोगों को दी जाये।

†**श्री व० बा० गांधी** (बम्बई नगर मध्य दक्षिण): हमें जीवन बीमा निगम से बहुत आशाएं थीं। वे कहां तक पूरी हुई हैं? क्या इसके व्यापार में वृद्धि हुई है? आंकड़ों से पता चलता है कि गत पांच वर्ष में १.२६४ करोड़ रुपये का कार्य बढ़ा है।

निगम की नीति का उद्देश्य था कि निम्न वर्ग और मध्य आय वर्ग का बीमा अधिक किया जाए और निगम २६ प्रतिशत बीमा इन लोगों का करने में सफल हुआ है।

यह भी आशा थी कि ३.५ प्रतिशत बीमा गांवों में किया जायेगा। यह कर लिया गया है? मुझे आशा है कि निगम १००० करोड़ रुपये का बीमा करने के लक्ष्य को पूरा कर लेगा।

निगम की आलोचना में कहा गया है कि यह एकाधिकारी निगम है। किन्तु इस से यह अभिप्राय लेना गलती होगी कि एकाधिकारी होने के कारण कौशवहीन है। प्रीमियम की दर, बोनस और मुनाफे की दृष्टि से निगम की कुशलता प्रकट हो जाती है। ऐसे एकाधिकार पूर्ण निगम का बड़े पैमाने की अर्थ-व्यवस्था के लिए भी लाभ है।

†मूल अंग्रेज़ी में

श्री ओंकारलाल बेरवा (कोटा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एल० आई० सी० की रिपोर्ट पर कुछ कहना चाहता हूं ।

जैसा कि माननीय सदस्य, श्री काशी राम गुप्त ने कहा है, १ सितम्बर को बीमा निगम की तरफ से हमको विज्ञान भवन में बुलाया गया था और एक फिल्म दिखाई गई थी । ठीक है, ऐसी फ़िल्में ज़रूर दिखाई जानी चाहिये । हमें भी उस से बहुत जानकारी इत्यादि मिल गई, लेकिन अगर ऐसी फ़िल्में गांवों के लिये तैयार करवाई जायें, तो बहुत ही अच्छा हो । इस के अलावा अंग्रेज़ी के बजाये हिन्दी और दूसरी स्थानीय भाषाओं में उन फिल्मों का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गांवों वाले, देहात के लोग, अंग्रेज़ी को नहीं समझते हैं । जिस स्थान की जो भाषा हो, जैसे मारवाड़ में मारवाड़ी और बंगाल में बंगाली, उस भाषा में फ़िल्में तैयार करवा कर गांवों के लोगों को इन्शोरेंस के बारे में समझाना बहुत ज़रूरी है । शहर वाले तो समझते हैं कि बीमा क्या चीज़ है और बीमा कराना ज़रूरी है या नहीं, लेकिन गांवों वालों को इस विषय में ज्यादा से ज्यादा तादाद में समझाने के लिये उन की भाषा में ऐसी फ़िल्में ज्यादा से ज्यादा तादाद में तैयार करवा कर दिखाई जानी चाहिए ।

फ़िल्म में हम को दिखाया गया था कि किस प्रकार शादी थोड़े पैसे में हो गई, लेकिन बीमा निगम की तरफ से जो पैसा खर्च किया गया, उस पर मुझे बहुत दुख हुआ कि कैसे पैसा बचाया जाता है और कैसे उस पैसे को उड़ाया जा रहा है । हम ने भी वहां पर खाना खाया था, लेकिन खाते हुए हमें बहुत दुख हुआ ।

श्री त्यागी (देहरादून) : कितने आदिमियों का खाना था?

श्री ओंकारलाल बेरवा : बहुत आदमियों का ।

श्री काशी राम गुप्त : एक हज़ार का ।

श्री ओंकारलाल बेरवा : हम ने खाना खा तो लिया, लेकिन बहुत दुःख हुआ । मैं समझता हूं कि पैसे को इस प्रकार बर्बाद नहीं करना चाहिये । पैसा पैसा कर के कमीशन का जो रुपया इकट्ठा किया जाता है, देहात के लोगों से जो पैसा इकट्ठा किया जाता है, उस को इस तरह नहीं उड़ाना चाहिये ।

निगम की ओर से डिफ़ेंस में जो रुपया दिया गया है, उस के लिये मैं उस को धन्यवाद देता हूं । वह बहुत ही अच्छी बात है और उस में रुपया देना चाहिये । लेकिन इस तरह पैसे की बर्बादी का मैं विरोध करता हूं ।

एक बात मैं यह कहना चाहता हूं कि हज़ार, दो हज़ार या पांच हज़ार की जैसी भी पालीसियां आपने रखी हैं, उनका गांवों में अधिक से अधिक प्रचार होना चाहिये । गांवों में आपको ज्यादा से ज्यादा एजेंट भेजने चाहिये और वहां पर इधर उधर इस काम का काफी विस्तार किया जाना चाहिये । ये एजेंट गांव पंचायतों के अन्दर जा जा कर, लोगों के साथ मिल कर, उनके साथ बैठ बैठ कर, उनको समझाने बुझाने का काम कर सकते हैं और गांव वालों को पालिसी लेने के लिए कह सकते हैं । यदि ऐसा किया गया तो काम आपका अच्छी तरह से चल सकता है । वहां पर आपको काफी काम मिल सकता है ।

[श्री ओंकारलाल बरवा]

आप यह भी देखें कि पालिसी फेल होने का कारण क्या है। आपके एजेंट लोग आपके फील्ड आफिस क्या करते हैं, इस की तरफ आप ध्यान दें। आप ज़िलों के टारगेट फिक्स कर देते हैं, एक लाख या दो लाख या पांच लाख। जहां नवम्बर का महीना आता है, आपके एजेंट और फील्ड आफिसर्स उस वक्त करते यह हैं कि अपनी पाकेट से लोगों के बिहाफ पर पैसा दे देते हैं, फार्म भर कर दे देते हैं और लोगों के दस्तखत ले लेते हैं और डाक्टरी वगैरह के जो पांच दस रुपये होते हैं, वे भी डाक्टरों को मिल जाते हैं और इस तरह से जो टारगेट होते हैं, वे पूरे कर लेते हैं। टारगेट्स को पूरा करके वे फील्ड आफिसर वगैरह बन जाते हैं। कुछ दिनों के बाद होता यह है कि जिस व्यक्ति के नाम से पालिसी जारी की गई होती है, वह उससे इन्कार कर देता है और पालिसी फेल हो जाती है। ऐसा नहीं होना चाहिये। आपको अपने अफसरों को भी इस बारे में समझाना बुझाना चाहिये। जो लोग अपनी तबीयत से और समझ बूझ कर फार्म भरें, उनसे ही फार्म भरवाये जाने चाहिये। अपनी जेबों से पैसे दे कर अफसर बनना ठीक नहीं है। अगर इस तरह से काम होता रहा तो पांच साल के अन्दर इतने एजेंट और अफिसर हो जायेंगे कि बीमा कराने वाले भी शायद न मिलें। कोई आता है और कहता है कि तीस परसेंट दे देना, कोई आता है और कहता है कि बीस परसेंट दे देना और कोई आता है और कहता है कि पंद्रह परसेंट ही दे देना। यह जो चीज़ है, यह गलत है। इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिये। उनको समझा बुझा कर लोगों का बीमा करना चाहिये और साथ ही साथ कुछ भय भी होना जाहिये ताकि लोग सोच विचार के बाद पालिसी का फार्म भरें।

आपके कर्मचारी जो दूसरों का बीमा करते हैं, उनका भी बीमा होना चाहिये, उनको भी अपने बीमे के फार्म भरने चाहियें। होता यह है कि वे दूसरों का तो बीमा करते हैं, लेकिन अपना बीमा नहीं करते हैं।

नौकरी से जब वे अलग हो जाते हैं या जब उनको नौकरी से अलग कर दिया जाता है तो उनको पेंशन भी मिलनी चाहिये। अब तो यह काम सरकारी हो गया है। जिस तरह से सरकारी नौकरी करने वालों को पेंशन मिलती है, उसी तरह से इन को भी पेंशन मिलनी चाहिये। पेंशन को भी उनकी नौकरी की शर्तों में एड किया जाना चाहिये। अगर आप इसको नहीं भी करना चाहते हैं, तो भी उनको पेंशन जरूर मिलनी चाहिये।

शहरों के अन्दर आप हाउसिंग स्कीम्ज़ में रुपया लगाते हैं। आपको अपनी भी हाउसिंग स्कीम बनानी चाहिये और उसमें आपको रुपया लगाना चाहिये। आपके अपने सर्वेंट्स के लिये, आपके अपने अफसरों के लिए बम्बई, मद्रास, कलकत्ता वगैरह में कोई मकान नहीं। वहां पर ये लोग किराये के मकानों में रहते हैं। अगर इन स्थानों में तथा दूसरे स्थानों में भी आपकी तरफ से रुपया मकान बनाने में लगाया जाए और वे मकान इनको रहने के लिए दे दिये जायें तो उससे बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। हाउसिंग पालिसी के अन्दर ज्यादा से ज्यादा रुपया आपको लगाना चाहिये।

कई बार देखा है कि आपके जो कर्मचरी हैं, वे हड़तालों का सहारा लेते हैं तनख्वाहों वगैरह के मामले में। अभी बम्बई के अन्दर वहां के निगम कर्मचारियों ने हड़ताल की थी और उनके प्रतिनिधियों के साथ बातचीत हुई थी, महंगाई भत्ते तथा तनख्वाहों वगैरह के बारे में। अभी तो उस बारे में कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। जो महंगाई है, वह चूंकि बढ़ गई है, इस

वास्ते यह स्पष्ट सबूत है, कि उनका महंगाई भत्ता वगैरह बढ़ना चाहिये। अगर वे एक रुपया मांगते हैं तो कम से कम चार आना तो जरूर बढ़ा ही दिया जाना चाहिये। जब महंगाई बढ़ी है तो आप अपने कर्मचारियों से त्याग का परिचय देने को नहीं कह सकते हैं। जो भूखा आदमी है, वह त्याग नहीं कर सकता है। इस वास्ते मेरी प्रार्थना है कि इनकी तनख्वाहों वगैरह की तरफ भी आपको ध्यान देना चाहिये। यह बहुत जरूरी है।

इस काम को अगर ठीक ढंग से चलाया जाए तो काफी बचत हो सकती है। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि काफ़ी बचत होती भी है। लेकिन आपके जो एजेंट हैं या आपके जो फील्ड आफिसर हैं वे ठीक ढंग से लोगों को समझाते नहीं हैं और किसी तरह से फार्म भर भरा करके अपना उल्लू सीधा कर लेते हैं। इस तरफ आपको विशेष ध्यान देना चाहिये।

अधिक न कहते हुए अन्त में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि गांवों के ऊपर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दे कर आपको काम को आगे बढ़ाना चाहिये।

†**वित्त मंत्री (श्री कृष्णमाचारी)** : प्रस्तावक महोदय ने मेरे बारे में जो शब्द कहें उनके लिए मैं आभारी हूं। मैं इस विषय को खास तौर से पसंद तो नहीं करता किन्तु इस में विशेष रुचि रखता हूं। पूर्व वक्ता ने निगम की सफलता के बारे में जो कहा उसके लिए आभारी हूं। इस प्रगति को सभी स्वीकार करेंगे। दोनों बातें कही जा सकती हैं अर्थात् देश समृद्ध है और देश में भय की स्थिति है। समृद्ध होने पर लोग आय कर से बचने के लिये बीमा करवा लेते हैं या फिर वे भविष्य के बारे में भयभीत होते हैं इस लिये भी बीमा करवाते हैं। तो भी जीवन बीमा निगम का अभिलेख महत्वपूर्ण रहा है और मेरे पूर्वाधिकारी ने इसका राष्ट्रीयकरण करके ठीक ही कार्य किया था।

प्रस्तावक और अन्य बहुत से सदस्यों ने व्यापक बीमे के अनुपात की बात कही है जिसका कारण यह बताया गया कि निगम के ऐजंट वर्ष के अन्त में व्यापार का लक्ष्य पूरा करना चाहते हैं। इसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि लक्ष्य तक पहुचते हुए फार्म की गति बढ़ जाती है। लक्ष्य को चार भागों में बांटने का अधिक लाभ नहीं होता आखिर चारों भागों का जोड़ जनता और सभा के समक्ष रखा जाता है। इस का उल्लेख करते हुए हम यह भूल जाते हैं कि बीमा कार्य कैसे होता है। किसी समय मेरा भी बीमें के काम से सम्बन्ध था। तब मैं आज की तुलना में तनिक अधिक समृद्ध था। अतः मैं जानता हूं कि ऐजेंट अपने शिकार को फांसता है। चाय काफी बगैरह से वह उन्हें फांसता है और आखिर वह कहता है "मित्र लक्ष्य अवश्य पूरा होना चाहिये। कैसे किया जाये।

दूसरी बात यह है कि भारतीय कर पद्धति और राजस्व कर पद्धति से लोगों पर वर्ष के पहले चार महीनों में बहुत बोझ पड़ता है। और तो और व्यापार भी यदि वह विशेष उपयोग की वस्तु के बारे में न हो तो घर जाता है। अतः पहले चार महीने बीमे का कार्य कम होता है। अब वर्ष को सरकारी वर्ष ३१ मार्च तक बढ़ा दिया गया है और अब आप देखेंगे कि सर्दियों में काम बढ़ेगा और फरवरी और मार्च में कम हो जायेगा। किसी भी काम में मानवीय स्थिति की उपेक्षा नहीं करनी चाहिये।

बीमा व्यपगत के सम्बन्ध में मेरे मित्र का कथन ठीक है किन्तु इस मामले का हल इससे अधिक आसान नहीं हो सकता। वास्तव में व्यपगत कार्य का अनुपात बढ़ना अधिक महत्वपूर्ण

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री कृष्णमाचारी]

नहीं। इसके कई कारण हो सकते हैं एक तो यही कि बीमा-शुदा कम समृद्ध लोग बीमा व्ययगत करवा लेते हैं। पूर्व वक्ता ने इनामी बांडों और राष्ट्रीय बचत योजना का उल्लेख किया है। किन्तु बीमों के व्यपगत होने का मुख्य कारण आर्थिक स्थिति है। यह संभव है कि एजेंटों में बहुत उत्साह रहा हो जिससे अच्छा व्यापार न हो पाया हो किन्तु केवल यही कारण नहीं है। इस प्रकार के इस कार्य में आर्थिक स्थिति लक्षित होती है। सीमान्ति वृद्धि संभवतः इस कारण है कि भारत के कुछ भागों के लोग समझते हैं कि उनके लिये बीमा करवाने का कोई लाभ नहीं रहा। किन्तु इस का ध्यान रखने की आवश्यकता है और मुझे आशा है कि निगम इस वाद-विवाद को पढ़ कर इस से लाभ उठायेगा।

ग्रामीण बीमा पर भी बल दिया गया है। ग्रामीणों की संख्या के आधार पर जीवन बीमें में उनकी रुचि की अगाध क्षमता है। किन्तु संभवतः ग्रामीण क्षेत्र की अर्थ-व्यवस्था में सुधार इतना नहीं हुआ जितना नगरों में हुआ है। दूसरे गांवों में नगर की अपेक्षा, असुरक्षा की भावना कम है। वहां एक उपार्जन कर्ता पर निर्भरता नहीं है। दक्षिण भारत में सब से अधिक बीमा हुआ है जिसका कारण न तो यह है कि वह समृद्ध न यह कि वह दरिद्र है। प्रायः जो व्यक्ति कष्ट में होता है वह बीमा करवाता है। जब किसी का ब्याह हो जाता है और बच्चे हो जाते हैं तो एजेंट कहते हैं कि पत्नी के नाम बीमा करवा लो। दक्षिण भारत में असुरक्षा की भावना अधिक होने के कारण अधिक बीमा हुआ है और हो सकता है कि सुरक्षा की भावना के कारण ही हो। वहां समृद्धि का अधिक समान वितरण हुआ है। यहां समृद्धि कुछ ही लोगों तक सीमित है।

गांवों में बीमे की वृद्धि सरकार के कामों और विकास कार्यों में संसद् द्वारा समर्थन से अधिक होगी। न कि जीवन बीमा निगम के कार्यों द्वारा। यदि जीवन बीमा निगम का चेयरमैन साक्ष्य दे सकता तो वह कहता—"आप ने यह नहीं किया आप को उनको बढ़ाना चाहिये था तब मैं बीमा बढ़ा लूंगा।" हमारे द्वारा बीमे में प्रगति न कर पाने का यही कारण है। गांवों में जितनी समृद्धि बढ़ेगी उतना ही वहां बीमे का काम बढ़ेगा। मैं जब बीमे में काम करता था तो मैं लोगों से कहा करता कि औद्योगिक क्षेत्र पर अधिक बल दीजिये जिस में हम ने अधिक पैसा लगाया है। अतः जीवन बीमा निगम गांवों की उपेक्षा नहीं करती बल्कि वे लोग अन्य किसी कारण से काफी बीमा नहीं करवाते।

एक सदस्य ने कहा कि एजेंट गांवों में नहीं जाते। ऐसा ही प्रश्न स्वास्थ्य मंत्री से किया गया था कि डाक्टर गांवों में नहीं जाते। मैं यह उत्तर दे सकता था कि वहां सामान नहीं है अस्पताल नहीं है। सुविधाएं नहीं है और पैसा अधिक नहीं मिलता। अतः गांवों की उपेक्षा के विभिन्न कारण हैं। यदि आप एजेंट को निश्चित राशियां और दैनिक भत्ता दें और यह परवाह न करें कि वह कितना व्यापार करता है तो मुझे विश्वास है कि वह अपने क्षेत्र के हर गांव में एक दिन बिता सकता है। किन्तु यदि आप व्यापार चाहे और वहां से व्यापार न आये तो वह नहीं जायेगा। मूलतः यह काम हमारा है कि या तो उन्हें समृद्ध बनाया जाए या उन्हें डराया जाए दोनों स्थितियों में वे बीमा करवायेंगे। किन्तु मैं समझता हूं कि निगम को इस बात का ध्यान है।

मैं चाहता था कि एजेंट के लिए यह कार्य आकर्षण पूर्ण बनाया जाए अर्थात् उसे कुछ अतिरिक्त नौकरी दी जाए जसे गांव का डाक बाबू बना दिया जाए मैंने अपने सहयोगी श्री लालबहादुर शास्त्री के समक्ष यह प्रस्ताव रखा था।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी ने कहा कि जब मृत्यु दर कम हो गई है तो प्रीमियम की दर भी क्यों कम नहीं कर दी जाती । इस से निगम की स्थिरता जाती रहेगी । निगम को जो मुनाफा होता है उसे तो बांट ही दिया जाता है। मृत्यु दर के कम होने से सब पिछला बीमा वास्तविक हो जाएगा और तब सब पिछला तथा जीवन बीमा को बोनस दिया जा सकेगा । अन्ततः बीमा करवाने वाले को ही लाभ होगा ।

प्रस्तावक ने कार्यवहन व्यय का उल्लेख किया था और कहा था कि बीमा के अधिकारियों को बड़े बड़े वेतन दिये जाते हैं। मेरा विचार है कि वाणिज्यिक अधिकारियों की तुलना में वे वेतन अधिक नहीं हैं और यदि उन्हें अन्य लाभ न दिये गये तो बीमा कार्य लाभ आकर्षक रह जायेगा । तो भी मैं समझता हूं कि उच्च प्राधिकारियों का खर्च तुलनात्मक दृष्टि से कम है। प्रायः ३० हज़ार कर्मचारी बढ़ाने का प्रश्न है जो खर्च करना ही होगा । मैं इस पक्ष में नहीं कि बीमा कर्मचरियों, एजेंटों आदि के वेतन कम किये जाएं। वेतन बढ़ने चाहियें क्योंकि उसे अपना जीवन स्तर बढ़ाना है । वेतन घटाने के बजाय व्यापार बढ़ाने में अर्थव्यवस्था की सफलता है। यह अनिवार्य प्रतीत होता है कि अधिकांश सरकारी क्षेत्र के समवायों में कर्मचारियों के अधिक वेतन और मुनाफे में सामंजस्य करना कठिन होता है।

†**डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :** क्या प्रीमियम की दरों संबंधी तथ्यों की जांच की गई है या शुरू की जा रही है ?

†**श्री कृष्णमाचारी :** इस प्रश्न का उत्तर मैं नहीं दे सकता क्योंकि मैंने अभी इस पद को संभाला है ।

श्री त्यागी : क्या बीमा सम्बन्धी तथ्यों में लम्बी आयु को भी हिसाब में लिया जाता है ?

†**श्री कृष्णमाचारी :** इसे हिसाब में लिया जाता है।

यदि मुनाफा बढ़ता है तो उसका लाभ बीमा करवाने वाले को ही होता है क्योंकि उससे बोनस की दर बढ़ जाती है । संभवतः मुद्रास्फीति के रोकने के लिये यह अच्छा तरीका है क्योंकि बीमा करवाने वाले अब पैसा देते हैं और बाद में उसे लेते हैं। जीवन बीमा निगम का एक गवेषणा विभाग है और वह इस बारे में अधिक तथ्यों का पता लगायेगा । मृत्यु दर कम होने से मुनाफा बढ़ेगा । उस दर में परिवर्तन के कारण प्रीमियम की दर में परिवर्तन करना उचित नहीं । बाद में ऐसी बीमा योजनायें चालू हो सकती हैं। जिन में ये लाभ न हों किन्तु प्रीमियम की दर कम हो ।

यदि माननीय सदस्य ने कहा होता कि बिना बोनस वाली पालीसियों का प्रीमियम कम होना चाहिये तो मैं निगम के चेयरमैन से कहूंगा। किन्तु दूसरे मामले में प्रश्न उत्पन्न नहीं होता क्योंकि मुनाफा बीमा करवाने वालों को भी मिलता है । एक और बात जो सदस्यों ने उठाई थी श्रेणियों की अधिक संख्या के बारे में थी । प्रस्तावक ने इस मामले में मेरी एक गलती बताई थी। मेरा विचार है कि ये श्रेणियां समाप्त होनी चाहिये और वे इस विषय में कुछ प्रयत्न कर रहे हैं। मैंने हाल में समाचार पत्रों में पढ़ा है कि शाखा प्रबन्धकों को अधिक शक्तियां दी जा रही हैं, और बीमा निगम के उच्च अधिकारी व्यापार बढ़ाने और अधीक्षण में लगे रहते हैं।

दूसरी बात यह कही गई थी कि संगठन का स्वरूप एकाधिकार वाला है। मैं नहीं कह सकता कि बीमा के राष्ट्रीयकरण के समय यदि मैं होता तो मैं ने क्या किया होता ? शायद

---

†मूल अंग्रेजी में

मैंने कम्पनियों के गुट बना लिये होते और फिर उन्हें मिलाया होता, किन्तु अब तो यह हो चुका है और इन्हें फिर जुदा करने का कोई अर्थ नहीं है । अब यह देखना है कि इस एकाधिकार रूप को ऐसे ढाला जाये कि इस से कोई हानि न हो ।

†**डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : यह आप कैसे करेंगे ?

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : मैं सदन के या समिति के सदस्यों की आलोचना का स्वागत करूंगा । हमें अपनी ओर देखना चाहिये और त्रुटियों को दूर करना चाहियें । संगठन के स्वरूप की त्रुटियों को विकेन्द्रीकरण से दूर किया जा सकता है ।

डा० सिंघवी और अन्य सदस्यों ने मद्रास के एक मामले में बिलम्ब का उल्लेख किया था । मुझे बताया गया है कि निगम ने परिसीमन का आश्रय नहीं लिया ।

†**डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : इसने लिया था ।

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : यदि उस ने ऐसा किया था तो गलत किया । मैं मानता हूं कि इस मामले में समझौता करने में बहुत विलम्ब किया गया । बकाया सम्बन्धी विवरण मेरे सामने है और कोई अधिक महत्वपूर्ण नहीं है । मृत्यु दावों के सम्बन्ध में बकाया की राशि ८ करोड़ के लगभग है, दान सम्बन्धी दावे लगभग ५ करोड़ रुपये के हैं म अवश्य निगम से कहूंगा कि वह इसे ठीक करे । मैं उस से कहूंगा कि तिमाही बकाया विवरण भेजे जायें । मुझे विश्वास है कि बकाया के आंकड़े मांगने से ही कुछ न कुछ सुधार होगा । किन्तु मुझे श्री कार का सहयोग चाहिये यदि लोग बकाया सम्बन्धी प्रार्थना पत्र उठाकर एक ओर रख दें, तो काम कठिन हो जाता है । लोगों की ओर से भी यह सहयोग होना चाहिये ।

†**श्री प्रभात कार** : मेरे विचार में यह आरोप गलत है कि लोग सहयोग नहीं देते और बकाया को एक तरफ रख देते हैं ।

†**डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : वे केवल श्रम के एक भाग का प्रतिनिधित्व करते हैं ।

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : कुछ लोगों में यह कमज़ोरी होती है । श्री कार को शायद यह मालूम नहीं हो, किन्तु मैं जानता हूं । मैं अनुभव करता हूं कि श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करने वाले संगठन को भी सहयोग देना चाहिये । यह एक सरकारी संस्था है । यदि श्रमिकों और प्रबन्धकों में सहयोग बढ़े, तो मेरे ख्याल में अगले प्रतिवेदन के आने तक--अगले वर्ष हम इस में काफी कमी दिखा सकेंगे । आंकड़े मांगने को मुझ में जो शक्ति है, मैं उसका पूरा प्रयोग करूंगा । मुझे संदेह नहीं कि मुझे सभापति और उनके कर्मचारियों का पूरा सहयोव प्राप्त होगा ।

जीवन वीमा के निर्यात के बारे में कहा गया था । हमने बाहर के आंकड़े दिये हैं । मैं माननीय सदस्य को बता सकता हूं कि हमारे साथ के बहुत से देश बीमें का राष्ट्रीयकरण कर रहे हैं और यथासमय वे कहेंगे कि भारतीय बीमा न लीजिये । हम ने अपना एक वरिष्ट अधिकारी लंका को अपना बीमे का राष्ट्रीयकरण करने के लिए लंका भेजा था ।

धन विनियोग की समस्या बहुत जटिल है । मैं मानता हूं कि निगम से अपना धन विभिन्न दिशाओं में लगाना चाहिये । उदाहरणतया मैं चाहूंगा कि वह कम आय वाले समुदाय के लिए

---

†मूल अंग्रेजी में

मकान बनाने के लिए रुपया लगाए और कृषकों को गोदामों की सुविधायें दे। जीवन बीमा निगम कह सकता है कि गोदाम बनाना लाभप्रद नहीं होगा किन्तु मैं समझता हूं कि अन्त में यह बहुत लाभप्रद होगा। यह किसी प्रतिशतता का प्रश्न नहीं है। अब ३ या ४ प्रतिशत का दावा दे सकते हैं किन्तु जीवन बीमा निगम का यह दायित्व है कि वह कुछ लाभ कमाये। अतः इस ने ऐसे रास्ते अपनाये हैं, जिन से कुछ लाभ हो। अतः यदि हम इसे अपना ६० या ७० प्रतिशत धन सरकारी प्रतिभूतियों में विनियोग करने के लिए कहें, तो अवक्षपन को पूरा करने के लिये उस के पास ऐसी आस्तियां होनी चाहियें, जिन का अधिमूलयन हो सके। फिर अन्त में वे कहेंगे कि हमारी आस्तियां उसी जगह पर हैं। अतः इस मामले में हमें निर्णय बीमा निगम पर छोड़ देना चाहिये।

†**श्री त्यागी** : दं प को मात्रा को भी ध्यान में रखना चाहिये। अन्यथा बीमा को हानि पहुंचेगी।

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : जी हां, बोनस भी एक आकर्षण है, विशेषकर दान सम्बन्धी पालिसियों में, जिस में बीमा कम्पनियां अधिक कमाती हैं ?

अतः हमें विभिन्न पहलुओं पर विचार करना है। माननीय सदस्यों की मैत्रीपूर्ण आलोचना का स्वागत करते हुए मैं कहूंगा कि यदि उन के सुझावों को तुरन्त न माना जाये तो उन्हें निराश नहीं होना चाहियें। मैं जीवन बीमा निगम से कहूंगा कि वह इन सब सुझावों पर विचार करे और अपने काम में सुधार करने की व्यवस्था करे।

†**श्री काशी राम गुप्त** : कमाने वाली और न कमाने वाली स्त्रियों की पालीसियों में विभेद क्यों है और संयुक्त पालीसियां क्यों बन्द कर दी गई हैं ?

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : मैं जानकारी प्राप्त करूंगा।

†**डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : विनियोग समिति ऐसी बनाई जाये कि सब प्रदेशों को प्रतिनिधित्व प्राप्त हो सके। दूसरे पालीसीधारियों के लिये आवास ऋण योजना फिर से चालू की जाय ?

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : मैं यह दोनों सुझाव निगम तक पहुंचा दूंगा।

†**डा० पं० शा० देशमुख** : क्या राजस्थान में पंचायतों के सचिवों को एजेंसियां देने का प्रयोग सफल हुआ था ?

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : मैं जानकारी प्राप्त करूंगा और माननीय सदस्य को पहुंचा दूंगा।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा ३१ दिसम्बर, १९६१ को समाप्त हुए वर्ष के लिये भारत के जीवन-बीमा निगम के वार्षिक प्रतिवेदन पर, लेखा-परीक्षित लेखे सहित, जो १० नवम्बर, १९६२ को सभा पटल पर रखा गया था, विचार करती है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

---

†मूल अंग्रेजी में

खाद्यान्नों की कीमतों में वृद्धि और खाद्य नीति के बारे में प्रस्ताव

†**उपाध्यक्ष महोदय :** अब सदन श्री स० मो० बनर्जी और श्री यशपाल सिंह के नामों के संशोधन पर बहस करेगा ।

†**श्री स० मो० बनर्जी :** (कानपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

> "कि यह सभा देश में सब खाद्यान्नों तथा अन्य अत्यावश्यक वस्तुओं की कीमतों में असाधारण वृद्धि पर विचार करती है ।"

इस प्रस्ताव को लाने में मेरा उद्देश्य यह है कि सदन के सामने कुछ तथ्य पेश करूं और यह बताऊं कि आवश्यक वस्तुओं के मूल्य कितने बढ़ गये हैं ।

यदि श्रमिक वर्ग उपभोक्ता मूल्य देशनांक १९४९ में १०० माना जाये, तो यह १९६२ फरवरी में १२९, मार्च में १३०, अप्रैल में १३१ और मई में १३२ हो गया था । जुलाई १९६३ में यह १३५.६ हो गया था ।

जब भी खाद्यान्नों के मूल्यों में वृद्धि का प्रश्न उठाया गया है, खाद्य मंत्री या उपमंत्री ने सदा थोक मूल्य बताये हैं, किन्तु थोक मूल्य भी बढ़ गये हैं ।

१९६० में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की हड़ताल को अवैध घोषित किया गया था । उन की मांग क्या थी, मूल्य रेखा स्थिर रखी जाये या महंगाई भत्ता बढ़ाया जाये । हड़ताल का कारण क्या था ? यह आयोग का कहना था कि खाने की ३२ औंस वस्तुएं ५६ नये पैसे में खरीदी जा सकती हैं । यह बिल्कुल गलत था और कर्मचारियों को धोखा देने के लिए था । देश में ऐसी कोई दुकान नहीं जहां ३२ औंस वस्तुएं ५६ नये पैसे में खरीदी जा सकें ।

मुझे हर्ष है कि अब सरकार मानती है कि मूल्य रेखा जैसी भी एक चीज़ है और इसे स्थिर रखा जाना है । किन्तु सरकार मूल्य स्थिर रखने में बुरी तरह असफल रही है । १९६१ में तत्कालीन खाद्य मंत्री ने एक आश्वासन दिया था कि हम तीन वर्षों के बाद विदेशों से खाद्यान्न का आयात नहीं करेंगे । यह खेद की बात है कि हम अब भी आयात पर निर्भर कर रहे हैं ।

यदि मध्यमवर्ग जीवन-व्यय का देशनांक देखा जाये और अगस्त १९३९ को १०० को आधार माना जाये, तो जुलाई १९६३ में संयुक्त देशनांक ४९९ था । सरकार सभा में थोक मूल्य बतलाती है, लेकिन वस्तुएं कभी भी इस मूल्य पर नहीं मिलती हैं । चीनी का नियन्त्रित मूल्य १.२० रुपये किलो है परन्तु क्या यह इस मूल्य पर उपलब्ध है २ रुपये या १.७५ प्रति किलो पर आप जितनी चाहें ले सकते हैं । चीनी की कोई कमी नहीं है परन्तु वर्तमान स्थिति इसलिये पैदा की गई है कि सरकार मूल्य, उत्पादन या वितरण पर नियन्त्रण रखने में असफल रही है ।

[श्री तिरुमल राव पीठासीन हुए]

थोक और परचून मूल्यों में लगभग १० प्रतिशत का अन्तर है । किन्तु माननीय मंत्री ने कभी इस का ध्यान नहीं रखा ।

कानपुर, मद्रास, बम्बई, कलकत्ता और अन्य शहरों में मूल्य दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं । मुनाफ़ा खोरी काला बाजार करने वालों और जख़ीरा करने वालों के विरुद्ध भारत के

---

†मूल अंग्रेजी में

प्रतिरक्षा नियमों का प्रयोग करना चाहिये, ताकि मूल्यों को नीचे लाया जा सके। खाद्यान्नों के अतिरिक्त, अन्य आवश्यक वस्तुओं, जैसे साबुन, वनस्पति, सरसों का तेल, मसालों आदि के मूल्य भी बढ़ गये हैं। दिवाली और दशहरा के आने से इस में १० से २० प्रतिशत तक और वृद्धि होने की संभावना है।

तीन सदस्यों वाले एक औसत परिवार को आय-व्ययक घोषित किये जाने से पहले राशन पर ४० रुपये खर्च करने पड़ते थे, किन्तु आय-व्यय के बाद ४७·५० रुपये अर्थात् ७·५० रुपये अधिक खर्च करने पड़ते हैं। इस के अन्तर्गत अनिवार्य जमा योजना उन की आय में और भी कमी करती है। ऋण ग्रस्तता बढ़ रही है, जैसे कि बम्बई के सर्वेक्षण से पता चलता है। श्री पाटिल ने कहा था कि वे राज्य व्यापार के विरुद्ध नहीं हैं। तो इसे क्रियान्वित क्यों नहीं किया गया। मैं नियन्त्रण के विरुद्ध नहीं हूं किन्तु नियन्त्रण की मशीनरी भ्रष्ट है।

अशोक मेहता समिति की सिफ़ारिशें स्वीकार की जानी चाहियें, एक मूल्य स्थिरीकरण समिति स्थापित की जाये और खाद्यान्नों में राज्य व्यापार तुरन्त शुरू किया जाये। यदि राज्य व्यापार नहीं हो सकता, तो सामाजीकरण किया जाये। मैं नियन्त्रण के विरुद्ध नहीं हूं किन्तु यदि नियन्त्रण रखना है, तो मशीनरी भ्रष्टाचार से मुक्त होनी चाहिये। सभी दुकानों में मूल्यों की सूची प्रदर्शित की जाये। मुनाफाखोरों और चोरबाजारी करने वालों के विरुद्ध भारत के प्रतिरक्षा नियमों का प्रयोग किया जाये।

प्रधान मंत्री ने यह आश्वासन दिया था कि आप देश की प्रतिरक्षा में पूरा योग दें, तो हम मूल्य रेखा को स्थिर रखेंगे। जनसाधारण ने प्रतिरक्षा के लिये सब कुर्बानियां दी हैं। सरकार को भी अपना वायदा पूरा करना चाहिये।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री यशपाल सिंह : (कैराना) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि भारत सरकार की खाद्य नीति पर विचार किया जाये"।

मैं भारत सरकार की फूड पालिसी को डिस्कस करने के लिये खड़ा हुआ हूं। बहुत कुछ किया गया है, मैं इन्कार नहीं करता हूं, बहुत कुछ हासिल किया गया है, लेकिन जो होना चाहिये वह नहीं हुआ। महात्मा गांधी जी ने यह कहा था कि अपने देश का कपड़ा पहनो, अपने देश के रीति रिवाज अपनाओ। लेकिन आज हम विदेशों का गेहूं खा रहे हैं। करीब २६ अरब रु० का अनाज हम दूसरे देशों से मंगा कर खा चुके हैं। कब तक हम दूसरे देशों के ऊपर निर्भर रहेंगे ? जब तक देश सेल्फ सफिशिएन्ट नहीं होगा तब तक हमें दूसरों का मुंह देखना पड़ेगा। मुझे यह उम्मीद है कि हमारे मिनिस्टर साहब इस खाद्य समस्या को हल करेंगे। वर्ल्ड फूड ऐंड ऐग्रिकल्चर आर्गेनाइजेशन के आंकड़े देखने से पता चलता है कि आज भी **इंडिया पुअरेस्ट कंट्री इन दि वर्ल्ड** है। आप ख्याल कीजिये, जापान में प्रति ट्रैक्टर जितना हैक्टर है, १०० कीलोग्राम के हिसाब से ४८·६ पैदावार होती है, मिस्र में ५०·१ पैदावार होती है, अमरीका में ३८·४ पैदावार होती है, फ्रांस में ३१·६ पैदावार होती है, आस्ट्रेलिया में ६१·१ पैदावार होती है, लेकिन अभागे भारत में केवल १५·२ परसेन्ट पैदावार होती है। कब तक हम दूसरे लोगों के सहारे खड़े रहेंगे ?

[श्री यशपाल सिंह]

इस पालिसी को ओवरहाल करना होगा । किसी न किसी तरीके से इस देश के किसानों को खुशहाल करना होगा ।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

जो कीमतें बढ़ती हैं, उन से बिचौलिये फायदा उठाते हैं, कैपिटलिस्ट फायदा उठाते हैं, किसान को कोई फायदा नहीं होता । हमारे स्वर्गीय रफी अहमद किदवई ने हमको २ रु० मन गन्ने का भाव दिया था । जिस वक्त ३५ रु० मन चीनी बिक रही थी उस वक्त किसान को २ रु० मन गन्ने की कीमत स्वर्गीय रफी अहमद किदवई ने दिया था । लेकिन आज यह हालत है कि चीनी बिक रही है ७० रु० मन और हम को दिया गया है भाव १ रु० ७ आना मन का । उस कीमत को कौन खा गया ? कुल मुनाफा बिचौलिया खा गया । बिचौलिया करोड़ों रुपया काश्तकार का हजम कर गया । काश्तकार तक वह नहीं पहुंची । तो इस में कोई प्रपोर्शन कायम होना चाहिये । जो फसल हम से १३ रु० मन खरीदी जाती है वही २२ रु० मन में बिकती है । जो गन्ना किसान से १ रु० ७ आना मन पर लिया गया उस गन्ने से मिल मालिक करोड़ों रुपयों का मुनाफा कमा चुका है, लेकिन काश्तकार को एक पाई नहीं मिली । यह टैक्स कौन देता है ? किसान और मजदूर देता है । मैं आप की योजना से, आपकी किताबों में से, आपकी जबानी आपकी कहानी अर्ज करता हूं । सन् १९५५–५६ में हमारी नेशनल इनकम ९,९८० करोड़ थी जब कि हमारे ऊपर केन्द्र और राज्यों में ७६१ करोड़ रुपये का टैक्स था, सन् १९६०-६१ में नेशनल इनकम बढ़कर १४,१६० करोड़ हो गई और टैक्स १,३५४·९ करोड़ हो गया । सन् १९६३–६४ के हिसाब से हमारी नेशनल इनकम १६,००० करोड़ रहेगी जब कि हमारे ऊपर २,०७२ करोड़ का टैक्स लगेगा । इस प्रकार द्वितीय पंचवर्षीय योजना में टैक्सों की बढ़ती जो १४ परसेन्ट थी वह थर्ड फाइव इयर प्लैन के पहले तीन सालों में ३६ परसेन्ट होगी । यह ३६ परसेन्ट टैक्स कौन देता है ? किसान देता है, मजदूर देता है, छोटा जमीनदार देता है, छोटा ताल्लुकेदार देता है, इस टैक्स को कारखाने दार या मिलमालिक नहीं देता है ।

जरूरत इस बात की है कि इस पालिसी को ओवरहाल किया जाय । अगर इस पालिसी को ओवरहाल नहीं किया जायेगा तो किसान आज दिवालिया हो जायेगा । किसान खुदकशी कर के मरेगा । मैं ज्यादा दूर नहीं जाना चाहता । आज सवेरे आल इंडिया रेडियो की रिपोर्ट थी । मेरी अपनी रिपोर्ट नहीं थी । किसी पी० एस० पी० या स्वतंत्र पार्टी के मेम्बर की रिपोर्ट नहीं है । हमारी सरकार की रिपोर्ट है । आज सितम्बर का ९वां महीना है और उसकी ५वीं तारीख । आज सवेरे ८¹/₄ बजे की आल इंडिया रेडियो की रिपोर्ट है कि हमने खेती की पैदावार में २ अरब ७० लाख रु० की कमी उठाई, २ अरब, ७० लाख रु० का नुक्सान उठाया । यह सरकार की रिपोर्ट है । जब हमारी सरकार इस रिपोर्ट को पेश करती है तो उस को कुछ अक्ल आनी चाहिये, कुछ आगे के लिये उसको सुधार करना चाहिये । इट इज नेचर टू लेट टु मेंड । गलती का शिकार किसी को भी किया जा सकता है । मैं इसकी खास वजह बयान करता हूं, अपनी जबानी नहीं, किसी स्वतंत्र पार्टी के मेम्बर की जबानी नहीं, बल्कि कांग्रेस के एक बहुत बड़े ऐडवोकेट हैं, बहुत बड़े लीडर हैं, जिनकी काबिलियत पर कांग्रेस को अभिमान है । डा० कैलास नाथ काटजू का आज ही का एक आर्टिकल है, आज की तारीख में वह शाया हुआ है । उस में साफ कहा गया है :

> "भारतीय किसान चतुर और मेहनती हैं; किन्तु दुर्भाग्यवश उन में नेतृत्व की कमी है । उन्हें उन्नति का रास्ता बतलाने वाला कोई नहीं ।"

यह कांग्रेस के बहुत बड़े ऐडवोकेट कहते हैं :

"जमींदारी उन्मूलन से न केवल खेतों का बटवारा हुआ है बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में नेतृत्व भी समाप्त हो गया है ।"

यह आज की राय है डा० कैलास नाथ काटजू की। बहुत लम्बा आर्टिकल है । मैं इस में ज्यादा नहीं जाना चाहता, लेकिन वह लिखते हैं :

"अतः कृषि उत्पादन में वृद्धि लगभग असंभव है "

यह कांग्रेस के एक ऐडवोकेट की राय है । आज जो हम १६ लाख टन की पैदावार लूज कर रहे हैं, वह क्यों लूज कर रहे हैं ? सिर्फ कंट्रोल की वजह से लूज कर रहे हैं । इसलिये इतना लूज कर रहे हैं कि काश्तकार को इतना भरोसा नहीं है कि कब तक वह जमीन का मालिक रहेगा । जब जी चाहे कोआपरेटिव का नाम ले कर, कंज्यूमर स्टोर का नाम ले कर उस की जमीन को आप छीन सकते हैं। उस के लिये खास कोशिश करनी पड़ेगी। काश्तकार को इत्मीनान दिलाना पड़ेगा कि वह अपनी जमीन का मालिक है।

मैं आपकी रिपोर्ट के आंकड़े पेश करता हूं, और वह आंकड़े अभी के हैं, लेटेस्ट आंकड़े हैं। गन्ने और रुई का उत्पादन सन् १९६०-६१ में १० करोड़ ४१ लाख टन और ५४ लाख गांठें था। यही सन् १९६१-६२ में घट कर ९ करोड़ ७६ लाख टन और ४५ लाख गांठ हो गया । इस के लिए जिम्मेदार कोई कम्युनिस्ट नहीं है, कोई सोशलिष्ट नहीं है, इस के लिए जिम्मेदार सरकार है। मुझे कहने दीजिए कि सरकार ने कोशिश नहीं की यह काम किसान के बेटों को सौंपने की । सरकार ने कोशिश नहीं की इस काम को छोटे जमींदार को सौंपने की, सरकार ने कोशिश नहीं की इस काम को हरिजनों के बेटों को सौंपने की । जैसा कि मौलाना मुज्जफ्फर हुसैन ने कहा है यह सरकार तो उन लोगों से चलती है जो मिल मालिकान हैं, जो सरकार की नवाजिशों से करोड़ों रुपया पैदा करते हैं। गन्ना पैदा करता है किसान और गन्ने की कीमत तै करते हैं सरमाएदार। रुई पैदा करता है काश्तकार, फीरोजपुर का काश्तकार, और उसका भाव तै करते हैं बम्बई के सरमाएदार । इस तरह किसान खत्म होता जाता है, उसकी ताकत कम होती जा रही है.। अगर आप किसान की ताकत नहीं बढ़ायेंगे तो वह ढीला हो जायेंगा । अगर मैं यह कहूं तो आप मुझे माफ करेंगे कि सरकार का हाल उस आदमी जैसा है जिसकी चाबी उसके मकान में खो गई थी, लेकिन चूंकि मकान में अंधेरा था इसलिए वह सड़क पर आकर, जहां रोशनी थी, अपनी चाबी को ढूंढने लगा। लोगों ने उस से पूछा कि यहां क्या ढूंढ़ते हो तो उसने कहा कि मेरी चाबी घर में खो गयी है उसको यहां ढूंढता हूं इसलिये कि घर में अंधेरा है और यहां रोशनी है । लोगों ने कहा कि तुम को अपनी चाबी अपने मकान में रोशनी करके ढूढनी चाहिये तो उसने कहा कि वहां तो अंधेरा है । तो सरकार देखती नहीं कि वास्तव में उत्पादन कम होने का असली क्या कारण है । किसान कमजोर है उसको मौका नहीं दिया जाता ।

हमसे कहा जाता है कि सब को ईक्वल अपारचुनिटीज दी जाएंगी। मैं कहता हूं कि यह नारा लागा कर तो हमको एक हजार साल तक गुलाम रखा जा सकता है। आज हालत यह है कि एक के पास तो कार है और दूसरा पैदल चल रहा है और फिर भी कहा जाता है कि तुम बराबर दौड़ लगाओ। अगर कार वाले को भी पैदल कर दिया जाए तब दोनों की तुलना सही तौर पर हो सकती है। अगर इस तरह से ईक्वल अपारचुनिटीज का नारा लगाया जाएगा तो किसान सौ वर्ष तक उन्नति नहीं कर सकता। आज जरूरत इस बात की है कि किसान की

[श्री यशपाल सिंह]

पैदावार को सुरक्षित किया जाए, किसान को भरोसा दिया जाये ताकि वह अपनी जमीन का मालिक रहेगा।

कोआपरेटिव की वजह से उत्पादन में २० करोड़ की कमी हुई, फिर भी उसको आज हमारे ऊपर लादा जा रहा है। ऐसा क्यों किया जा रहा है ? यह इसलिये किया जा रहा है कि किसान को जमीन से बेदखल करके सरकार उसकी मालिक बन जाए। हमने यह चीज इसी समाजवाद में देखी कि एक तरफ तो टाटा साहब रोजाना बैंक में तीन लाख रुपया जमा कर सकते हैं और दूसरी तरफ अगर किसी जमींदार के पास २५ बीघा भी जमीन है तो उसे जालिम जमींदार कहके मिटाया जाता है। श्रीमन्, किसान के साथ इन्साफ होना चाहिये। अगर किसान के साथ इन्साफ नहीं किया गया तो वह मसला हल नहीं हो सकता। आपको उसकी पैदावार की कीमतें तै करनी होंगी। चीनी मिल मालिकों ने चीनी से १८० करोड़ रुपया कमाया है, उसका हिसाब किसान को देना होगा। और किसान को उसमें हिस्सेदार बनाना होगा, वरना आपकी फुड पालिसी नहीं सुधर सकती। आज क्या फुड पालिसी के सुधारने की यह हालत है यह फुड पालिसी तब तक नहीं सुधर सकती जब तक कि किसान को जमीन का मालिक नहीं बनाया जाएगा।

जब चीजों की कमी होती है तो आप कंट्रोल लाते हैं, लेकिन आप देखें कि कंट्रोल से क्या हुआ। सबसे बड़ा नुक्सान कंट्रोल से यह हुआ कि जब जब कंट्रोल लगाया गया तब तब पैदावार कम हो गई। मैं आपके सामने इसी सरकार के आंकड़े पेश करता हूं। जब चीनी पर कंट्रोल लगाया गया तो उसका नतीजा यह हुआ कि उत्पादन घट गया और खपत भी कम हो गई। १९४२ से १९४७ के कंट्रोल युग के अन्तिम तीन वर्षों में उत्पादन ११.७० लाख टन से घट कर ९.५ लाख टन हो गया और खपत १२.३० लाख टन से घट कर ९.७२ लाख टन हो गयी। १९४७ में कंट्रोल हटा लिए जाने पर उत्पादन ७.७६ लाख टन से बढ़ कर ११.८२ लाख टन पर पहुंच गया। लेकिन जब १९४९ में कंट्रोल फिर लगाया गया तो उत्पादन १०.०८ से घट कर ९.७८ लाख टन हो गया। १९५२–५३ में चीनी पर से नियंत्रण बिल्कुल हटा लिया गया और उत्पादन और खपत में बढ़ती शुरू हो गई और बढ़ते बढ़ते १९५८ में २० लाख टन पर पहुंच गयी। १९५८ में कंट्रोल फिर से लगा दिए गए और उत्पादन १९.७७ लाख टन से घट कर १९.१८ लाख टन हो गया। जब अक्तूबर १९५९ में नीति में पुनः संशोधन किया गया और प्रोत्साहन के लिये अनुदान दिया गया तो उत्पादन भी २९.८० लाख टन पर पहुंच गया और १९६२ में उत्पादन पर प्रतिबन्ध लगाना पड़ा और किसान को कहना पड़ा कि गन्ने का उत्पादन कम करो। सन् १९६२ में हमने चीनी के निर्यात से १४–८२ करोड़ की विदेशी मुद्रा अर्जित की। यह विदेशी मुद्रा जो हमने कमाई यह काश्तकार को इसेंटिव दे कर ही कमाई।

आज जो फूड प्रोडक्शन में गिरावट आयी है इसके लिये कोई एक शख्स जिम्मेदार नहीं है। इसके लिए तो सारी सरकार जिम्मेदार है, इसके लिये सारा एडमिनिस्ट्रेशन जिम्मेदार है। आज काश्तकार क्या तरक्की कर सकता है ? आज १२० रुपये महीना पाने वाले वी० एल० डब्ल्यू० किसान को खेती करना सिखाने के लिए भेजे जाते हैं। ये लड़के एक एक पैंट अस्सी अस्सी रुपये की पहनकर किसानों को खेती का काम सिखाने जाते हैं। क्या इससे किसानों को इंसेंटिव मिलेगा। अगर आपको किसानों की तरक्की करना है तो यह काम किसान के बेटों को दीजिये। आपक एग्रीकल्चर विभाग में जितनी भी पोस्टें हैं डायरेक्टर की या जनरल एडमिनिस्ट्रेशन की पोस्ट्स, उन सब पर आपको किसान के बेटों को लगाना पड़ेगा

अगर आप देश की तरक्की करना चाहते हैं। देश की तरक्की तभी होगी जब कि देश किसान के बेटे के हाथ में होगा। वरना इस तरह देश की तरक्की नहीं हो सकती। मेरा कहना है कि इस फूड प्राबलम को हल करने के लिये कोई आसमान से नहीं आवेगा। इसको हल करने के लिये हमें किसान को प्रोत्साहन देना पड़ेगा।

आज भी मेरे इलाके में हजारों एकड़, जमीन सैलाव में डूबी पड़ी है। सैलाव आ जाता है तो हजारों एकड़ जमीन डूब जाती है लेकिन फिर भी हम से इरीगेशन टैक्स लिया जाता है। क्या यह इन्साफ है। जब हमारी जमीनें बाढ़ से डूब जाती हैं फिर भी हम से नहर का और ट्यूब वैल का टैक्स लिया जाता है। इससे बड़ी और कौन सी बेइन्साफी हो सकती है।

किसान बिजली लेता है अपने खेत के लिये गेहूं के लिये, गन्ने के लिये, धान के लिये सरसों के लिये तो उससे उस बिजली का १९ नए पैसे पर यूनिट लिया जाता है। और जब बिड़ला साहब रिहन्द डैम की बिजली लेते हैं तो उनसे तीन नए पैसे फी यूनिट लिया जाता है। करोड़पति से तीन नए पैसे पर यूनिट लिया जाता है और किसान से १९ नये पैसे फी यूनिट लिया जाता है। कब तक देश इस डिसपैरिटी को बरदास्त करता रहेगा। आज सरकार में किसान के दोनों बेटे बैठे हैं। ये इस विभाग के कर्णधार हैं। मैं उनसे दरख्वास्त करता हूं कि वह इस मसले को हल करने के लिये किसान को प्रोत्साहन दें, किसान के बेटे को आगे आने दें। किसान को आज वे लोग सिखाने जाते हैं जिनको गेहूं और जौ के पौधे का फर्क नहीं मालूम, जो सरसों और सीरी के पौधे का फर्क नहीं जानते। जो कुछ मेरे दिल में है मैं साफ कर देना चाहता हूं। मैं सचाई का रिप्रेजेंटेटिव हूं। जो दिल में है उसको मैं दबा कर नहीं रखूंगा। मेरे धर्मशास्त्र में लिखा है :—

निन्दन्तु नीति निपुणा यदि वा स्तुवन्तु,
लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम्,
अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा,
न्यायात्पथः प्रबिचलन्ति पदं न धीरा :

मेरा धर्म शास्त्र कहता है कि आन्ता की आवाज को दबा कर नहीं रखना चाहिए। मैं साफ कहता हूं कि पाटिल साहब को कोआपरेटिव डिपार्टमेंट का सहयोग नहीं मिला, उनको फाइनेन्स विभाग का सहयोग नहीं मिला फिर भी उन्होंने इस मसले को हल करके दिखलाया। मैं स्पष्ट बक्ता हूं और सीना ऊंचा करके कहता हूं कि पाटिल की काबलियत, उनकी कुरबानी और देश भक्ति हिन्दुस्तान के किसी भी शख्स से कम नहीं है। जो ऊंचे से ऊंचा देश भक्त हो सकता है उसके बराबर आने वाले लोगों में वह हैं। उन्होंने देश को बचाया। अगर श्री पाटिल न होते और श्री रफी अहमद किदवाई न होते तो देश का न जाने क्या हाल होता। आज जो कुछ फूड की हालत है वह किसी से छिपी नहीं है। मैं कहता हूं कि इस मामले में सारी नीति को ओवरहाल किया जाए और किसान और मजदूर को आगे आने दिया जाए तभी यह मसला हल होगा।

जो हाली बीस नसलों से हल चला रहा है, जो हरिजन बीस नस्लों से हल चला रहा है, उसके पास एक बिस्वा जमीन अब तक नहीं है। उसको जमीन नहीं मिली। जमीन किसको मिली है? जमीन मिली है कांग्रेस के बजीरों के रिश्तेदारों को, कांग्रेस वालों के अजीजों को, एम० एल० एज० को और एम० पीज० को। आज तक किसी हरिजन को जमीन नहीं मिली है जो खेती करता है। मेरा सुझाव है कि जिन लोगों ने बीस बीस नस्लों से खेती की है उनको इतनी अधिक जमीन मिलनी चाहिये कि वे अपने बालबच्चों का गुजारा कर सकें।

[श्री यशपाल सिंह]

सरकार आज नारा तो लगाती है किसान और मजदूर का लेकिन ऊंचा करती है मिल मालिक को। अगर किसान को ऊंचा करना है तो इसका सबसे अच्छा तरीका यह है कि उसके हाथ में जमीन दी जाए। आज हालत यह है कि अगर किसान ५०० रुपये के तकाबी लेता है तो उसको अनेक दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसके बारे में मैं अपनी तरफ से कुछ न कह कर उत्तर प्रदेश के एक मंत्री, श्री गोविन्द सहाय, ने जो कुछ कहा है वह आपके सामने रखना चाहता हूं। उनका कहना है कि एक किसान को ५०० रुपये की तकाबी मिलने का हुक्म हुआ। उसके लिये उसको दौड़ते दौड़ते डेढ़ साल हो गया। १८ महीने बाद ५० रुपये उस के पल्ले पड़े तो वह डी० एम० के इजलास में गया, डिप्टी कमिश्नर के इजलास में जा कर वह बोला कि हजूर तहसीलदार से लेकर स्याहनवीस सब ने अपनी फ़ीस ले ली है। ५० रुपये आप भी ले लीजिए। यह आप के हवाले है। एक पैसा भी किसान को नहीं पड़ा। अब ज़रूरत इस बात की है कि जो आपका खेती का डिपार्टमेंट है, एग्रीकलचरल डिपार्टमेंट है, जो डिस्ट्रिक्ट एग्रीकलचरल आफिसर है वह किसानों को तकाबी दे। किसान के लिये मंजूर होता है कि जाओ खुद लाओ। अब मंजूर करने वाला कोई और है और देने वाला कोई और है तो पर्ची काटने वाला कोई और है।

गन्ने के पेमेंट की यह हालत है कि किसान गाड़ी ले कर जाता है और उसको पेमेंट नहीं होता है। मिलमालिकों ने आज भी दस लाख रुपया किसानों का मार रखा है। उस दस लाख रुपये पर मिल मालिक कर्जा देकर सूद कमा रहे हैं, कम्पाउंड इंटरेस्ट लेते हैं। इसका इलाज आपको करना पड़ेगा और किसान को इंसेंटिव देना पड़ेगा। किसान का बेटा जब इस काम पर आयेगा तभी फूड पालिसी हल होगी वरना यह हल नहीं हो सकेगी। मेरा सरकार से अनुरोध है कि यह किसानों के साथ अपनी वर्त्तमान उपेक्षा नीति को त्यागे और उनको अधिक अन्न उपजाने के लिये प्रोत्साहन दे। सरकार जो कि राम राज्य स्थापित करने का दावा करती है और दम भरती है उससे मेरा अनुरोध है कि ज़रा वह यह तो सोचे कि राम राज्य में किसानों से टैक्स किस तरह से वसूल होता था और आज किस तरह से उन पर टैक्सों का बोझ लदा हुआ है ? उस समय उलटे घड़े को रखवा कर उस पर गेहूं के दाने छोड़ते थे और इस तरह से जो दो, चार दाने बच जाते थे वह किसान से टैक्स की शक्ल में लिये जाते थे। आज हालत यह है कि उस गरीब पर टैक्सों की भरमार इस सरकार ने कर रक्खी है।

मैं एक छोटा सा कास्तकार हूं, एक बहुत मामूलीं सा किसान हूं। अब अंग्रेज़ के ज़माने में मैं जो टैक्स देता था उसकी अपेक्षा आज १७ गुना टैक्स इस सरकार को देता हूं। अगर मैं अंग्रेज़ के ज़माने में एक रुपया बतौर टैक्स के देता था तो आज १७ रुपये टैक्स दे रहा हूं। गरीब हरिजन मज़दूर अंग्रेज़ों के वक्त में टैक्स नहीं देते थे, चमार, भंगी आदि हरिजन अंग्रेज़ों के ज़माने में टैक्स नहीं देते थे लेकिन आज उनको भी टैक्स देना पड़ता है। आज बेवा को भी टैक्स देना पड़ता है।

जहां तक उन ग़रीब किसानों को प्रतिनिधित्व देने की बात है मैं कह सकता हूं कि उनको उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला हुआ है। एक तरफ यह कहा जाता है कि नो टैक्सेशन विदआउट रिप्रेजेंटेशन लेकिन हालत यह है कि टैक्सेशन की तो भरमार कर रक्खी है लेकिन उनको प्रतिनिधित्व मिलता नहीं है : मैं बैकवर्ड क्लासेज़ की बात कहता हूं। साढ़े सात करोड़ गूजर यहां इस देश में बसे हुए हैं जिनका एक भी प्रतिनिधि यहां इस सारे हाउस में नहीं है। अब अगर हम उन लोगों की तरफ से वकालत करते हैं तो हमें ऊपर से फिरकापरस्त कहा जाता है लेकिन

क्या मैं पूछ सकता हूं कि जब भारत के प्राइम मिनिस्टर साहब देहरादून में गूजर कांन्फ्रेंस का उद्घाटन करते हैं तो क्या वह फिरकापरस्त नहीं होते ? जब श्री धर्मदेव शास्त्री कांग्रेस की तरफ़ से यह आश्वासन देते हैं कि तुम्हारे हकूक पंडित नेहरू के हाथों में महफूज़ हैं तब क्या वह फिरकापरस्त नहीं होते ? लेकिन अगर कोई साढ़े सात करोड़ आदमियों की तरफ से यह मांग करता है कि उनका प्रतिनिधि भी इस हाल के अन्दर होना चाहिये तो वह फिरकापरस्त हो जाता है। अब फिरकापरस्ती की कोई डेफ़नीशन कायम करनी पड़ेगी। हक़ीकत यह है कि कांग्रेस पोलिटिकल ऐंड्स को हासिल करने के लिये फिरकापरस्ती करती है। मैं कहता हूं कि वह लोग जो कि मुस्लिम लीग बनाते थे, हिन्दू महासभा बनाते थे, वह कम से कम १०–१० करोड़ इंसानों के लिये कुछ लड़ते तो थे ....

उपाध्यक्ष महोदय : यह तो फुड पालिसी का सवाल चल रहा है।

श्री यशपाल सिंह : जी हां, इसी फुड पालिसी पर मैं बोल रहा हूं और देश में जो अनाज पैदा करते हैं उनके लियें मैं कह रहा हूं कि उन को सरकार हर संभव प्रोत्साहन दे। उनको प्रतिनिधित्व मिलना चाहिये। अगर उनको प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा तो हरगिज हरगिज़ यह मसला हल नहीं हो सकेगा। उनके नुमायन्दे हों, उनके डाइरेक्टर्स हों। उन लोगों को तक़ाबी दी जाय। काश्तकार बीज कहां से लेता है, पर्ची कहां से कटवाता है और किस तरह से बीज के लिये वह भीख मांगता है और बीज को हासिल करने में उसको १५, १५ दिन लग जाते हैं। अब पन्द्रह दिन में वक्त निकल जाता है। सोइंग सीज़न ख़त्म हो जाता है। किसानों की इन दिक्कतों को दूर करने के लिये और किसानों को खुशहाल करने के लिये इसका ऐडमिनिस्ट्रेसन किसान को देना पड़ेगा। इसका ऐडमिनिस्ट्रेशन मज़दूर को देना पड़ेगा। किसान और मज़दूर का बेटा ही उन किसानों की दिक्कतों को हल कर सकेगा।

मेरी अर्ज है कि सरकार के जो ट्यूबवैल हैं उन पर उसी रेट से बिजली दी जाय जिस रेट पर कि बिड़ला साहब को दी जाती है। मेरा यह अनुरोध है कि खेती की ज़मीन जो बाढ़ में ख़त्म हो गई है, डूबी हुई पानी में ख़त्म हो गई है उस पर से आबपाशी का टैक्स हटाया जाय। हम लोगों ने जेल जा कर तीन आने मन का टैक्स, आबपाशी टैक्स, इरीगेशन टैक्स होता था उसको हमने तीन आने फ़ी रुपया कम कराया था लेकिन श्री सी० बी० गुप्त ने उसमें फिर वृद्धि कर दी है और उस तीन आने को ख़त्म कर दिया है। जहां हम १३ आने देते थे वहां अब हमें एक रुपया बतौर आबपाशी टैक्स के देना बड़ता है। मेरी मांग है कि किसान से जहां १९ नये पैसे की दर से बिजली का चार्ज किया जाता है, ३ नये पैसे बिड़ला साहब की दर से उससे भी तीन पैसे लिये जांय। जो ज़मीन डब गयी है उस ज़मीन के ऊपर किसी तरह का आबपाशी का टैक्स नहीं होना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह अपनी मौजूदा पालिसी को बदले क्योंकि जब तक यह पालिसी बदली नहीं जायगी तब तक देश की फूड प्राबलम हल नहीं हो सकती है।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री क० ना० तिवारी (बगहा) : उपाध्यक्ष महोदय, प्राइस लाइन निर्धारित करने की जो बात की जाती है उसमें जहां तक फुडग्रेंस की प्राइस लाइन को निर्धारित करने का सवाल है, मैं उस का विरोध करता हूं और इस का विरोध इस बिना पर करता हूं कि किसानों के जीवन के लिये जितनी भी अन्य आवश्यक वस्तुएं हैं उन सब के दाम बहुत अधिक बढ़ गये हैं। सीमेंट,

[श्री क० ना० तिवारी]

लोहा, कपड़ा, कोयला, चीनी, दवाए, स्कूल की फ़ीस, पोस्टल चार्जेज और रेल का किराया, यह जितनी भी किसान की रोजमर्रा की ज़रूरयात हैं, उन सब के दाम बढ़ गये हैं । उसके काम आने वाली सब ज़रूरी चीजों के दाम बढ़ गये हैं । ऐसी हालत में यदि किसानों की पैदावार के भाव को सीमित कर दिया जायेगा, और उनकी ज़रूरत की चीजों के भावों को गिराया नहीं जायगा तो किसानों के पल्ले एक पैसा भी नहीं पड़ेगा । वैसे ही किसानों की हालत अत्यन्त दयनीय है और उन की आमदनी इतनी कम है कि न तो वे अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं, न अच्छा कपड़ा पहन सकते हैं और न ही अच्छे घर बना सकते हैं । दूसरी बात यह है कि जब तक किसानों को उनकी पैदावार का उचित मूल्य नहीं मिलेगा तब तक देश में अनाज की पैदावार कम होने की जो शिकायत होती है, वह शिकायत रफ़ा न हो सकेगी और देश में अन्न की उपज बढ़ नहीं सकेगी ।

अन्न के उत्पादन पर, खाने की जितनी चीजें हैं जो लोग इनके दामों पर नियन्त्रण रखना चाहते हैं, वह वे लोग हैं जो कि शहरों में रहते हैं और जिनकी कि आबादी १२ प्रतिशत: से थोड़ी ज्यादा है । इस में वे लोग जो कि मिलों में काम करते हैं, शामिल हैं जिनकी कि तादाद २ परसेंट या ढाई परसेंट तक है । यह वे लोग हैं जैसे कि हमारे बनर्जी साहब हैं जो कि न धान को पहचान सकते हैं, न चने के पौधे को पहचान सकते हैं लेकिन चूंकि उनको वोट लेना शहर के लेबर क्लास से होता है इसलिये वे यह मांग करते हैं कि अनाज के मूल्य निश्चित किये जांय और उनको बढ़ने न दिया जाये । यही कारण है कि शहर के लोग जब बात करेंगे तो किसानों की पैदावार की क़ीमत को कम करने या घटाने की । इसके अलावा वे और कोई सुझाव नहीं देंगे । अन्त में थोड़ा सा यह ज़रूर कह देंगे कि किसानों को भी उनकी उपज के उचित मूल्य मिलने चाहिये । लेकिन हक़ीकत यह है कि उस के लिये न तो उनके दिल में दर्द है और न ही उस के लिये वे कोई ज्यादा जोर देते हैं ।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब कि कपड़े का दाम, लोहे का दाम या और चीजों के दाम घटाने की बात आती है तो सरकार के सामने या और लोगों के सामने यह सवाल आ जाता है कि मशीनरी के दाम बढ़ गये हैं, वेजेज़ इतनी बढ़ गई हैं जिससे कि कपड़े के दाम बढ़ाने पड़ गये हैं । इसी तरह से जट का सवाल जब हम लोगों ने यहां उठाया और उसकी कीमत निर्धारित करने की बात हुई तो बराबर यह कहा गया कि अभी इतना भाग उसका गिरा हुआ है कि मिल मालिकों और अन्य सभी सम्बन्धित लोगों को फ़ायदा नहीं हो रहा है और उसमें घाटा हो रहा है । या पाकिस्तान के जूट के काम्पीटीशन में हम नहीं आ रहे हैं ये बातें किसानों की पैदावार के बारे में कही गई । लेकिन दो दिन पहले अख़बारों में यह समाचार आया कि उस इंडस्ट्री में काम करने वाले मज़दूरों को तीन करोड़ रुपया बोनस दिया जायगा ।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि लेबर का एक संगठन है और मिलमालिकों का भी एक संगठन है, लेकिन किसान सारे देश में फैले हुए हैं और उन का कोई संगठन नहीं है । यहां पर जो लोग लेबर की बात करते हैं, या विरोधी दल के जो लोग शहरों के लोगों की बात करते हैं, उन का जोर पड़ता है और सरकार उन से दब जाती है । लेकिन किसानों का कोई संगठन न होने की वजह से उन का ज़ोर नहीं पड़ता है और उनका सवाल बराबर मुग़ालते में चला जाता है । सवाल यह है कि अगर जूट इंडस्ट्री तीन करोड़ रुपया बोनस में दे सकती है और तब भी वह इंडस्ट्री कायम रह सकती है, तो क्या वजह है कि जूट का दाम ज्यादा न दिया जाये ?

लेबर से हमें कोई ग्रज नहीं है। हम नहीं कहते कि उन की तन्खवाहें न बढ़ाई जायें और उन की हालत अच्छी न की जाये। की जाये, लेकिन साथ ही साथ किसानों का जहां सवाल आता है, उन के दो पैसे का सवाल आता है, तो उस को भी वही महत्व दिया जाये, जो कि मज़दूरों के प्रश्नों को दिया जाता है, जब कि इस मुल्क में किसानों की आबादी ८२ फ़ीसदी है और वे इस मुल्क का कम से कम ५० परसेंट रेवेन्यू गवर्नमेंट को देते हैं और विदेशी मुद्रा प्राप्त करने वाली सारी चीजें पैदा करते हैं।

जहां तक पानी और पैदावार के लिये आवश्यक दूसरी चीजों का सवाल है, वे बराबर यहां डिस्कस होती हैं। मैं उन में नहीं जाना चाहता, लेकिन एक बात की ओर मैं मंत्री महोदय का ध्यान ज़रूर आकर्षित करूंगा और वह यह है कि जो रेगिस्तान का हमारा इलाका है, उस में पानी उपलब्ध करने का कोई प्रयत्न किया जाये। जैसे तेल को साफ़ करने के लिये आसाम से बरौनी तक पाइप-लाइन डाली जा सकती है, वैसे ही इस बात की भी जांच होनी चाहिये कि जो रेगिस्तान का इलाका है, जहां पर अभी तक पैदावार नहीं होती है, वहां भी नहर, नल या किसी दूसरे तरीके से पानीं ले जाया जाये और उस जगह पर पैदावार बढ़ाई जाये।

जैसा कि अभी माननीय सदस्य, श्री यशपाल सिंह, ने कहा है, जब हम लोग एग्रीकल्चर में बिजली का इस्तेमाल करते हैं, तो हम को १९ नये पैसे पर यूनिट देना पड़ता है, जब कि इंडस्ट्री को सिर्फ़ ३ नये पैसे देना पड़ता है : मैं कहना चाहता हूं कि एग्रीकल्चर भी एक इंडस्ट्री है और इसलिये उस पर भी वही रेट होना चाहिये, जो कि दूसरी इंडस्ट्रीज़ के लिये होते हैं।

सरकार अरबों रुपयों का खाने का माल बाहर से मगाती है। यहां भी हमारी पैदावार में कमी कर्जे की सहूलियत न होने की वजह से हो जाती है। हमारे बड़े लोग और प्लानिंग कमीशन में बैठे हुए लोग हमारी दिक्कतों को नहीं समझते। हमारी और दिक्कतों के आलावा सब से बड़ी दिक्कत कर्जे की है। अगस्त, सितम्बर, अक्टूबर और नवम्बर, ये चार महीने गृहस्थों के खेती का वक्त है। ख़ास तौर से धान की खेती वगैरह के लिये यह बड़ा कठिन और बड़ा ख़राब वक्त है। उस समय रुपया हमारे पास कम हो जाता है। जब हम महाजन के पास जाते हैं, तो, ज़मीन के सवाल को ले कर और सोने के सावल को ले कर जो दिक्कतें पैदा हो गई हैं, उनकी वजह से हम को कर्ज़ा नहीं मिलता है। अगर हम कोई चीज़ गिरवी रख कर रुपया लेना चाहते हैं, तो नहीं मिलता है। अगर हम १०० रुपया कर्जा लेते हैं, तो २०० रुपये का हैंड-नोट बनवा लिया जाता है।

यहां पर को-आपरेटिव आदि दुनिया भर की जिन चीजों का ज़िक्र किया जाता है, उन से हमको समय पर कोई मदद नहीं मिलती है। ऐसी हालत में इस बात के तह में जाने की ज़रूरत है। ख़ासकर हम नये मंत्री महोदय से निवेदन करेंगे कि इस बात की तरफ़ उनका ध्यान जाये कि जल्दी से जल्दी सरकारी कर्जा, ख़ासकर खेती के वक्त, हम को मिल जाये जिससे हम मज़दूरों को उन की मज़दूरी दे सकें और रोपनी, सोहनी और दूसरे कामों को कर सकें। इसका तरीका बड़ा सिम्पल होना चाहिये, जिस से समय न लगे। अगर समय नहीं लगेगा और तरीका सिम्पल होगा, तो भ्रष्टाचर भी कम हो जायेगा।

माननीय सदस्य, श्री बनर्जी, ने भ्रष्टाचार की बात कही और सारा दोष सरकार पर लगाया और कुछ पाटिल साहब के सम्बन्ध में भी उन्होंने कहा।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : मैंने यह बात नहीं कही।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री क० ना० तिवारी : खैर, यह तो प्रचार के लिये उन्होंने कहा। वह प्रचार के लिए कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि जब मैं यह सुनता हूं कि आपोजीशन के कोई मेम्बर ऐसे हैं, जो कि एक एक लाख सर्टिफ़िकेट गुड कैरेक्टर के लोगों को देते हैं, तो क्या वह भ्रष्टाचार में आता है या नहीं। (**अन्तर्बाधाएं**) क्या यह भी भ्रष्टाचार नहीं है कि जो आये, एक सर्टिफ़िकेट उस को दे दिया और एक लाख, डेढ़ लाख आदमियों को सर्टिफ़िकेट दे दिया ?

श्री विश्राम प्रसाद (लालगंज) : अगर आठ लाख जनता में से एक लाख आदमियों को सर्टिफ़िकेट दे दिया, तो क्या बुरा किया ?

श्री क० ना० तिवारी : माननीय सदस्य की जानकारी अच्छी है। लेकिन इस समय यह सवाल नहीं है। चूंकि उन्होंने यह सवाल उठाया और सारा दोष सरकार पर मढ़ दिया, इस लिए मैंने यह बात कही है। (**अन्तर्बाधाएं**)

श्री विश्राम प्रसाद : कुछ लोग पैसा ले कर भी सर्टिफ़िकेट देते हैं।

श्री क० ना० तिवारी : उपज का जो सवाल है ..... (**अन्तर्बाधायें**)

उपाध्यक्ष महोदय : आर्डर, आर्डर।

श्री क० ना० तिवारी : जहां तक उपज का सवाल है, इस बात को कहना बड़ा मुश्किल है कि उपज कब और कैसी होगी। सूखा है, बाढ़ है, कभी अतिवृष्टि हुई, कभी अनावृष्टि हुई, कभी कीड़े लग गये—इतने सावल हैं किसानों के सामने कि यह कहना बड़ा कठिन है कि हम टारगेट को पूरा कर देंगे और अगले साल हमारी पैदावार इतनी हो जायगी। हम लोगों ने सोचा कि पिछले साल गन्ने की जो पैदावार हुई, इस साल उस से पच्चीस तीस परसेंट ज्यादा होगी। बिहार में होने की सम्भावना है, लेकिन जहां तक यू० पी० का सवाल है, जो हालत वहां की है, वहां पर मौसम जिस तरह से ख़राब हुआ, उस को दृष्टि में रखते हुये अगर पैदावार दस परसेंट भी ज्यादा होगी, तो बड़े भाग्य की बात होगी।

किसान को आज नेट्यर के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करना पड़ता है। एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट, प्लानिंग डिपार्टमेंट और दूसरे डिपार्टमेंट उस को नेट्यर से बचाने के लिये जो कुछ कर रहे हैं वे उस से आगे भी जितना हो सके, सोचने और उस तरफ़ ध्यान देने की कृपा करें।

चूंकि समय नहीं है, इस लिये मैं धन्यवाद के साथ समाप्त करता हूं।

†**श्री दीनेन भट्टाचार्य** (सेरामपुर) : प्रस्तावक महोदय ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात विचारार्थ रखी है। आज यही प्रश्न हमारे देश के करोड़ों लोगों के दिलों में उठ रहा है। पिछले दिनों 'टाइम्स आफ इंडिया न्यूज सर्विस' की ओर से एक सर्वेक्षण हुआ था। उस के अनुसार गत एक वर्ष में देश में साधारण मूल्य स्तर में १५ से ४० प्रतिशत की वृद्धि हुई है। अनाज और विशेष रूप से चावल के दाम बहुत ही बढ़े हैं। "हिन्दुस्तान स्टैण्डर्ड" के अनुसार परचून चावल के दाम १ रुपये से बढ़ कर १ रु० १५ न० पै० प्रति किलो हो गये हैं। पश्चिमी बंगाल की स्थिति सब से खराब है। वहां हालत यह है कि बहुत से लोगों को दो समय का खाना ही नसीब नहीं होता। मछली की कीमत ५ से ७ रुपये किलो हो गयी है। पश्चिमी बंगाल सरकार ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि कीमतें बहुत अधिक बढ़ी

†मूल अंग्रेजी में

हैं, परन्तु सरकार ने इस के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की गयी। सरकार भी अपनी चीजों का दाम बढ़ा रही है। सरकारी बसों का किराया भी बढ़ाया जा रहा है। इसी कारण रिक्सा और गाड़ियों का किराया बढ़ रहा है। भुखमरी फैल रही है।

[श्री तिरुमल राव पीठासीन हुए]

काफी आन्दोलन हुए और अन्त में सरकार ने घोषणा की कि मुनाफा कमाने वालों के विरुद्ध प्रतिरक्षा नियमों के अधीन सजा दी जायेगी। यह भी कि बड़े व्यापारियों को इस से भागने नहीं दिया जायेगा और छोटे छोटे दूकानदारों के विरुद्ध कार्यवाही नहीं की जायगी। मेरा इस सम्बन्ध में मत यह है कि यदि बिचोलियों को बीच में से हटा दिया जाय, तो कपड़े के माल के दामों में उचित कमी हो सकती है। मेरा अनुरोध है कि इस बारे में कार्यवाही की जानी चाहिये।

मेरा सुझाव यह है कि सरकार को विविध वस्तुओं का मूल्य निर्धारित कर के उचित दाम नियत करने चाहिये। सरकारी स्टोर खोले जाने चाहिये। ऐसे सभी कारखानों में जहां कि कर्मचारियों की संख्या ३०० अथवा अधिक है, वहां सभी स्थानों पर स्टोर खोल दिये जाने चाहिये। सभी प्रकार के खाद्यान्नों में राजकीय व्यापार होना चाहिये। ऐसा करने से ही उपभोक्ताओं के लिये मूल्यों का उचित स्तर कायम रखा जा सकता है। सभी दलों की मांग है कि चावल का दाम २२ रुपये प्रति मन निर्धारित हो जाने चाहिये, इस में सरकार को कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिये।

श्री तुलसीदास जाधव : (नादेड़) : सभापति महोदय, इस हाउस के सामने जो दो मोशन हैं, एक राईजिंग प्राइसेज के बारे में और दूसरा फूड पालिसी के बारे में, अगर उन के बारे में बोलना हो तो कहना पड़ेगा कि इस में कोई शक नहीं है कि जितनी तेजी से देश में अनाज की पैदावार बढ़नी चाहिये थी और प्राइसेज के हिसाब से जो चीजें लोगों को ठीक से मिलनी चाहिये थीं वह नहीं मिलती हैं।

अगर अपने यहां की स्थिति को देखा जाय तो आज पन्द्रह सोलह वर्ष हो गये हम हमेशा अनाज बाहर से मंगाते हैं। अगर इन आंकड़ों को देखा जाय कि हम किस सीमा तक मंगाते हैं तो पता चलेगा कि सन् १९५४ में हम ने कैनाडा से ८३० मिलियन टन और सन् १९६१-६२ में हम ने बढ़ कर ३,४९५ मिलियन टन मंगाया है। अपने पास देश में इतनी जमीन होते हुए भी, किसान काम करने के लिये तैयार होते हुए भी, अनाज की उपज क्यों नहीं बढ़ती है? इसका एक कारण मुझे यह दिखलाई पड़ता है, जैसा कि कई माननीय सदस्यों ने कहा, कि फार्मेसी की जरूरतों का जितना ख्याल हमें करना चाहिये उतना नहीं किया जा रहा है। यह बात सही है।

आज देश में ८५ परसेंट से ज्यादा पापुलेशन एग्रीकल्चुरिस्ट्स की है पर उन की ओर जितना ध्यान देना चाहिये उतना नहीं दिया जाता। जब हम जेल में थे, तो गांधी जी कहते थे कि स्वराज्य के मानी थोड़े से लोगों के लिये स्वराज्य से नहीं है, बल्कि वह ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिये होगा। जिनके नाम पर हमारा अशोक स्तम्भ है उन्होंने कहा था कि बहुजनों के लिये सारा कारोबार चलना चाहिये। लेकिन आज जितनी तेजी से यह काम होना चाहिये वह नहीं हो रहा है।

बहुत से भाइयों ने कहा है कि रोजाना के इस्तैमाल की चीजों के दाम बढ़ रहे हैं। मैं ने देखा है कि किसान जो पैदा करता है उस को अपनी पैदावार का जितना मूल्य मिलना चाहिये वह नहीं मिलता। बाजार में वह चीज जिस कीमत पर बेची जाती है वह कीमत किसान के पास नहीं जाती। जो मिडिल मैन है वह किसान से अनाज ले कर रख लेता है और जब उस की कमी होती है तो उस को भाव बढ़ा कर बेचता है और कंज्यमर से अधिक दाम ले लेता है। लेकिन यह पैसा किसान के पास नहीं जा पाता। इसलिये आवश्यकता इस बात की है कि इस मिडिल मैन को कम किया जाए और जो कीमत आती है वह पैदा करने वाले को चली जाए। अगर ऐसा होगा तो इस से पैदा करने वाले को उत्तेजन मिलेगा। लेकिन यह होता नहीं है।

[श्री तुलसीदास जाधव]

इस हाउस में कई बार कपास के बारे में सवाल आया । मुझ से पहले जो सदस्य बोले उन्होंने गन्ने और चीनी की चर्चा की । उन्होंने कहा कि गन्ना पैदा करने वाले को उत्तेजन देने की आवश्यकता है ।

सरकार कहती है कि १५ वर्षों में इतना उत्पादन बढ़ गया है और उस के आंकड़े देती है । लेकिन मेरे खयाल से इन आंकड़ों में कुछ गलती है । क्या गलती है यह मेरी समझ में नहीं आता । मैं कुछ आंकड़े "कृषि संसार" नाम के एग्रीकल्चुरल जनरल से, जो कि १५ अगस्त सन् १९६३ का है, कुछ आंकड़े आपके सामने रखना चाहता हूं । इस में १९५३ से १९६२ तक की पैदावार के आंकड़े दिये गये हैं इन से प्रकट होता है कि जनरल ग्रुप में हिन्तुस्तान का आंकड़ा १० से बढ़ा है जब कि पाकिस्तान का २-४, इंडोनीशिया का १-४, जापान का २-४, ओसेनिका एशिया और फ्री पोर्टस् का २-३, कांटीनेन्टल साउथ ईस्ट एशिया का २–२ और नारर्दन कांटीनेंटल कंट्रीज का १ बढ़ा है । इन आंकड़ों से मालूम होता है कि हिन्दुस्तान में प्रोडक्शन का जो इंडैक्स फिगर है वह सब से ज्यादा बढ़ा है ।

इसी तरह आप देखें कि फूड ग्रुप में हिन्दुस्तान का आंकड़ा १०–२ बढ़ा है, और उस के मुकाबले में पाकिस्तान का २–३, इंडोनीशिया का १–७, जापान का १–९, ओसेनिका एशिया और फ्री पोर्टस् का २, कांटीनेंटल साउथ ईस्ट एशिया का २–४, नारदर्न कांटीनेंटल कंट्रीज का १ बढ़ा है ।

इसी तरह से नान फूड ग्रुप में भी हिन्दुस्तान का आंकड़ा बढ़ा हुआ नजर आता है । लेकिन समझ में नहीं आता कि ये आंकड़े केवल काजग पर बढ़े हैं या खेतों में इतनी पैदावार बढ़ी है ।

एक माननीय सदस्य : खाने वाले भी तो बढ़ गए हैं ।

श्री तुलशीदास जाधव : यह बात सही है कि खाने वाले बढ़े हैं । लेकिन जो प्लानिंग आज किया जाता है उस को आबादी की बढ़ोतरी को ध्यान में रख कर ही तो करना होगा ।

दूसरी बात मेरे को यह खुलासा होनी चाहिये— मैंने इस सवाल को कंसलटेटिव कमेटी में भी पूछा था—और उस समय भूतपूर्व मंत्री श्री पाटिल साहब ने और डा० रामसुभग जी ने कबूल किया था कि जो आंकड़े निकाले जाते हैं उन का कोई बेस नजर नहीं आता। मुझे यह खुलासा होना चाहिये कि इन आंकड़ों का बेस क्या है । आप किसी भी देहात में चले जायें तो आप को ग्राम सेवक से, पंचायत के सेक्रेटरी से या सरपंच से किसी से भी यह पता नहीं चलेगा कि ये आंकड़े कहां से निकाले जाते हैं । मैं जब रूस गया था तो एक देहात में मैंने देखा कि वहां ग्राम सभा के पास सारे आंकड़े थे । उस गांव में दो हजार हैक्टर जमीन थी । इस जमीन में कौनसा अनाज और कितना अनाज हुआ इसके नक्शे उस गांव में थे । लेकिन हमारे देहात में तो इस तरह के कोई नक्शे नहीं हैं । किस जमीन में कौन सा अनाज और कितना हुआ यह जानना कोई कठिन बात नहीं है । हमारे यहां तो ग्राम सेवक, ग्राम पंचायतें सेक्रेटरी सरपंच, उप सरपंच, आदि हैं और जिला परिषदों के और ताल्लुका परिषदों के प्रेसीडेंट हैं जिन में एक ५०० रुपया तनखाह लेता है, उन्हीं के पास मोटर है बंगला है, और दूसरा ३०० रुपया महीना लेता है । तो इतने आदमी हैं लेकिन किसी गांव में कोई आंकड़ा नहीं है कि इस में जो जमीन है उस में कौन सा अनाज और कितना हुआ ।

एक माननीय सदस्य : पानी पत्र तो रहता है ।

श्री तुलसीदास जाधव : वह तो रहता है । लेकिन उस में केवल यह रहता है कि गेहूं पैदा हुआ, कितना हुआ यह उस में नहीं रहता । इस का कोई आंकड़ा नहीं है । यह आंकड़ा इस तरह निकालते हैं कि किसी गांव में चले जाते हैं, एक खेत से थोड़ा सा अनाज लेते हैं और उस का कैलकुलेशन करते

हैं। हर किसान जानता है कि उस के कितना अनाज पैदा हुआ है, जमीन का आंकड़ा हमारे पास है। किसान से पूछ कर यह मालूम किया जा सकता है कि उस की जमीन में कौन-सा अनाज और कितना हुआ है। लेकिन ऐसा फिगर नहीं है। (**अन्तर्बाधा**)।

मैंने जहां तक देखा है गिनती बराबर नहीं है। अगर मैं गलत कहता हूं तो मुझे बताया जाए। जब मैं ने सवाल किया था तो पाटिल साहब ने और डा० राम सुभग सिंह ने मुझे झूठा नहीं ठहराया। बल्कि कहा था कि फिगर नहीं है। मैं जानना चाहता हूं कि यह फिगर कैसे निकाला जाता है। किसान को मालूम है कि उस की ज़मीन में कितना हुआ है। उस से मालूम किया जा सकता है।

जब पाटिल साहब से सप्लीमेंटरी सवाल पूछेगा कि फिगर कैसे निकलते हैं तो कहा कि फरटीलाइजर और तगाई को देख कर निकालते हैं। मेरी दृष्टि से इस में थोड़ी दुरुस्ती होनी चाहिये। देश में जमीन काफी पड़ी है, किसान जोतने के लिय तैयार हैं फिर पैदावार क्यों नहीं बढ़ती। कहा जाता है कि इंसेंटिव नहीं है। लेकिन जैसा पाटिल साहब ने बतलाया था इंसेंटिव का सवाल तो वहां आता है जहां क्लेक्टिव और स्टेट फार्मिंग हों। यह झगड़ा दूसरे देशों में आ सकता है लेकिन हिन्दुस्तान में तो कलेक्टिव या स्टेट फार्मिंग नहीं है। यहां तो इस तरह का इंसेटिव का सवाल पैदा नहीं होता। यहां तो किसान को जबरदस्त इंसेटिव है। आवश्यकता इस बात की है कि किसान को जो चीज चाहिये वह उसे वक्त पर मिलनी चाहिये। यह मैं ने कई बार कहा है।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि अनाज की कीमतें बढ़ने की बात की जाती है, तो उस के बारे में मेरे पास इस समय आंकड़े हैं। बुलेटिन ऑन फुड स्टेटिस्टिक्स जनवरी, १९६२ को यदि देखा जाय तो पता लगेगा कि फूड प्राइसेज कोई ज्यादा नहीं बढ़ी हैं। लेकिन प्राइसेज बढ़ी जरूर हैं। अब अगर इसी के साथ जो कंज्यूमर्स हैं अगर उनकी आमदनी भी बढ़ जाय तो फिर थोड़ी बहुत बढ़ी हुई प्राइसेज का उन पर कोई विशेष असर नहीं होगा। लेकिन जब प्राइसेज तो बढ़ती हैं और जो लेने वाले कंज्यूमर्स होते हैं उनकी ताकत नहीं बढ़ती है, उन को जो पैसे ज्यादा मिलने चाहिये, वह नहीं मिलते तो उससे उन्हें अनाज ज्यादा मंहगा मालूम देता है। यह तो कंज्यूमर्स प्वाइंट ऑफ व्यू रहा। लेकिन इसी के साथ हमें किसानों के हितों को भी नज़रअन्दाज़ नहीं करना होगा। अज किसानों को अपनी ज़रूरत का सामान बाज़ार से खरीदना पड़ता है वह बहुत महंगा हो गया है इसलिए यह उचित है कि किसानों को भी उसकी उपज के मुनासिब दाम मिलें। किसान की उपज और उसकी ज़रूरत को अन्य चीजों के दामों में एक प्रपोरशन होना चाहिए। किसान की उपज के दामों में और बाहर से जो हम अन्न मंगाते हैं उनके दामों से एक प्रपोरशन होना चाहिए। इश तरह का प्रपोरशन होने से उसको कीमत का कोई असर नहीं होगा। अब कीमत की बात ऐसी है कि रूस में मैंने देखा है कि जो साबू हमारे वहां ६ आने का मिलता है वहां वह १ रुपये ४ आने का मिलता है। यहां अगर लोगों को २५० रुपये पगार मिलती है तो वहां रूस में १००० रुपये मिलती है। मैं चाहता हूं और मेरी विनती है कि गवर्नमेन्ट इनके बीच में एक प्रपोरशन रक्खे।

यह ठीक बात है कि जो छोटे कर्मचारी और निचली श्रेणियों के लोग हैं उनकी हालत बड़ी ख़राब है। मंहगाई अत्यधिक बढ़ गयी है और यह उचित है कि ग़रीब कन्ज्यूमर्स को अनाज सही और मुनासिब दाम पर मिल सके। इस संबंध में मेरा कहना यह है कि इतना पैसा जो सरकार बाहर से अनाज मंगाने पर हर साल खर्च करती है और हमारा काफ़ी पैसा विदेशों में जाता है वही पैसा हिन्दुस्तान में हमारे जो खेत हैं, अर्थात् किसान हैं उनको सरकार अधिक अन्न उत्पादन के हेतु दे। ऐसा करने से मैं समझता हूं कि देश में अन्न का उत्पादन अधिक हो सकेगा और हमें तब बाहर से भारी मात्रा में गल्ला मंगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सन् १९६१ में हम ने विदेशों से ३४९५ थाउजैंड मट्रिक टन खाद्यान्न मंगाया जिस की कि कीमत हमें १,२९,५६ लाख रुपये देनी पड़ी। इतना रुपया हमारा

[श्री तुलसीदास जाधव]

बाहर देशों में गया । अब अगर यही पैसा विदेशों में न भेजा जा कर यहीं अपने देश में किसानों को वक्त ज़रूरत पर दे दिया जाता तो हमें बाहर से अनाज मंगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती । अगर किसान को वक्त पर सहायता मिल जाय तो वह अधिक अनाज पैदा करने के लिए तैयार है और वह अनाज की पैदावार बढ़ाकर दिखा सकता है । सरकार को किसानों की ज़रूरतों की ओर देखना होगा और उन को अधिक अन्न उपजाने के हेतु सभी संभव प्रोत्साहन देने होंगे ।

किसान को वक्त ज़रूरत पर पैसा नहीं मिलता है । बाद में जब उसे ज़रूरत नहीं होती है तब अलबत्ता पैसा उसके घर पहुंचाया जाता है । मैं अपने जिले शोलापुर की एक मिसाल देना चाहता हूं कि वहां पर कुंएं खोदने के लिए एक महीने के अन्दर २० लाख रुपये बांटे गये जिस का नतीजा यह हुआ कि रोजाना की मजदूरी २ रुपये की जगह पर ६ रुपये हो गयी । १२ आने की जो बत्ती मिलती थी कुंआ खोदने के लिए उस की क़ीमत सात रुपये हो गयी । हमेशा के लिए किसान को पैसा लेने में ६, ६ महीने का समय लग जाता है और इस के लिए बारबार उस को कचहरी वगैरह में दौड़ना पड़ता है । वक्त पर उस को पैसा नहीं मिलता है । एक भाई ने जैसा कहा कि हमारे नये फूड मिनिस्टर और उन के सहयोगी बंश परम्परा से किसानी और खेतीबाड़ी करने वाले रहे हैं, अब वे स्वयं आज इस को करते हैं या नहीं, यह तो मुझे मालूम नहीं है लेकिन इतना मैं अवश्य समझता हूं कि उन को इस क्षत्र में अच्छा ख़ासा अनुभव है और मुझे आशा है कि वे इस ओर गम्भीरता से ध्यान देंगे और इस देश की खाद्य समस्या का संतोषजनक हल निकाल सकने में सफल हो सकेंगे । मेरी प्रार्थना है कि इस बारे में वे ज़रा गहराई के साथ विचार करें, किसानों को खेती का उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन दें ताकि गल्ले के बारे में हम आत्मनिर्भर हो सकें । बस मुझे इतना ही कहना है ।

श्री कछवाय (दवास) : सभापति महोदय, फुडग्रेंस और दूसरी ज़रूरी चीज़ों के भावों में असाधारण वृद्धि को नोट करने और गवर्नमेंट आँफ इंडिया की फूड पालिसी को कंसिडर करने के लिए हमारे मित्र श्री एस० एम० बनर्जी और श्री यशपाल सिंह ने जो अपने प्रस्ताव रखे हैं उन पर मैं इस सदन के सामने बहुत संक्षेप में अपने कुछ बिचार प्रक्ट करना चाहता हूं और इस सदन के द्वारा फूड मिनिस्टर साहब का ध्यान कुछ महत्वपूर्ण बातों की ओर दिलाना चाहता हूं ।

आज सारे देश के अन्दर जिस प्रकार से चीजों के भाव बढ़ रहे हैं और जिस के कि कारण इस देश का ग़रीब तबक़ा ख़ासतौर से बहुत परेशान हैं और काश्तकार भी परेशान हैं, उस के बारे में हमें गम्भीरता से विचार करना चाहिये । आज यह किसी से छिपा नहीं है कि सरकार की कृषि पालिसी किस तरह से नाकामयाब हो रही है और किस तरह से पसा उस पर खर्च किया जा रहा है ? आंकड़े बड़े लम्बे चौड़े बतलाये जाते हैं । लेकिन वास्तव में देखा जाय तो जो आंकड़े दिये जाते हैं वे सही नहीं होतेहैं । हमारा शासन काफ़ी रुपये विदेशों में भेज कर वहां से गल्ला प्राप्त कर रहा है। आख़िर सरकार को यह रुपया प्राप्त कहां से होता है । इस देश के गरीब लोग जिन की तादाद बहुत अधिक है, सरकार को टैक्स देते हैं, शासन उस पैसे को किस तरह से बर्बाद करता है उस के कुछ आंकड़े मैं सदन के सामने रखना चाहूंगा। हमारी सरकार ने सन् ५६–५७ में २४,५७,००० टन अनाज ख़रीदा था जिसके अन्दर २७ परसेंट अनाज का स्टाक कम हो गया, घट गया । वह अनाज का स्टाक कमरे में रखा गया, अच्छे गोदाम में रखा गया लेकिन वह इस प्रकार से कम हो गया । उस के बाद हम देखते हैं कि सन् १९५७–५८ में ४२,०६,००० टन अनाज विदेशों से ख़रीदा गया जिस में कि २९ प्रतिशत की कमी हो गयी । सन् १९५८–५९ में ४८,५२,००० टन अनाज खरीदा गया जिसमें कि ३८ प्रतिशत की कमी हो गयी । सन् १९५९–६० में ५४,८७,००० टन अनाज विदेशों से ख़रीदा गया और इस अनाज के स्टाक में ६७ प्रतिशत की कमी पड़ गयी । यह आंकड़े सेंट्रल गवर्नमेंट की आडिट रिपोर्ट १९६२ से मैंने उतारे

हैं जो कि मैं सदन के सामने रख रहा हूं, मैं चाहूंगा कि मंत्री महोदय इस बारे में जानकारी दें कि आख़िर स्टाक में यह कमी क्यों हुई ? अब उनकी ओर से कहा जायेगा कि जहां पर स्टाक जमा था उस स्टोर्स के चारों तरफ संगीनधारी सिपाहियों का पहरा बिठाया हुआ था और किसी चोरी की वारदात का होना मुश्किल था और यह जो स्टाक में कमी हुई है यह इस कारण हुई कि गोदाम में चूहे लग गये थे और वे इतना अनाज खा गये । मेरा उस हालत में उन से यह कहना है कि आख़िर वह चूहे थे किस कलर के यह तो थोड़ा बतलाया जाय ?

एक माननीय सदस्य : वह चूहे अपोज़ीशन के थे ।

श्री कछवाय : माननीय सदस्य को मालूम होना चाहिए कि सफेद चूहों की खुराक काले चूहों की अपेक्षा अधिक होती है इसलिए यह काम सफेद चूहों का है । काले चूहे कम खाते हैं ।

जब अनाज की बात आती है तो यह कहा जाता है कि देश में अनाज कम है लेकिन अननाज खाने वाले ज्यादा हैं । इसीलिए स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से यह आदेश दिया जाता है कि लोंगों को फैमिली प्लानिंग करनी चाहिए, उनको संताने पैदा करना बंद करना चाहिए ताकि आबादी और अधिक न बढ़ सके । इस के लिए सरकार लोगों को नपुंसक बनाने में काफ़ी रुपया खर्च कर रही है । जब देश पर विपत्ति छाई हो, बाह्य आक्रमण का खतरा सामने मौजूद हो तब सरकार इस तरह से लोगों को नपुंसक बनाने में अरबों और लाखों रुपया खर्च कर रही है । जब हमारे दरवाज़े पर चीनी शत्रु मौजूद हैं और हमारी आज़ादी ख़तरे में है तो बजाय इस के कि सरकार लोगों को उस से लोहा लेने के लिए तैयार करती, वह उनको नपुंसक बना रही है । यह कितने बड़े अचरज की बात है ?

कुछ लोग यह भी कहते हैं कि चूंकि अनाज की देश में कमी है इसलिए लोगों को मांस अधिक खाना चाहिए । अब सवाल यह उठेगा कि मांस किस का खाना चाहिए ? सरकार को समय रहते इस अन्न की समस्या को हल करना चाहिए । अब मध्य प्रदेश में बहुत-सी ऐसी जगहें हैं जहां कि अन्न की बहुत ज्यादा कमी है और वहां आज भी लोग झाड़ और पेड़ों के पत्ते खा कर अपना जीवन बसर करते हैं बिहार और उत्तर प्रदेश में कई जगहें ऐसी हैं जहां कि अनाज नहीं है और लोग गोबर में से अन्न के दाने बीन बीन कर खाते हैं । एक ओर तो अन्न की समस्या गम्भीर रूप धारण किये हुए है दूसरी ओर ज़रूरी चीजों के दाम बढ़ते ही जा रहे हैं और जिस का परिणाम यह हो रहा है कि गरीब जनता हा हाकार कर रही है । इस पर मज़ा यह है कि हमारा शासन यह कहता है कि हमारी पंचवर्षीय योजना बड़ी सफल हुई है । शासन के दलाल लोगों के द्वारा देहातों के अन्दर, शहरों के अन्दर अख़बारों के जरिए यह प्रचार कराया जाता है कि अब अन्न की समस्या बहुत जल्दी हल हो जायगी और हमारे देश के प्रधान मंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू की जो योजना थी वह सफल हो गयी । कहा जाता है कि अनाज की समस्या हल हो गई है, लेकिन जितना प्रचार होता है, देश में उतनी ही ज्यादा भुखमरी पैदा होती है । एक ओर मजदूर को बराबर मज़दूरी नहीं मिलती है और दूसरी ओर चीज़ों के भाव इस प्रकार बढ़ाए जा रहे हैं कि जिस का कोई हिसाब नहीं है ।

मैं आप की अनुमति से कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में जो मज़दूर फैक्टरी में काम करते हैं, उन के मंहगाई भत्ते में से तीन रुपया माहवार इसलिए कम कर दिया गया कि चीज़ों के दाम सस्ते हैं । मेरी समझ में नहीं आया यह कदम किस आधार पर उठाया गया । सीधी बात यह है कि इन भावों को तय करने के लिए जो कमिशन बैठा है, वह पूंजीपतियों और शासन का दलाल है और वह मज़दूरों की तरफ़दारी करने वाला नहीं है । साफ़ ज़ाहिर है कि वे कहते हैं कि मंहगाई भत्ता कम कर दो, क्योंकि भाव सस्ते हैं और उस को कम कर दिया जाता है । प्रश्न यह है कि किस चीज के भाव के आधार पर यह कमी की गई । हम देखते हैं कि आलू के भाव के आधार पर भाव निकाले जाते हैं ।

[श्री कछवाय]

यह देखना चाहिए कि उस चीज़ का भाव क्या है जो रोज़ मज़दूरों के काम में आती है और जिसके बिना उसका काम नहीं चलता है और उसके आधार पर भाव तय होने चाहिएं ।

चाहे कोई चपरासी हो, क्लार्क हो, चाहे किसी विभाग का कर्मचारी हो, मज़दूर हो, उनसे काम तो जम कर और कस कर लिया जाता है, काम कराने में ज़रा भी ढील नहीं है, लेकिन जब मंहगाई को देखते हुए तन्ख्वाहें बढ़ाने का सवाल आता है, तो कहा जाता है कि विचार करेंगे । जब इस कारण लोगों में बहुत रोष पैदा होता है जब हिम्मत के साथ, बड़े ज़ोरों के साथ, यह बात सामने रखी जाती है कि तनख्वाह बढ़ाई जायें, तो हमारे शासन के नेताओं की बहुत दिनों से यह आदत पड़ गई है कि ऐसे अवसर पर वे किसी अच्छी चीज़ का उद्घाटन करेंगे, फिर भाषण करेंगे, उस के बाद चाटन करेंगे और आख़िर में आश्वासन देंगे । लेकिन उन आश्वासनों को पूरा नहीं किया जाता है । इस स्थिति में अनाज की समस्या किस प्रकार हल होगी ?

मैंने कृषि मंत्री, डा० राम सुभग सिंह, को मध्य प्रदेश के काश्तकारों के बारे में दो तीन बातें बताई हैं । वहां पर काश्तकार का जब गन्ना लिया जाता है, तो उस को चार छः रोज़ तक वहां पर पड़े रहना पड़ता है । इस प्रकार पड़े पड़े वह छः आठ रुपये खा लेता है । चार छः रोज़ पड़े रहने के बाद उसका गन्ना लिया जाता है । वह गन्ना उसी से तुलवाया जाता है और मशीन में डलवाया जाता है । काश्तकार को पैसा कम दिया जाता है, उस से मेहनत ज्यादा ली जाती है और बाद में उसको शक्कर दो रुपये किलो के हिसाब से दी जाती है ।

काश्तकार का गन्ना इतना सस्ता क्यों लिया जाता है , यह मेरे पूर्ववक्ताओं ने बड़ी अच्छी तरह से बताया है । हम देखते हैं कि कुछ लोगों के द्वारा काश्तकार और मज़दूर के बीच झगड़ा खड़ा किया जाता है । उन के बीच जो दीवार है, उस को हटा कर मज़दूरों को साफ़ बताना चाहिए कि काश्तकार जब अनाज बेचने आता है, तो अनाज ख़रीदने वाला व्यापारी एक गाड़ी के पीछे तीन चार रुपये अलग सेल्ज़ टैक्स के काट लेते हैं और कहते हैं कि चूंकि हम को भरना पड़ता है, इसलिए यह हम काट लेंगे ।

आज आवश्यकता इस बात की है कि खाद्यान्न पदार्थों के दाम देश की परिस्थिति को दृष्टि में रखते हुये घटाये जायें और ग़रीबों, मज़दूरों और सारे देश की जनता को ठीक भाव पर, कंट्रोल रेट पर, चीज़ें मिलनी चाहिएं ।

कपड़ा शहर में बनता है और उस के लिए कपास देहात से ली जाती है । लेकिन कपास का जो दाम दिया जाता है, उस का छः सात, आठ गुना मूल्य कपड़े के लिए देहात के लोगों से लिया जाता है । जो अपने खून का पसीना करके, रात दिन एक करके, सुबह चार बजे उठ कर, अपने खेत की रखवाली करके और मेहनत के साथ कपास पैदा करता है, उससे कपास तो सस्ते दाम पर ली जाती है, लेकिन उस कपास से बना हुआ कपड़ा बहुत ऊंचे मूल्य पर उसको बेचा जाता है । यह दीवार क्यों है ? यह भेद क्यों रखा गया है ? काश्तकारों से इस प्रकार का अन्याय क्यों किया जा रहा है ? यह बीच की दीवार किस प्रकार ख़त्म हो ?

मैं दिल्ली में देखता हूं कि सब्ज़ी मंडी और पहाड़गंज में सब्ज़ी का भाव चार आने पाव है, लेकिन साउथ एवेन्यू और नार्थ एवेन्यू में वह आठ आने पाव बिकती है । इतना फ़र्क क्यों होता है ? शहर के एक मुहल्ले और दूसरे मुहल्ले के भाव में इतना फ़र्क क्यों है ।

श्री काशीराम गुप्त : साउथ एवेन्यू में एम० पीज़० रहते हैं ।

श्री कछवाय : यह भी ध्यान रखना चाहिए कि साउथ ऐवेन्यू में कुछ मज़दूर लोग भी रहते हैं, इसी संसद् भवन में काम करने वाले चपरासी और वेलदार लोग भी रहते हैं । हम से चाहे ज्यादा दाम लिये जायें, लेकिन उनसे तो कम लिये जायें ।

कुछ दिन पूर्व हमारे शासन केद्वारा, कृषि मंत्रालय द्वारा ४४,८००० पौंड तम्बाकू रूस को बेचा गया। हमारे काश्तकारों को तो बहुत हल्का पैसा दिया जाता है, लेकिन शासन के द्वारा रूस को बेचे गए तम्बाकू में १३८९५८ रुपये का घाटा हुआ । यहां के मजदूर और काश्तकार को ज्यादा कीमत नहीं दी जायेगी, उस से सस्ता सामान लिया जायेगा, लेकिन बाहर हम घाटा उठा सकते हैं। शासन और व्यापारी वर्ग की यह हीन वृति क्यों है ? अगर व्यापारी वर्ग कोई घांवली करता है, तो शासन को अपनी सी० आई० डी० और खुफिया विभाग के द्वारा इसकी छानबीन करवानी चाहिए। आज काश्तकारों से इतने सस्ते मूल्य पर अनाज लिया जाता है, जिसका कोई हिसाब नहीं है ।

व्यापारी लोग सीज़न से पहले काश्कार को रुपया दे देते हैं और सीज़न आने पर पैसे के बजाये अनाज सस्ता वसूल करते हैं । इस अवस्था में देश में अनाज की बढ़ती हुई मंहगाई को कैसे रोका जा सकेगा ? इस बात पर बड़ी गम्भीरता के साथ विचार करना चाहिए । आज देश में खाद्य पदार्थों की बहुत भंयकर और बड़ी समस्या है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति का काम खाद्य पदार्थ के बगैर नहीं चल सकता है । शासन को इस बारे में अपनी नीति में सुधार करना चाहिए । स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा जो पैसा ख़र्च किया जाता है, उस में कमी करके हम को इधर पैसा लगाना चाहिए । और काश्तकारों को ज्यादा प्रोत्साहन देना चाहिए ।

अन्त में एक उदाहरण दे कर मैं बैठ जाऊंगा । मध्य प्रदेश में कुछ काश्तकारों को को-आपरेटिव बैंक कर्ज़ा देता है और उस कर्ज़े को बड़े कठोर ढंग से वसूल करता है और इस प्रकार काफ़ी पैसा कमाता है । मैं आप को बताना चाहता हूं कि काश्तकारों से ब्याज के रूप में लिए गए पैसे का उपयोग कैसे किया जाता है । उज्जैन में एक बड़ा अच्छा पक्का भवन आठ हजार रुपये का ठेका दे कर तुड़वाया गया और उसमें पन्द्रह दिन लगे । उस को छैनी-हथौड़े से तुड़वाया गया । उस जगह से दो फरलांग की दूरी पर मेरा मकान है । मैं रात दिन छैनी-हथौड़ी की आवाज़ सुनता था। हालांकि वह मकान बहुत अच्छा और पक्का था, लेकिन उसको यह कह कर तुड़वाया गया कि वह ठीक नहीं है और अब आठ लाख के ख़र्च से एक नया भवन बनवाया जा रहा है । हमारे मंत्री महोदय, श्री नन्दा यह घोषणा करते हैं कि कोई भी ऐसी स्कीम या निर्माण कार्य हाथ में नहीं लिया जायेगा, जो कि अनावश्यक हो। लेकिन काश्तकारों के पैसे से आठ लाख रुपये की लागत से यह भवन बनवाया जा रहा है । शासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए ।

†**श्री पु० र० पटेल** (पाटन) : एक बात आपको स्पष्ट रूप से समझ लेनी चाहिए कि कृषि की समस्याओं को रुपये बिना, हम मूल्यों के बारे में कुछ नहीं कर सकते । कृषकों की कठिनाइयों को समझना होगा । इसे समझने पर ही मूल्यों की समस्या और कृषि क्षेत्र में उत्पादन की समस्या को समुचित ढंग से हल किया जा सकता है । खाद्यान्नों के राजकीय व्यापार की बातें की गयी हैं। मेरा निवेदन यह है कि न तो इस से उत्पादन बढ़ाने में सहायता मिलेगी और न ही मूल्य ही स्थिर किये जा सकेंगे । इस दिशा में एक अन्य बात भी ध्यान में रखने योग्य है कि कृषि जन्य वस्तुओं की कीमतें निर्धारित करते समय उनकी उत्पादन लागत का ध्यान रखना बहुत जरूरी है ।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री पु० र० पटेल]

हमें हर हालत में इस बात का ध्यान रखना होगा कि कृषकों का हित किस बात में है। श्री स० कु० पाटिल चार वर्ष तक खाद्य मंत्री रहे हैं, उनका व्यवहार कृषकों के प्रति काफी सहानुभूति-पूर्ण रहा है। जब तक अनाज का ठीक दाम किसानों को नहीं मिलता इस दिशा में स्थिति के सुधरने की कोई सम्भावना नहीं। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि सरकार ने मूल्यों को स्थिर रखने का कार्य आरम्भ किया है, परन्तु इनसे उन्हें अच्छे दाम नहीं मिल रहे। साम्यवादी लोगों का काम लोगों को गुमराह करना और उन में असंतोष फैलाना है। अतः ये लोग मध्यम वर्ग के लोगों में कृषि जन्य वस्तुओं के ऊंचे भावों का नारा लगा कर असंतोष फैलाना चाहते हैं। ये लोग किसानों को फूला फलता देखने के इच्छुक नहीं हैं।

मैं सरकार से भी यह निवेदन करना चाहता हूं कि कृषि क्षेत्र में सफलता नारे लगाने से प्राप्त नहीं होगी। न ही विचारधारा की बातों से ही यह मसला हल होगा। हम नारों और विचार-धाराओं के चक्करों में पड़े रहते हैं, अतः हमारी कृषि समस्या का सन्तोषजनक हल नहीं निकल पाता। मेरा इतना ही कहना है कि कृषि का प्रसार उन लोगों के हाथों में होना चाहिए जोकि किसानों की समस्याओं पर सहानुभूति ढंग से हल करने की क्षमता है और मुझे श्री स्वर्ण सिंह से इस प्रकार की पूरी आशा है।

†**श्री जसवन्त मेहता** (भावनगर) : श्री बनर्जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न प्रस्तुत किया है। मैं उन्हें इस के लिए मुबारकबाद देता हूं। मैंने दोनों पक्षों को सुना है। एक ओर किसान हैं, दूसरी ओर उपभोक्ता हैं। अनाज की कीमतों और दूसरी कीमतों में समानता होनी चाहिए। यदि ऐसा नहीं किया जाता तो कीमतें बढ़ती ही जायेंगी। कृषि मंत्रालय के पुनर्गठन के लिए मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं। अब केन्द्र और राज्यों में पूरा समन्वय स्थापित करने का यत्न किया जाना चाहिए। कोशिश की जानी चाहिए कि कृषि की समस्या को युद्ध स्तर पर हल किया जाये। हमें यह पता है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में मूल्यों में ६ प्रतिशत वार्षिक वृद्धि हुई। इसी प्रकार की प्रवृति तीसरी योजना की अवधि में भी जारी है। इसका कारण यह है कि कृषि क्षेत्र में हम असफल रहे हैं। १९४९–५० में १७ लाख टन था और १९६०–६१ में १८ लाख टन। बस गत १० वर्षों में इतना ही हो पाया। प्रथम योजना में ५३८ करोड़ रुपये का अनाज आयात हुआ और दूसरी योजना में ७११ करोड़ का। एक ओर हम कृषि उत्पादन पर बल दे रहे हैं दूसरी ओर कीमतें बढ़ रही हैं।

उत्पादन और वितरण का प्रश्न है। हमें अधिक उत्पादन करना चाहिए। वितरण प्रणाली का भी पुनर्गठन करना चाहिए। यह ढंग भी ठीक है कि उपभोक्ता सहकारी संस्थाएं बनाई जायें परन्तु इस दिशा में सब से अच्छी बात यह होगी कि खाद्यान्नों के समूचे व्यापार का समाजीकरण कर दिया जाये। एक ढंग यह भी है कि दो फसलों के बीच प्रतिशत वृद्धि संविहित रूप से निर्धारित कर देनी चाहिए। एक "मूल्य स्थिरीकरण बोर्ड" होना चाहिए, जो लगातार मूल्यों की प्रवृतियों पर विचार कर मूल्यों को और अधिक न बढ़ने दे।

इसके बाद सरकार को घाटे की अर्थ व्यवस्था की ओर ध्यान देना है। इस बारे में मेरा निवेदन है कि घाटे की अर्थ व्यवस्था को भी सीमाओं के अन्दर रखना चाहिए, अन्यथा मूल्यों को स्थिर रखना असम्भव हो जायेगा। इसके साथ ही कर्ज की बात आती है। रक्षित बैंक किसानों को उत्पादन बढ़ाने की दृष्टि से करोड़ों रुपयों का कर्जा दे रहा है। यह कर्जा सहकारी बैंकों को दिया जाता है। सरकारी बैंकों से केवल २ प्रतिशत ब्याज लिया जाता है। किसानों को यह कर्जा ९ अथवा ९$^{1}/_{2}$ प्रतिशत पर दिया जाता है। ७ अथवा ७$^{1}/_{2}$ प्रतिशत बीच वाले ही खा जाते हैं। किसानों को कम

†मूल अंग्रेजी में

ब्याज पर रुपया देने का दूसरा ढंग क्यों नहीं अपनाया जाता । मेरा बिचार यह है कि इस के लिए सब से अच्छा ढंग यह है कि तहसील स्तर पर सहकारी बैंक खोले जाने चाहिए । प्रत्येक किसान को उस की भूमि के भाव के २० अथवा २५ प्रतिशत तक इन बैंकों से ऋण लेने की अनुमति दी जानी चाहिए । जब भी धन की आवश्यकता किसान अनुभव करे तो वह किसी भी समय यहां से धन ले सकता है । साथ ही मेरे बिचार में सरकार को ऋण सहकारी संस्थाओं की अपेक्षा सेवा सहकारी संस्थाओं को बढ़ाने पर जोर देना चाहिए ।

मैं क्षेत्रों की प्रणाली के बारे में कुछ कहना चाहता हूं । जब हम पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा पर तस्कर व्यापार को नहीं रोक सकते तो आप देश में विभिन्न क्षेत्र क्यों बनाना चाहते हैं । सरकार को एकरूप प्रणाली बनानी चाहिए ।

लाखों एकड़ भूमि बंजर पड़ी है । सरकार को उसे काश्त में लाना चाहिए । नर्वदा और ताप्ती की बड़ी परियोजनाओं को केन्द्रीय जल और विद्युत आयोग के अन्तर्गत ले लेना चाहिए ।

जब हम अधिक कृषि सम्बंधी उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं और अधिक बिजली चाहते हैं तो इन परियोजनाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता क्यों नहीं दी जाती ।

इन कदमों से मूल्यों को काबू में रखा जा सकेगा । प्रशासन को भी ठीक करना चाहिए । वितरण और उत्पादन हमारी समस्या का मुख्य पहलू है । वितरण करने वाली सारी मशिनरी का पुनर्गठन किया जाना चाहिए और उत्पादन युद्ध के समय की तरह होना चाहिए । केवल तभी मूल्यों पर नियंत्रण रह सकेगा ।

श्री शिव नारायण (बांसी) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस देश का धन पैदा करने वाला किसान है, किसान कमाता है, किसान गन्ना पैदा करता है, गेंहूं पैदा करता है चावल पैदा करता है, जिस के ऊपर यह सारा राज और समाज टिका हुआ है, जिस के ऊपर यह बड़े बड़े पूंजीपति टिके हुए हैं, जिस के ऊपर सारा मिडिल क्लास टिका हुआ है और सारे सरकारी नौकर टिके हुए हैं ।

हमारे कम्युनिस्ट भाई श्री बनर्जी के कहने पर नाराज़ हो गए । लेकिन कम्युनिस्टों ने देश के साथ सन् १९४२ में क्या किया और आज क्या कर रहे हैं यह देश के सामने है । मैंने समय के लिए प्रार्थना की और आप ने मुझे समय दिया इस के लिए मैं आप का अनुग्रहीत हूं ।

मैं एक प्रमुख बात कहना चाहता हूं अपने एग्रीकल्चर मिनिस्टर से कि मुझे इस बात का गुमान है कि आज एग्रीकल्चर मिनिस्टर एक एग्रीकल्चर का डाक्टर है । मेरा अभिप्राय डा० राम सुभग सिह से है । (**अन्तर्वाधाएं**)

आप लोग चुप रहें । मेरी बात सुनें । मैं किसान की वकालत करने के लिए खड़ा हुआ हूं । मैं गवर्नमेंट से कहना चाहता हूं कि गन्ने की वेसिक प्राइस दो रुपया मन से ज्यादा न हो । आप इन कम्युनिस्टों के शोरगुल के चक्कर में न आएं । आज फारिन मारकेट में, अमरीका और इंग्लैंड में हमारी जो चीनी जाती है उस का अच्छा दाम मिल रहा है । जब चीनी का ज्यादा दाम मिले तो आप किसानों को क्यों न दो रुपया मन दें । और अगर रिक्वरी ९–६ पर सेंट से ज्यादा हो तो उस को आप सवा दो रुपए और ढाई रुपए मन तक दे सकते हैं । किसान मेहनत करके गन्ना पैदा करेंगे और उत्पादन बढ़ेगा । मैं कहना चाहता हूं कि बीच में किसान ने गन्ना पैदा करना कम कर दिया था । पिछले साल किसानों को गन्ने का दाम ठीक समय पर नहीं मिला उन को पन्द्रह पन्द्रह दिन तक दाम के लिए इन्तिजार करना पड़ा । यह सब इन बड़े बड़े पूंजीपतियों और मिल मालिकों के कारण हुआ, जिस की बहुत से लोग यहां एजेंटी करते हैं, मैं उन के नाम नहीं लेना चाहता ।

[श्री शिव नारायण]

हमारी कांग्रेस सरकार ने तो त्याग का नमूना दिखला दिया है। हमारे पाटिल साहब कुर्सी पर ठोकर मार कर चले गये। भगवान बुद्ध ने बिम्बिसार से कहा था कि भोग को छोड़ दो तो तुम्हारी बड़ी मर्यादा बढ़ेगी। आज हमारे ६ मुख्य मंत्रियों ने और ६ सेंटर के मंत्रियों ने कुर्सियों को ठोकर मार कर नमूना पेश कर दिया है त्याग और तपस्या का। यह चीज उन लोगों में ही है जो नेहरू के साथ हैं। (**अन्तर्बाधाएं**) आप लोगों में यह चीज नहीं है जो कि देश को बेच देना चाहते हैं। आज चीन की वकालत करते हैं। देश को बेच देना चाहते हैं। शर्म से उन का सिर नीचे नहीं झुकता। आज वह हम को उपदेश देते हैं। कांग्रेस गवर्नमेंट ने जो नमूना पेश किया है.....

उपाध्यक्ष महोदय : आप खत्म कीजिए पांच बज गया है।

श्री शिव नारायण : मैं दो मिनट में खत्म करता हूं।

मेरा निवेदन है कि आप आज गन्ने का दाम फिक्स कर दीजिए और वह दाम ऐसा हो कि जो क्वार के महीने में हो वही वैसाख तक रहे। मेरा तो सुझाव है कि अगर आप एक साल का या दो साल का दाम फिक्स कर दें तो न किसान को दुःख होगा, न मिल वालों को दुःख होगा और न सेक्रेटेरिएट के बाबू लोगों को दुःख होगा। फिक्स प्राइस मिलनी चाहिए। हां, अलबत्ता यह जो स्मगलिंग करते हैं, यह जो आटे में गर्दा मिलाते हैं उन को जरूर कोड़े लगवाये जांय और अगर उन को इस के लिए फांसी पर भी लटकाया जा सके, तो मुझे कोई एतराज न होगा।

मैं आज सदन में एक सप्लीमेंटरी सवाल पूछना चाहता था कि दिल्ली में कितने लोगों को सजायें हुई? मेरी सरकार इस के ऊपर सख्त हो तभी यह सारी हुल्लड़बाजी जो कि आये दिन देखने में आती है, खत्म हो सकेगी। बम्बई में हड़ताल करते हैं, इधर उधर लोगों को बेकार में भड़काते हैं या यहां हल्ला गुल्ला करते हैं, सरकार अगर जरा एक कठोर रुख अपनायें, जोकि मैं चाहता हूं कि अपनाय तो यह सब सारी हुल्लड़बाजी वगैरह बन्द हो जायेगी। समय का तकाजा है कि सरकार "शठे शाठयम समाचरेत" वाली नीति अपनाये तभी ये बेजा हरकतें, और हड़तालें और हुल्लड़बाजियां बन्द होंगी। जैसे को तैसा जवाब देना आज की परिस्थिति में आवश्यक हो गया है। लोगों को यह समझ लेना होगा कि हुल्लड़बाजी से कोई काम नहीं चलेगा।

अब जहां तक प्राइस कंट्रोल का सवाल है मैं ने आप को बता दिया है कि यह जो ऋंगार और विलास की प्रसाधन सामग्री है, क्रीम, पाउडर लिपिस्टिक, आदि इन लक्जरी गुड्स पर सरकार भले ही खूब दाम बढ़ा दे क्योंकि इन चीजों की जरूरत अमीर लोगों को ही पड़ती है। इसी तरह से सरकार मनोरंजन कर और अधिक बढ़ा सकती है, सिनेमा आदि को और अधिक मंहगा कर सकती है उस का आम गरीब जनता पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। चाय पर सरकार और शुल्क बढ़ा सकती है। इसी तरह चीनी का मूल्य भी सरकार और अधिक कर सकती है और उन के दाम और भी अधिक रख सकती है। मेरे कहने का मतलब यह है कि सरकार लक्जरी गुड्स के दाम भले ही बढ़ा दे लेकिन इस देश की गरीब जनता जो कि रूखा सूखा भोजन करती है और सादा और मोटा कपड़ा पहन कर तन ढ़कती है उन की जीवन की बुनियादी आवश्यकतायें और अधिक महंगी न होने पायें क्योंकि वे अभी भी कोई कम नहीं हैं। आज वह उच्च विचार और सादा जीवन का हमारा पुनीत और प्राचीन आदर्श कहां चला गया? आखिर यह भगवान बुद्ध का देश है (**अन्तर्बाधाएं**) यह बड़े खेद का विषय है कि हम उन अपने आदर्शों को भूल बठे हैं।

मुझे यह पूरी आशा है कि यह सरकार किसानों के हित को कभी अपने दिल से नहीं भुलायेगी। आज किसान दुःखी है। यह सारा देश और समाज किसानों की गाढ़े पसीने की कमाई पर आश्रित है।

किसान इस देश की रीढ़ की हड्डी हैं। हमारा और इस सरकार का यह पवित्र कर्तव्य हो जाता है कि हम उन को सभी संभव प्रोत्साहन दें, उन को अच्छे बीज समय पर दें, उन को समय पर खाद, पानी वह अन्य आवश्यक इम्पलीमेंट्स मुहैया करें। अगर हम उन को सब आवश्यक सुविधायें अन्न उत्पादन के हेतु प्रदान करें तो मुझे पूरा विश्वास है कि खाद्यान्न के मामले में यह देश आत्मनिर्भर हो सकेगा और हमें विदेशों से अन्न मंगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी ।

अभी एक भाई ने कहा कि नये फूड मिनिस्टर को उन्हों ने देखा तो उन को पाकिस्तान याद आ गया । अरे भाई ये मिनिस्टर पक्के खिलाड़ी हैं, पाकिस्तान वालों से भी बात करत हैं और इस देश की फूड प्राफ्ब्लम को भी हल करते हैं । वे मुल्क के एक जिम्मेदार लीडर हैं। वे कोई कमजोर व्यक्ति नहीं हैं । उन की तलवार भी मजबूत है और कलम भी मजबूत है और इंट का जवाब ईंट से देने की भी वे क्षमता रखते हैं। मान्यवर, मैं ने किसी अच्छ खिलाड़ी को उस पद पर नहीं भेजा है। एक पक्के और मंजे हुए व्यक्ति को फूड मिनिस्टर रक्खा है। क्या इस नये फूड मिनिस्टर का नमूना आपने नहीं देखा पाकिस्तान वा ले खुद चक्कर में आ गाये । भुट्टो साहब से बातचीत कर के पाकिस्तान की प्राब्लम हल कर रहे हैं और इस देश की फूड प्राबलम हल करना उन के लिये कोई मुश्किल बात नहीं है ।

एक माननीय सदस्य : कम्युनिस्टों को भी ठीक कर देंगे ।

श्री शिव नारायण : जी हां, यह गवर्नमेंट को ही मेहरबानी है कि यह लोग यहां इस तरह से हमारी छीज काटा करते हैं और लोगों को बहकाते फिरते हैं लेकिन अगर वे अपनी हरकतों से वाज न आये तो यह उन को भी ठीक कर देंगे । (**इंटरप्शंस**)

मैं स्वयं किसान हूं, खेती करता हूं और उन का मैं शुभचिंतक हूं । यह बहुत जरूरी है कि किसानों की कड़ी मेहनत का उन्हें उचित मूल्य मिले जो कि आज उन्हें नहीं मिल रहा है और जिस के कि कारण उन की आर्थिक अवस्था बड़ी दयनीय हो रही है। मैं तो कहूंगा कि उन को उनकी उपज की लागत का १० परसेंट मुनाफा दिया जाय । आज इमरजेंसी चल रही है और यह बहुत आवश्यक है कि देश में गल्ले की कमी न पड़ने पावे। दस परसेंट का मुनाफा तो उन्हें दिलवाया ही जाना चाहिये ।

"देह बेचं दारा सुवनमंद भयो यह दास"

किसानों को सन्तुष्ट किया जाय और वे इस आड़े समय में आप देखेंगे कि किस तरह देश की रक्षा में जूझते हैं ? किसान का पेट भर जाये तो आप देखियेगा कि वह देश की खातिर किस तरह से अपनी जान की बाजी लगाता है ?

सरकार ऐसे दश व समाज विरोधी तत्वों के विरुद्ध जो कि देशहित के विरुद्ध काम करते हैं, सख्त कार्यवाही करे। ऐसे द्रोही तत्वों के प्रति कोई रिआयत सरकार को नहीं दिखानी चाहिये। ऐसा होने से जितनी भी गड़बड़ियां चल रही हैं वे सब बन्द हो जायेंगी।

गवर्नमेंट की पालिसी जो कि फूड और प्राइस कंट्रोल के सम्बन्ध में है बिल्कुल सही है और सरकार ठीक तरीके से चल रही है। मैं आप का बड़ा अनुगृहीत हूं कि आप ने मुझे बोलने का अवसर दिया ।

कार्य मन्त्रणा समिति

उन्नीसवां प्रतिवेदन

†श्री राने (बुलडाना) : मैं कार्य मंत्रणा समिति का उन्नीसवां प्रतिवेदन पेश करता हूं।

इसके पश्चात लोक-सभा शुक्रवार, ६ सितम्बर, १९६३/१५ भाद्र, १८८५ (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

---

†मूल अंग्रेजी में

दैनिक संक्षेपिका

गुरुवार, ५ सितम्बर, १९६३

१४ भाद्र, १८८५ (शक)

विषय		पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		२२४९—७९
तारांकित प्रश्न संख्या		
५०६	चेचक	२२४९—५२
५०७	त्रिशूली जल-विद्युत् परियोजना	२२५३–५४
५०८	ग्रामीण जल संभरण कार्यक्रम	२२५४—५९
५०९	ग्रामीण क्षेत्रों के लिये डाक्टर	२२५९—६२
५१०	आयुर्वेद	२२६२—६४
५११	खाद्य अपमिश्रण अधिनियम	२२६४—६७
५१२	संयुक्त विद्युत् "पूल"	२२६७—६९
५१३	दण्डकारण्य परियोजना की औद्योगिक संभाव्यतायें	२२६९–७०
५१४	जल संभरण की समस्या	२२७०–७१
अल्प सूचना प्रश्न संख्या		
३	रजस्थान में अभाव की स्थिति	२२७२—७९
प्रश्नों के लिखित उत्तर		२२७९–२३०९
तारांकित प्रश्न संख्या		
५१५	कोलार की सोने की खानों का बन्द होना	२२७९
५१६	औद्योगिक श्रमिकों की पोषण सम्बन्धी आवश्यकतायें	२२७९–८०
५१७	मद्रास में स्वर्ण शोधक कारखाने	२२८०
५१८	सियालदह स्टेशन पर शरणार्थी	२२८०
५१९	राजस्थान नहर	२२८१
५२०	कैंसर	२२८१

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)

तारांकित प्रश्न संख्या

५२१ विद्युत् सर्वेक्षण २२८१–८२
५२२ लेडी हार्डिंग अस्पताल, नई दिल्ली . २२८२
५२३ केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिये मकान . . २२८२
५२४ शेयरों का वायदा व्यापार २२८३–८४
५२५ आदर्श वालंटियर मेडिकल कोर . . . २२८४–८५
५२६ तृतीय योजना के विद्युत् लक्ष्य . . . २२८५
५२७ पश्चिम बंगाल में शरणार्थी बस्तियां . . २२८५–८६
५२८ राजस्थान में पानी की कमी २२८६
५२९ जनपथ होटल २२८६–८७

अतारांकित प्रश्न संख्या

१५०५ खाद्य अपमिश्रण . . . २२८७
१५०६ कमजोर नजर . . . २२८७–८८
१५०७ उड़ीसा में अन्धे आदमी . २२८८
१५०८ दण्डकारण्य को गये हुए विस्थापित परिवार . . २२८८
१५०९ उड़ीसा में वसूल किये गये कर . . . २२८९
१५१० राजस्थान में मकान बनाने के लिये ऋण . . २२८९
१५११ आयकर पदाधिकारियों के लिये जगह . . . २२८९–९०
१५१२ आयकर पदाधिकारियों के लिये जगह . . २२९०
१५१३ चोरी छिपे लाई गई मुद्रा . . २२९०
१५१४ आडियोमीटर सेन्टर २२९०–९१
१५१५ पुनर्वास वित्त प्रशासन . . . २२९१
१५१६ आन्ध्र प्रदेश में चेचक २२९१–९२
१५१७ आन्ध्र प्रदेश में नदी बेसिनों का विकास . . २२९२
१५१८ प्रतिनियुक्ति पर असैनिक कर्मचारियों के लिए मकान . २२९२–९३
१५१९ शिक्षा भत्ता . . २२९३
१५२० जनसंख्या में वृद्धि २२९३
१५२१ तस्कर व्यापार में अन्तग्रस्त राजनयिक अधिकारी . २२९४
१५२२ दिल्ली बिजली नियंत्रण बोर्ड २२९४–९५

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)

अतारांकित प्रश्न संख्या		
१५२३	मच्छर	२२९५–९६
१५२४	खाद्य पदार्थों की बिक्री पर प्रतिबन्ध	२२९६
१५२५	शाहदरा में मानसिक चिकित्सालय	२२९६–९७
१५२६	उड़ीसा बाढ़ नियंत्रण बोर्ड	२२९७
१५२७	दिल्ली में देशी शराब	२२९७
१५२८	सरकारी कर्मचारियों में रोग	२२९७–९८
१५२९	चीनी पर उत्पादन शुल्क	२२९८
१५३०	आय-कर विभाग, पटना	२२९८
१५३१	डेमोग्राफी में अनुसन्धान	२२९९
१५३२	आसाम में तापीय संयंत्र	२२९९
१५३३	मैडिकल कालिज	२३००
१५३४	पीने के पानी के संभरण की योजना	२३००
१५३५	पाकिस्तान में भारतीय कम्पनियां	२३००–०१
१५३६	शिक्षा भत्ता	२३०१
१५३७	रिजर्व बैंक के कोषाध्यक्ष	२३०१
१५३८	कलकत्ता में होटल	२३०२
१५३९	दिल्ली में बिजली के कनैक्शन	२३०२
१५४०	फरक्का बांध	२३०२
१५४१	अफीम	२३०३
१५४२	लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज, नई दिल्ली	२३९३
१५४३	तस्कर व्यापारी	२३०३
१५४४	तापीय बिजली घर, कोठागुडम	२३०४
१५४६	शरणार्थी दुकानदार	२३०४
१५४७	एम० बी० बी० एस० पाठ्यक्रम	२३०४–०५
१५४८	मद्रास में बकाया आयकर	२३०५
१५४९	भारत पाक सीमा पर पकड़ा गया माल	२३०५–०६
१५५०	ग्रामीण जल संभरण	२३०६
१५५१	ग्रामीण जल संभरण योजनायें	२३०६–०७

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)

अतारांकित
प्रश्न संख्या

१५५२ दामोदर घाटी निगम के बिजली घर . . . २३०७

१५५३ आवास योजनायें २३०८

१५५४ मैसूर में जल विद्युत परियोजनाएं . . २३०८—०९

१५५५ दिल्ली में गन्दी बस्ती सफाई योजना . . २३०९

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . . . २३१०—११

(१) निम्नलिखित पत्रों की एक एक प्रति :—

(क) बैंकिंग समवाय अधिनियम, १९४९ की धारा ४५ की उप-धारा (११) के अन्तर्गत दिनांक १० अगस्त, १९६३ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० २०१९ में प्रकाशित बैंक आफ अलगपुरी लिमिटेड को इंडियन बैंक लिमिटड के साथ मिलाने की योजना

(ख) सीमा शुल्क अधिनियम १९६२ की धारा १५९ के अन्तर्गत दिनांक २४ अगस्त, १९६३ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १३८९ ।

(ग) सीमा शुल्क अधिनियम, १९६२ की धारा १५९ और केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क तथा नमक अधिनियम, १९४४ की धारा ३८ के अन्तर्गत दिनांक २४ अगस्त, १९६३ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १३९१, जिस में दिनांक ४ मई, १९६३ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ७५५ का शुद्धि-पत्र दिया हुआ है ।

(२) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम, १९४४ की धारा ३८ के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक एक प्रति :—

(क) दिनांक २४ अगस्त, १९६३ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १३८६ में प्रकाशित केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (सत्रहवां संशोधन) नियम, १९६३ ।

(ख) दिनांक २४ अगस्त, १९६३ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १३८८ में प्रकाशित केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क (अठारहवां संशोधन) नियम, १९६३ ।

(३) उन समवायों की सूची, जिन्हें सरकार को निर्देश करने पर वर्ष १९६२–६३ में यह सूचित किया गया है कि भारतीय आय-कर अधिनियम, १९२२ की धारा ५६-क [आयकर अधिनियम, १९६१ की धारा ९९ (१) (चार)] के अन्तर्गत उन्हें अपनी कम्पनियों के अंशधारियों में बांटे गये लाभांश सम्बन्ध में रियायत मिलेगी ।

विषय पृष्ठ

सभा पटल पर रखे गये पत्र—(क्रमशः)

(४) अधि-लाभकर अधिनियम, १९६३ की धारा २६ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत दिनांक २३ अगस्त, १९६३ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० २४४० में प्रकाशित अधि-लाभकर नियम, १९६३ ।

(५) विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) अधिनियम, १९५४ की धारा ४० की उप-धारा (३) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधि-सूचनाओं की एक एक प्रति :—

(क) दिनांक १० अगस्त, १९६३ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १३१७ में प्रकाशित विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) छठा संशोधन नियम, १९६३ ।

(ख) दिनांक २४ अगस्त, १९६३ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १३९९ में प्रकाशित विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) सातवां संशोधन नियम, १९६३ ।

जीवन बीमा निगम के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव . . . २३११—२५

डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी ने भारत के जीवन बीमा निगम के वार्षिक प्रति-वेदन पर, जो १० नवम्बर, १९६२ को सभा पटल पर रखा गया था, विचार करने का प्रस्ताव किया । कुछ चर्चा के बाद प्रस्ताव स्वीकृत किया गया ।

खाद्यान्नों की कीमतों में वृद्धि और खाद्य नीति के बारे में प्रस्ताव . २३२६—४७

श्री स० मो० बनर्जी ने खाद्यान्नों के मूल्यों में वृद्धि के बारे में और श्री यश-पाल सिंह ने भारत सरकार की खाद्य नीति के बारे में विचार करने का प्रस्ताव किया । दोनों प्रस्तावों पर एक साथ विचार किया गया । चर्चा समाप्त नहीं हुई ।

कार्य-मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन—उपस्थापित . . . २३४८

उन्नीसवां प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया ।

शुक्रवार, ६ सितम्बर, १९६३/१५ भाद्र, १८८५ (शक) के लिये कार्यावलि

राष्ट्रीय आय के वितरण के बारे में चर्चा और गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्पों पर विचार ।

GMGIPND—LS III—1215 (Ai) LSD—15-10-63—160.